बनाम

भारत का संघ अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

जसवंत सिंह और संत प्रकाश जे.के सम्मुख

स्वतंत्र विद्यालयों का संगठन चंडीगढ़

और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ अन्य प्रतिवादीओं का संघ 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. No.7706

18.01.2021 पर आरक्षित 28.05.2021 पर उच्चारण किया गया

भारत का संविधान, 1950-कला। 14, 19(1)(छ), 21,30 (1), 162,226 और 245 से 255-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966-खंड 87-पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शुल्क विनियमन अधिनियम, 2016 (जैसा कि चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है)-खंड 3 और 5 1966 अधिनियम की खंड 87 के चौथे परंतुक, 10 (4) से (6) और 14-को चुनौती दी गई-अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्ति से परे, अनुच्छेद 245 से 255 में संसद की शक्तियों का अपमान करना-केंद्र सरकार द्वारा 2016 अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना को चुनौती दी गई-अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करना-केंद्र शासित प्रदेश के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आय और व्यय विवरण और वेबसाइट पर बैलेंस शीट का खुलासा करना-उचित माना गया1

यह माना जाता है कि यह तय स्थिति है कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के अधिकार सहित संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार निहित है।हालाँकि, शिक्षा का व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि धर्मार्थ गतिविधियों से जुड़ा व्यवसाय है।इसलिए, समग्र रूप से छात्र समुदाय की रक्षा करने और साथ ही शिक्षा के आवश्यक मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियामक उपायों को जारी करना अच्छी तरह से अनुमत है जो गैर-दोहनकारी हैं।राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मुनाफाखोरी और प्रति व्यक्ति शुल्क वसूलने के खतरे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उचित प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) या अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैरा 176) ने आगे कहा कि, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित को अवहेलना करे या सरकार को 944 से रोक सके।

उस संबंध में विनियम बनाना।यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना आत्यन्तिक नहीं है कि कानून से ऊपर हो।(पैरा 177) ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि, यहां ऊपर उल्लिखित कानून की स्थिर स्थिति और यू. टी. प्रशासन द्वारा इस प्रकार लगाई गई शर्तों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता स्कूलों पर शर्तों को लागू करना किसी भी हद तक या कल्पना के किसी भी विस्तार से अनुचित या प्रतिबंधात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे नियामक हैं।वही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति व्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी का कोई प्रभार नहीं है, जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के मामले (ऊपर) के मामले में माना गया है और उसके बाद कई निर्णयों में इसका पालन किया गया है।केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अधिनियम को चंडीगढ़ प्रशासन के अनुकूल बनाते समय किए गए संशोधनों/प्रतिबंधों का पालन करते हुए (जैसा कि पैरा संख्या 1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है), यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों द्वारा पिछले दरवाजे से प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के धन का उचित उपयोग किया जाए।

(पैरा 180) केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बदलते समय किया गया संशोधन प्रतिकूल संशोधन/परिवर्धन नहीं हैं, बल्कि छात्रों, संस्थान के प्रतिस्पर्धी हितों और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समाज की आवश्यकता और इच्छा के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हैं।केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन/परिवर्धन किसी भी तरह से संस्थान की स्वायत्तता या दिन-प्रतिदिन के कामकाज का उल्लंघन नहीं करते हैं या किसी भी तरह से कठोर शुल्क संरचना निर्धारित नहीं करते हैं।संशोधन/परिवर्धन केवल पारदर्शिता के लक्ष्य को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

(पैरा 181) इसलिए, ऊपर की गई टिप्पणियों और मुद्दा संख्या (iv) पर निर्णय और निष्कर्षों के आलोक में, हमारा विचार है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तार करते समय किया गया संशोधन

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अधिकारों या अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैरा 182)

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 945

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त

और स्वाति दयालन, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में)।राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्जुन प्रताप आत्मा राम, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त

याचिकाकर्ताओं के लिए (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में)

सत्य पाल जैन, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ वकील, पुनीत सेठी की सहायता से,

प्रतिवादी (गण) के लिए-भारत संघ (दोनों मामलों में) पंकज जैन, वरिष्ठ स्थायी वकील, के साथ

विवेक चौहान, अधिवक्ता, मधु दयाल, अधिवक्ता

और नितिन कौशल, अधिवक्ता

प्रतिवादी (गण) के लिए-यू. टी., चंडीगढ़ (दोनों मामलों में)

जसवंत सिंह**,** जे।

(1) उपरोक्त दो रिट याचिकाओं को 2020 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 और 7761 के साथ जोड़ा गया है और एक साथ निपटा जा रहा है क्योंकि याचिकाओं में विवाद और इसमें शामिल मुद्दे एक दूसरे से जुड़े/समान हैं।लेकिन सुविधा के लिए तथ्यों को लिया जा रहा है

लीड केस अर्थात। 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7706।

(2) दोनों रिट याचिकाओं में चुनौती गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-4) की अधिसूचना को दी गई है, जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (जिसे इसके बाद

1966 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की खंड 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद 2016 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया है।शुरुआत में, सुविधा के लिए, पंजाब राज्य के लिए लागू प्रासंगिक प्रावधानों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए अनुकूलित प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है:

पंजाब	चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनुकूलित
1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम को पंजाब विनियमन ऑफ फी ऑफ अन -	1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम को पंजाब विनियमन ऑफ फी ऑफ अन -

सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2016। (2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।	सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2016 का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तार किया गया। (2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
नील	((क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक अभिप्रेत है।
(बी) 'संबद्धता' का अर्थ है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ संबद्ध संस्थानों की अनुमोदित सूची में किसी संस्थान का नाम शामिल करना, जो केंद्र सरकार द्वारा उक्त बोर्ड या प्राधिकरण के	(ख) 'संबद्धता' का अर्थ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या प्राधिकरण के साथ संबद्ध संस्थानों की अनुमोदित सूची में किसी संस्थान का नाम शामिल करना, जो उक्त बोर्ड या प्राधिकरण के विशेषाधिकार में प्रवेश के

विशेषाधिकार में प्रवेश के लिए अनुमोदित और अधिकृत है।	लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिकृत है।
((क) 'सरकार' से स्कूल शिक्षा विभाग में पंजाब राज्य की सरकार अभिप्रेत है;	हटा दिया गया।
3.विनियामक निकाय का गठन-(1) पंजाब राज्य में संभागीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क को विनियमित करने के लिए एक विनियामक निकाय का गठन किया जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हें पूरा करेगा।	3.विनियामक निकाय का गठन-(1) पंजाब राज्य में संभागीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क को विनियमित करने के लिए एक विनियामक निकाय का गठन किया जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हें पूरा करेगा।

(2) विनियामक निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: - क. संबंधित अध्यक्ष के संभागीय आयुक्त; प्रभाग; ख. सर्कल शिक्षा अधिकारी संबंधित सदस्य; सचिव प्रभाग; ग. प्रभागों के संबंधित मुख्यालय में तैनात सर्कल शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक सदस्य; शिक्षा); घ. प्रभाग के संबंधित मुख्यालय में तैनात जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक सदस्यः शिक्षा); ई. नामित सदस्य द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य; संबंधित विभाग के प्रमुख शिक्षाविदों में से सरकार; च. संभागीय मनोनीत सदस्यों द्वारा नामित एक सदस्य, संबंधित प्रभाग में काम करने वाले उप नियंत्रकों (वित्त और लेखा) या सहायक नियंत्रकों (वित्त और लेखा) में से आयुक्त। 3. उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मनोनीत सदस्यों को विनियामक निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसा पारिश्रमिक और यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए।	(2) विनियामक निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: - ए। शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन-अध्यक्ष। बी। निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासक-सदस्य सचिव। ग. स्कूल शिक्षा उप निदेशक-सदस्य; घ. जिला शिक्षा अधिकारी चंडीगढ़ प्रशासन-अध्यक्ष। ई. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से दो सदस्यों को नामित किया जाएगा-मनोनीत सदस्य; च. चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग में तैनात उप नियंत्रकों (वित्त और लेखा) या सहायक नियंत्रकों (वित्त और लेखा) में से अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य-नामित सदस्य। 3. उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मनोनीत सदस्यों को विनियामक निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसा पारिश्रमिक और यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए।
4. विनियामक निकाय का मुख्यालय-विनियामक निकाय का कार्यालय	4. नियामक निकाय का मुख्यालय-नियामक का कार्यालय

संबंधित प्रभाग के मुख्यालय में स्थित होगा।	निकाय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित होगा।

खंड 5. शुल्क निर्धारित करने और शुल्क बढ़ाने की शक्ति क्योंकि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपना शुल्क निर्धारित करने में सक्षम होगा और यह संस्थान चलाने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी इसे बढ़ा सकता हैः बशर्ते कि शुल्क निर्धारित करते या बढ़ाते समय, खंड 6 की उप-खंड (1) में उल्लिखित कारकों को गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान द्वारा ध्यान में रखा जाएगाः बशर्ते कि शुल्क में वृद्धि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए गए शुल्क या पिछले वर्ष के शुल्क के आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बशर्ते कि शुल्क तय करते समय या बढ़ाते समय, एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं हो सकता है और यह प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं ले सकता है।	खंड 5. शुल्क निर्धारित करने और शुल्क बढ़ाने की शक्ति क्योंकि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपना शुल्क निर्धारित करने में सक्षम होगा और यह संस्थान चलाने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी इसे बढ़ा सकता हैः बशर्ते कि शुल्क निर्धारित करते या बढ़ाते समय, खंड 6 की उप-खंड (1) में उल्लिखित कारकों को गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान द्वारा ध्यान में रखा जाएगाः बशर्ते कि शुल्क में वृद्धि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए गए शुल्क या पिछले वर्ष के शुल्क के आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बशर्ते कि शुल्क तय करते समय या बढ़ाते समय, एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं हो सकता है और यह प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं ले सकता है। बशर्ते कि प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी वेबसाइट पर आय, व्यय खाता और बैलेंस शीट अपलोड करेगा। ख. माता-पिता से किसी भी प्रकार की लागत नहीं लेते हैं। ग. पूर्ण शुल्क संरचना का खुलासा करें

	विद्या सम्बन्धी वर्ष की शुरुआत में स्कूलों द्वारा जारी की गई पुस्तिका में, प्रवेश पत्र के साथ, और इसकी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाए; घ. शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय शुल्क में वृद्धि न करें।
खंड 10. निधि का उपयोग (1) इस निधि का उपयोग संबंधित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की बेहतरी और विकास के लिए किया जाएगा। (1) निधि या उससे अर्जित किसी भी लाभ का उपयोग गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी भी व्यक्तिगत लाभ या व्यवसाय या उद्यम के लिए नहीं किया जाएगा। (2) निधि का उपयोग गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा उन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जो छात्र के लिए लाभकारी हैं; (3) किसी भी राशि को निधि से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा सोसायटी या ट्रस्ट या किसी अन्य संस्थान को नहीं दिया जाएगा, सिवाय उसी सोसायटी या ट्रस्ट के प्रबंधन के।	(1) इस कोष का उपयोग संबंधित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की बेहतरी और विकास के लिए किया जाएगा। (2) निधि या उससे अर्जित किसी भी लाभ का उपयोग गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी भी व्यक्तिगत लाभ या व्यवसाय या उद्यम के लिए नहीं किया जाएगा। (3) निधि का उपयोग गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा उन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जो छात्र के लिए फायदेमंद हैं; (4) गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आय का कोई भी हिस्सा ट्रस्ट या सोसायटी या कंपनी या स्कूल प्रबंधन समिति या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। (5)आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय और योगदान और आकस्मिक निधियों को पूरा करने के बाद बचत, यदि कोई हो, का उपयोग संबंधित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक

	संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
14. दंड-(1) यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो यह होगा -	14. दंड-(1) यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो यह होगा -

जुर्माने से दंडनीय, जो प्राथमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में तीस हजार रुपये, मध्यम स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में पचास हजार रुपये और प्रत्येक उल्लंघन के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में एक लाख रुपये तक हो सकता है। (2)यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान दूसरी बार इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो प्राथमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में साठ हजार रुपये, मध्यम स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में एक फीता और प्रत्येक उल्लंघन के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में दो लाख रुपये होगा। (3) यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान तीसरी बार इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के	जुर्माने से दंडनीय, जो प्राथमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में साठ हजार रुपये, मध्यम स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में पचास हजार रुपये और प्रत्येक उल्लंघन के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में दो लाख रुपये तक हो सकता है। (2)यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान दूसरी बार इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो प्राथमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में एक लाख बीस हजार रुपये, मध्यम स्तर के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के मामले में दो लाख रुपये और प्रत्येक उल्लंघन के लिए गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के मामले में चार लाख रुपये होगा। (3) यदि कोई गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उप-धारा 2 में उल्लिखित दंड लगाने के अलावा, नियामक निकाय संबंधित प्राधिकारी को मान्यता या संबद्धता या ऐसे गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को वापस लेने का निर्देश देगा।	तीसरी बार इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उप-खंड 2 में उल्लिखित दंड लगाने के अलावा, नियामक निकाय संबंधित प्राधिकारी को मान्यता या संबद्धता या ऐसे गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को वापस लेने का निर्देश देगा।
(4) विनियामक निकाय (4) विनियामक निकाय कर सकता है -	

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 951

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को ऐसे संस्थान द्वारा प्रदर्शित शुल्क से अधिक शुल्क वापस करने का निर्देश दें।	गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को ऐसे संस्थान द्वारा प्रदर्शित शुल्क से अधिक शुल्क वापस करने का निर्देश दें।
15. अपील-इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्देश या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, ऐसे आदेश या निर्देश के पारित होने या पारित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर सरकार को अपील दायर कर सकता है।	15. अपील-इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्देश या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, इस तरह के आदेश या निर्देश के पारित होने या पारित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर प्रशासक को अपील दायर कर सकता है।
23. नियम बनाने की शक्ति (1)	23. नियम बनाने की शक्ति (1) प्रशासक

सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। (2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह कुल दस दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्र शामिल हो सकते हैं, जैसे कि उस सत्र की समाप्ति से पहले जिसमें वह इस तरह रखा गया है या उत्तराधिकार सत्र, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सदन सदन के नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके बाद नियम का प्रभाव केवल उस तरह से होगा जो इसे बनाए जाने के बाद किया गया था या जिसका कोई प्रभाव नहीं होगा; हालाँकि ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना सदन के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।	आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकता है। (2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा, जिसे एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि सदन के शासन में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसमें वह इस तरह रखा गया है या उत्तराधिकार सत्र, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस सत्र की समाप्ति से पहले, सदन इस बात पर सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके बाद नियम का प्रभाव केवल उस तरह से होगा जो इसे बनाया गया है या उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा कि मामला हो; हालाँकि ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना सदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

उस नियम के तहत पहले की गई या की जाने वाली किसी भी चीज़ की वैधता।	उस नियम के तहत पहले की गई या की जाने वाली किसी भी चीज़ की वैधता।

(3) पैराग्राफ नं. में "चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुकूलित" कॉलम में बोल्ड भाग।1 2016 के अधिनियम का यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को दर्शाता है।

2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7706:- स्वतंत्र विद्यालय संघ चंडीगढ़ (रेग.) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।(2) याचिकाकर्ता संख्या 1 79 गैर-सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों का एक संघ है, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।याचिकाकर्ता संख्या 2 (सेंट सोल्जर इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो सेंट सोल्जर इंटरनेशनल स्कूल चला रही है) और याचिकाकर्ता संख्या 3 (सौपिन एजुकेशन फाउंडेशन जो सौपिन स्कूल चला रहा है) वे सोसायटी हैं जो संबंधित स्कूलों को चला रही हैं जो निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हैं।याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित शिकायतों को उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है:-

(i) इस आशय की घोषणा की मांग करना कि खंड 5 के चौथे परंतुक को शामिल करना और 2016 अधिनियम की खंड 10 की उप-खंड (4) के लिए उप-खंड (4) से (6) को प्रतिस्थापित करना, जबकि इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करते हुए, 1966 अधिनियम की खंड 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंवैधानिक घोषित किया जाए, बिना अधिकार क्षेत्र के और केंद्र सरकार को सौंपी गई शक्तियों के दायरे से परे और इस आधार पर भी कि यह भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

(ii) चुनौती 2016 अधिनियम की खंड 3 के तहत गठित नियामक निकाय की संरचना के लिए है, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक दिनांकित अधिसूचना 13.04.2018 (अनुलग्नक पी-4) द्वारा इस आधार पर विस्तारित किया गया है कि इसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से किसी भी प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं है।

(iii) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 के अधिनियम की खंड 14 को अवैध और मनमाना घोषित करने के लिए आगे की चुनौती है क्योंकि 2016 के अधिनियम का उद्देश्य विनियमन करना है और दंडित करना नहीं है।

(iv) अंत में स्वतंत्र विद्यालय के संगठन चंडीगढ़ के आदेश/ज्ञापन/पत्राचार को रद्द करना और

24.4.2020 (अनुलग्नक पी-6), 01.05.2020 (अनुलग्नक पी-7), 13.05.2020 (अनुलग्नक पी-8), 22.5.2020 (अनुलग्नक पी-9)मांग की गई है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 के अधिनियम के संदर्भ में प्रतिवादी ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी वेबसाइटों पर आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट अपलोड करने का निर्देश दिया है।2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7761:- कबीर एजुकेशन सोसाइटी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य(3) याचिकाकर्ता संख्या 1 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।याचिकाकर्ता संख्या 1 (कबीर एजुकेशन सोसाइटी) सोसायटी ने याचिकाकर्ता संख्या 2 (संत कबीर पब्लिक स्कूल) स्कूल की स्थापना की है जो एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है।जैसा कि दलीलों से स्पष्ट है, 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में चुनौती 2016 के अधिनियम के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तार के लिए नहीं है, बल्कि उन संशोधनों के लिए है जो केंद्र सरकार द्वारा 1966 के अधिनियम की खंड 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए हैं। वर्तमान याचिका चुनौती का दायरा बढ़ाती है क्योंकि सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 को रद्द करने की मांग की है, जो भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में निहित केंद्रीय संसद की शक्तियों का अपमान है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्ति से परे है।दूसरा, याचिकाकर्ता कुल मिलाकर उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने 2016 के अधिनियम को संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया है, जो भारत के संविधान के विपरीत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है।तीसरा, याचिकाकर्ता यहाँ भी मांग कर रहे हैं

पी-5/एफ के लिए संलग्नक पी-5/ए के नोटिसों को रद्द करना जिसके तहत

2016 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित अधिनियम की मांग की गई है।

तर्क:-

(4) 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2016 अधिनियम को पंजाब राज्य द्वारा 23.12.2016 पर अधिसूचित किया गया था।2016 का अधिनियम कानून की तय स्थिति के विपरीत है, क्योंकि निजी

गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने, बचत और निवेश के लिए भत्ता देने और यहां तक कि उचित लाभ भी अर्जित करने के लिए स्वतंत्र हैं।कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है कि सोसाइटी या एक ट्रस्ट जिसने एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है, धन उत्पन्न नहीं कर सकता है, जिसका उपयोग विस्तार और/या नए स्कूलों को खोलने के लिए किया जा सकता है।

(5) हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि 2016 के अधिनियम को याचिकाकर्ता संघ द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. दाखिल करके अलग-अलग कार्यवाही में इस माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

2017 का सं. 10662 जिसका शीर्षक था "स्वतंत्र विद्यालय संघ बनाम

पंजाब राज्य और अन्य "।चुनौती इस आधार पर दी गई है कि 2016 का अधिनियम असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत निहित मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।

(6) यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका में चुनौती केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अधिनियम का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तार करते हुए किए गए संशोधनों तक ही सीमित है।

(7) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का कहना है कि खंड 5 का चौथा परंतुक और खंड 10 की उप-खंड (4) से (6), 2016 अधिनियम, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1966 के अधिनियम की खंड 87 के तहत अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग में संशोधन के माध्यम से जोड़ा/प्रतिस्थापित किया गया है, विस्तार की आड़ में कानून बनाने के बराबर है, इसलिए कानून की राशि के उक्त संशोधन 1966 के अधिनियम की खंड 87 के दायरे और दायरे से बाहर हैं।

(8) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 के अधिनियम में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा सार्वजनिक पोर्टल पर आय और व्यय विवरण और तुलनपत्र के प्रकटीकरण की परिकल्पना नहीं की गई है, हालांकि केंद्र सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करते हुए 2016 के अधिनियम की खंड 5 के चौथे प्रावधान के खंड (ए)

को शामिल किया है, जिसके अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर आय और व्यय खातों और तुलनपत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने का दायित्व डाला गया है, जिसका 2016 के अधिनियम के साथ कोई औचित्य या संबंध नहीं है, विशेष रूप से एक बार जब उक्त जानकारी पहले से ही संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हो।(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वेबसाइट पर वित्तीय जानकारी अपलोड करने से निजी संस्थान जनता द्वारा खातों के बेलगाम विच्छेदन और संभावित परिणामी अनुचित हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, जिससे संस्थान के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होगी।

(10) 2016 अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक के खंड (बी) के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खंड स्कूलों को माता-पिता से किसी भी प्रकार की लागत लेने से रोकता है।लेकिन लागत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि इस तरह की अस्पष्टता उत्पन्न हुई है कि क्या

लागत यह भी होगी कि माता-पिता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस प्रकार छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।इस प्रकार खंड की अस्पष्टता अधिकारियों के हाथों में 'लागत' शब्द में कुछ भी या सब कुछ शामिल करने के लिए बेलगाम शक्तियां देती है।

(11) याचिकाकर्ताओं के वकील प्रस्तुत करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए 2016 अधिनियम की खंड 10 की खंड 4 से (6) तक के संशोधन/जोड़ मूल अधिनियम 2016 का सीधा उल्लंघन है क्योंकि मूल अधिनियम गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा धन को दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वे उसी सोसायटी के प्रबंधन के तहत चलाए जा रहे हों।जबकि नए प्रतिस्थापित/संशोधित उप-अनुभागों द्वारा केंद्र सरकार ने एक ही प्रबंधन के तहत संस्था की आय, बचत और धन को समाज में स्थानांतरित करने, उपयोग करने पर आत्यन्तिक प्रतिबंध लगा दिया है।

(12) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि 1966 अधिनियम की खंड 87 के तहत शक्ति केवल पहले से लागू कानूनों को स्थानांतरित करने की शक्ति है और वह भी बिना किसी भौतिक परिवर्तन के।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तार करते हुए कार्यपालिका मूल अधिनियम से पर्याप्त विचलन नहीं कर सकती है।

(13) याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि संशोधनों और परिवर्तनों ने 2016 के अधिनियम की मूल आवश्यक संरचना को बदल दिया है जो 1966 के अधिनियम की खंड 87 के दायरे से बाहर है, जिससे केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गई है।

(14) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वेबसाइट पर वित्तीय विवरण का खुलासा भी गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण के बराबर होगा।

(15) 2016 अधिनियम की खंड 14 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 अधिनियम की खंड 14 उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड लगाने का प्रयास करती है, जो स्पष्ट रूप से क़ानून को प्रकृति में दंडात्मक बना देगी और जो अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है, क्योंकि इसे केवल गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के शुल्क को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है और कोई दंडात्मक कार्रवाई प्रदान करने के लिए नहीं किया गया है।याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि खंड 14 पहले से ही अलग-अलग कार्यवाही में चुनौती के तहत है, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खंड 14 का विस्तार करते हुए, जुर्माने की मात्रा को बिना किसी तर्क के बढ़ा दिया गया है।

(16) यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी ने 956 का विस्तार करके

2016 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए अधिनियम ने अनुचित प्रतिबंध लगाए हैं जो सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 द्वारा प्रभावित हैं और इस तरह वे अलग किए जाने के योग्य हैं।

(17) उपरोक्त सामान्य तर्कों के अलावा 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 1966 के अधिनियम की खंड 87 असंवैधानिक है क्योंकि यह कार्यपालिका को गैर-निर्देशित और गैर-मान्यता प्राप्त शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि ऐसे कोई दिशानिर्देश या परिस्थितियां वर्णित नहीं हैं जिनके तहत 1966 के अधिनियम की खंड 87 में निहित शक्तियों का उपयोग किसी भी क़ानून का विस्तार करते समय और इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करते समय किया जा सकता है।

(18) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अनुच्छेद 245 से 255 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय संसद के पास है और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 को लागू करके इसे हड़पा नहीं जा सकता है।

(19) 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि खंड 87 में संशोधन और विलोपन शब्द का उपयोग किया गया है और यह कार्यपालिका द्वारा संशोधन/जोड़ का प्रावधान नहीं करती है, इसलिए 13.4.2018 की अधिसूचना अवैध है क्योंकि इसने 2016 के अधिनियम में संशोधन किया है जो कानून में अस्वीकार्य है।

(20) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शुल्क में वार्षिक वृद्धि पर कोई सीमा नहीं हो सकती है और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की निर्धारित वृद्धि किसी भी तर्क से प्रमाणित नहीं होती है।2016 के अधिनियम की खंड 5 के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए पिछले वर्ष के शुल्क के केवल 8 प्रतिशत तक शुल्क में वृद्धि की सीमा के संबंध में मुद्दा बहस के दौरान छोड़ दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए इसे नहीं जोड़ा गया है।उक्त परंतुक पंजाब राज्य के मूल अधिनियम में पहले से ही मौजूद है, जिस पर अलग-अलग प्रावधानों में हमला किया गया है।

कार्यवाही अर्थात। 2017 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 10662।

(21) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए विद्वान वकील,प्रस्तुत करता है कि 2009 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 20545, जिसका शीर्षक भ्रष्टाचार-रोधी है और अपराध जांच प्रकोष्ठ बनाम पंजाब राज्य और अन्य थे इस माननीय अदालत के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि लुधियाना और पूरे पंजाब राज्य के भीतर निजी शैक्षणिक संस्थान एक ओर स्कूल की फीस में बेतुकी वृद्धि करके माता-पिता को फिरौती के लिए ले जा रहे हैं और दूसरी ओर, राज्य तंत्र निजी शैक्षणिक संस्थानों की ओर से इस तरह की मनमानी और अवैध कार्रवाई पर नियंत्रण और संतुलन लागू करने में विफल रहा है।

(22) माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कुछ स्थायी नियामक निकायों/तंत्र प्रदान करने का निर्देश दिया जो यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक हित में निजी स्टेशनों पर उचित नियंत्रण और संतुलन लगाया जाए, ताकि वे मुनाफाखोरी में या प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के लिए किसी अन्य अनैतिक तरीके से लिप्त न हों।इसके अलावा इस न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्यों को इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए निर्देश जारी करते हुए निजी शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए तीन (3) समितियों का गठन किया, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों ने की।

(23) 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 20545 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए उक्त निर्देशों को संगठन अर्थात इंडिपेंडेंट स्कूल संगठन चंडीगढ़ (जो कार्यवाही के वर्तमान सेट में याचिकाकर्ता है) द्वारा चुनौती दी गई थी। सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2020 का 7706), 2013 के एस. एल. पी. सं. 20029 के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।संगठन द्वारा दायर एसएलपी को दिनांक 2.8.2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

(24) चूंकि 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 20545 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया था, इसलिए पंजाब, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी।पंजाब राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष कहा कि राज्य निर्णय में दिए गए निर्देश के अनुसार कानून लाने की प्रक्रिया में है ताकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सके।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने यह भी कहा कि वे पंजाब राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का पालन करना चाहते हैं।नतीजतन, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए बयानों पर रिट याचिका को बंद करने का आदेश दिया गया था, दिनांक 7.7.2014 के आदेश के अनुसार।

(25) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2016 अधिनियम पंजाब राज्य द्वारा इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में तैयार किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने इस न्यायालय के समक्ष केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में 2016 अधिनियम को अपनाया है।

(26) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की खंड 87 को रमेश बिर्च बनाम 958 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और व्याख्या की गई है।

भारत संघ 1 और इस प्रकार खंड 87 को दी गई चुनौती जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में शामिल किया गया है, पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य है।

(27) प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा शामिल किए गए संशोधन केवल पंजाब राज्य द्वारा अधिनियमित मूल अधिनियम की मूल योजना के अधीन हैं।संशोधित प्रावधानों को केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को आगे बढ़ाने के इरादे से शामिल किया गया है जो शुल्क को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रदान किए जाने वाले तंत्र की सबसे आवश्यक विशेषता है।

(28) निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आने वाले और खर्च को अपलोड करना, प्रशासन द्वारा दिनांकित 24.4.2020 पत्र के माध्यम से माँगा गया है, जो स्कूल के मुनाफाखोरी में लिप्त होने के बारे में माता-पिता से प्राप्त शिकायतों के कारण है।इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 02/03.06.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार वेबसाइट पर वित्तीय विवरण के संबंध में स्कूलों से अनुपालन की मांग की गई है, उक्त आदेश अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, जिसे एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान याचिका आवश्यक पक्षों के गैर-प्रतिवादी के लिए खारिज की जानी चाहिए।

(29) प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिकांश स्कूलों ने निर्देशों का पालन किया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्य विभिन्न स्कूलों ने भी 2016 के अधिनियम के तहत चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है, जैसा कि यू. टी. चंडीगढ़ के लिए अनुकूलित किया गया है।(30) यू. टी. चंडीगढ़ के विद्वान वकील बताते हैं कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की मांग करने वाले कारण बताएँ नोटिस को चुनौती देने के संबंध में आज तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और केवल कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया है।इसलिए समयपूर्व होने के कारण रिट याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।इसके अलावा अंतिम आदेश के खिलाफ भी, 2016 अधिनियम की खंड 15 के तहत अपील का प्रावधान किया गया है, इसलिए इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(31) अभिलेख पर अभिवचनों और विस्तार से उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के बाद, निम्नलिखित मुद्दे जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं:-1 1989 प्रतिस्थापन (1) एस. सी. सी. 430 स्वतंत्र विद्यालय का संगठन परिवर्तन और

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 959

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

(i) क्या याचिकाकर्ता संघ की ओर से दायर रिट याचिका विचारणीय होगी?

((ii) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 भारत के संविधान के विपरीत है?

((iii) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 कार्यपालिका को गैर-निर्देशित और गैर-मान्यता प्राप्त शक्ति प्रदान करती है?

((iv) क्या केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करते समय किए गए अधिसूचना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 के दायरे से बाहर हैं?

(v) क्या केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करते हुए दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से किए गए संशोधन, निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं?

आई**.** एस**.** यू**.** नं**. (i)**

(32) एल. डी. द्वारा प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने कहा कि 2020 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 संगठन के कहने पर बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारित आदेशों से संगठन के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा हुआ है।इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन के वकील द्वारा यह बताया गया है कि रिट याचिका के साथ संलग्न प्रस्ताव को कानून की नजर में उचित प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है।

(33) एल. डी. द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय 02.07.2020 पर है। बहस के समय चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने कुछ प्रारंभिक मुद्दे तैयार किए थे, जिनका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:- "अधूरे और परस्पर विरोधी कथनों को ध्यान में रखते हुए, हम पहले इस बात की जांच करना उचित समझते हैं कि

क्या संगठन द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी.-7706-2020 दिनांकित 05.01.2020 प्रस्ताव की अधूरी सामग्री के आलोक में बनाए रखने योग्य होगा।रिट में कहा गया है कि संगठन में पंचकूला और मोहाली शहरों में स्थित लगभग 78 गैर-सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित स्कूल शामिल हैं।

तत्काल रिट याचिका को बनाए रखने के लिए किन स्कूलों के पास वाद हेतुक नहीं होगा। 05.01.2020 दिनांकित प्रस्ताव कथित रूप से संगठन की ओर से अध्यक्ष/सचिव को संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है, बिना किसी कार्यवाही का संकेत दिए और कोरम संगठन के उपनियमों के अनुसार पूरा किया जा रहा है; और संगठन के सदस्यों के विवरण का खुलासा किए बिना भी। सी. डब्ल्यू. पी.-7761-2020 में, यह स्वीकार किया गया है कि स्कूल संगठन का सदस्य है और कहा गया है कि संगठन के 73 सदस्य हैं। सी. डब्ल्यू. पी.-7940-2020 में, यह स्वीकार किया गया है कि स्कूल भी संगठन का हिस्सा है। यदि उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में दोनों स्कूल संगठन का हिस्सा हैं, तो यह समझ में नहीं आता है कि उनकी व्यक्तिगत रिट कैसे बनाए रखी जा सकती हैं।इसलिए, इस स्तर पर जिन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है, वे हैं:-

ए। क्या संगठन की ओर से रिट याचिका वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य होगी, विशेष रूप से, अपूर्ण और संभवतः अमान्य संकल्प दिनांक 05.01.2020 के आलोक में;

बी। यदि उपरोक्त (i) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या याचिकाकर्ता (गण) 2020 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 और 7940 वाली अन्य दो रिट याचिकाओं में उक्त संघ के सदस्य होने के नाते अपनी अलग रिट याचिकाओं को बनाए रख सकते हैं;

ग. यदि उपरोक्त (i) का उत्तर सकारात्मक है, तो यू. टी., चंडीगढ़ के रुख के आलोक में कि 40 (चालीस) स्कूलों ने पहले ही प्रावधानों का पालन कर लिया है, क्या संगठन की ओर से रिट अभी भी संगठन के उपनियमों के संदर्भ में बनाए रखने योग्य होगी;

घ. वर्तमान मामले के तथ्यों में, क्या संघ की ओर से सी. डब्ल्यू. पी.-7706-2020 में संलग्न दिनांकित प्रस्ताव को उप-कानूनों के अनुसार एक वैध प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

ई. क्या संगठन द्वारा पसंद की गई रिट याचिका एक बार बनाए रखने योग्य होगी जब संगठन स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य से प्रभावित नहीं होता है, यह मानते हुए भी कि

संगठन प्रभावित होते हैं, लेकिन कानूनी अधिकारों का आनंद लेने के उद्देश्य से, संगठन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, विशेष रूप से जब संगठन के अधिकांश सदस्य या तो प्रतिवादी के कृत्यों से प्रभावित नहीं होते हैं या विवादित अधिनियम/कार्रवाई का पालन करते हैं।

(34) चूंकि, उपरोक्त मुद्दों के साथ-साथ मुख्य याचिका पर दलीलों को पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबोधित किया गया था, इसलिए उक्त प्रारंभिक मुद्दे पर मुख्य याचिका के साथ निर्णय लिया जा रहा है।

(35) संगठन के सचिव एस. राजदीप सिंह रियार ने दिनांक 02.07.2020 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 10.7.2020 का एक शपथ पत्र दायर किया था।शपथ पत्र के साथ संगठन के ज्ञापन और संगठन के लेखों को भी रिकॉर्ड में रखा गया था।(36) याचिकाकर्ता-संघ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। सचिव दिनांक 10.07.2020 के शपथ पत्र के अनुसार, संघ में सदस्यों के रूप में 79 स्कूल शामिल हैं जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी स्थित हैं। हालाँकि, शपथ पत्र के साथ संलग्न सूची संलग्नक पी-12 के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश का स्कूल भी याचिकाकर्ता-संघ का सदस्य है।

(37) संघ के अनुच्छेदों अर्थात संघ के नियमों और विनियमों के अनुसार, (खंड 6) संघ के सभी सदस्य संघ का सामान्य निकाय बनाते हैं।संगठन की कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, खजांची और संगठन द्वारा चुने गए 5 अन्य सदस्य शामिल हैं।इसके अलावा संघ के अनुच्छेदों के खंड 20 के अनुसार, सामान्य निकाय के परामर्श से कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए सभी कार्य/निर्णय संघ के सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे।(38) संगठन के अनुच्छेदों के खंड 22 के अनुसार, संगठन की आम सभा की बैठक में कुल सदस्यों का एक चौथाई हिस्सा होता है जबकि कार्यकारी समिति की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्यों का होता है।

(39) 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7706 के साथ संलग्न 2020 के प्रस्ताव के अनुसार, इंडिपेंडेंट स्कूल संगठन, चंडीगढ़ की बैठक में, अध्यक्ष और संगठन के सचिव को भारत में कहीं भी किसी भी अदालत/प्राधिकरण/न्यायाधिकरण में किसी भी मुकदमे या मुकदमा याचिका या किसी अन्य मुकदमे सहित किसी भी याचिका में संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत और सशक्त किया गया था।उन्हें आगे किसी भी 962 पर मुकदमा करने या बचाव करने के लिए अधिकृत किया गया था।

किसी भी न्यायालय में संगठन का प्रतिनिधित्व आदेश के लिए कार्यवाही या कोई शपथ पत्र/अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करना या किसी भी अधिवक्ता को शामिल करना।बैठक की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि यह सामान्य है और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2016 के अधिनियम को लागू करने के संबंध में वर्तमान रिट अधिसूचना दायर करने के लिए विशिष्ट नहीं है।

(40) संलग्नक पी-13 पर यह दर्शाने के लिए निर्भरता रखी गई है कि 28.11.2019 पर आयोजित बैठक में लगभग 33 सदस्य विद्यालय उपस्थित थे जो हस्ताक्षरों से स्पष्ट है और इसलिए संघ के अनुच्छेदों के खंड 22 में अनिवार्य एक चौथाई कोरम को विधिवत पूरा किया गया था।

(41) हालाँकि 33 सदस्यों के हस्ताक्षर विवाद में नहीं हैं, लेकिन तथ्यात्मक स्थिति यह है कि संगठन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के स्कूल शामिल हैं।वर्तमान रिट याचिका में चुनौती चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना को दी गई है और इसलिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिस्थिति नहीं है।

(42) याचिकाकर्ता संघ की ओर से रिट याचिका के साथ जोड़ा गया 5.01.2020 का प्रस्ताव केवल दिनांकित 28.11.2019 की बैठक के प्रासंगिक उद्धरणों को पुनः प्रस्तुत करता है और आत्यन्तिक रूप से अस्पष्ट है और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं और आदेशों पर हमला करने के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट प्राधिकरण को दर्शाता नहीं है जो वर्तमान याचिका में विवाद में हैं।भले ही हम याचिका में इस दोष को नजरअंदाज कर दें, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि प्रस्ताव दिनांकित सामान्य निकाय की बैठक के आधार पर है और संलग्नक पी-13 के अनुसार, तैंतीस (33) सदस्य हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें से विभिन्न सदस्य स्कूल चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं और इसलिए वे यू. टी. प्रशासन के कार्यों से व्यथित नहीं हैं।

(43) यह न्यायालय रखरखाव की अतिशयोक्तियों में नहीं गया होगा, लेकिन प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सही बताया गया है कि वर्तमान संघ राज्य सरकारों द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को चुनौती देता है, बिना उक्त कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कोई विशिष्ट संकल्प या सदस्य स्कूलों की ओर से कोई विशिष्ट अनुमोदन किए बिना।इसके अलावा यह प्रतिवादी का रुख है कि वर्तमान संघ केवल एक मोर्चा/बादल है जो राज्य

सरकारों/प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करता है, भले ही अधिकांश स्कूल स्वतंत्र विद्यालय के समाज परिवर्तन और प्रबंधन वाले हों।

इस संगठन को चंडीगढ़ में स्थित दो या तीन स्कूलों द्वारा उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संचालित/नियंत्रित किया जा रहा है।उक्त तथ्य की पुष्टि की जाती है, क्योंकि वर्तमान मामले में भी विभिन्न सदस्य स्कूलों ने पहले ही चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है, जो वर्तमान याचिकाओं में चुनौती का विषय है, इसके बावजूद उन सदस्यों की ओर से भी रिट याचिका दायर की गई है जो पहले ही निर्देशों का पालन कर चुके हैं।इस प्रकार हमें जो लगता है वह यह है कि केवल कुछ सदस्य राज्य प्राधिकरणों/सरकार के आदेश से व्यथित हैं, लेकिन संगठन द्वारा याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिसमें सभी सदस्य स्कूलों को पक्षकार बनाया जाता है, कुछ सदस्यों के कहने पर, केवल सरकार पर दबाव बनाने के लिए।यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां विभिन्न स्कूल निर्देशों का पालन करना चाहते हैं और वे व्यथित नहीं हैं, लेकिन संगठन द्वारा चुनौती के कारण अनुपालन करने से बचते हैं।

(44) याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 संगठन द्वारा केवल 49 स्कूलों की ओर से दायर किया गया है, न कि सभी सदस्य स्कूलों यानी 79 की ओर से।यह तर्क स्वयं संगठन के सचिव के 10.07.2020 दिनांकित शपथ पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों के विपरीत है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7706 संघ की ओर से

28.11.2019 पर आयोजित बैठक के आधार पर दायर किया गया है और 28.11.2019 (पी-13) की कार्यवाही के अनुसार, 33 सदस्य हस्ताक्षरकर्ता हैं जिनमें से कई स्कूल चंडीगढ़ के क्षेत्र में भी स्थित नहीं हैं।

(45) भले ही याचिकाकर्ता संघ के वर्तमान तर्क का परीक्षण किया जाना है, यह स्पष्ट करता है कि एक तरफ 33 सदस्यों (जिनमें से कुछ सदस्य चंडीगढ़ से संबंधित नहीं हैं) की उपस्थिति में बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है (चंडीगढ़ में स्थित 49 सदस्य स्कूलों के लिए) सोसाइटी के आर्टिकल्स ऑफ संगठन के बल पर, जो सभी सदस्यों को समाज के निर्णय से बाध्य बनाता है।दूसरी ओर जब संगठन को वर्तमान याचिका दायर करने के अधिकार के मुद्दे का सामना करना पड़ता है क्योंकि संगठन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यू. टी. चंडीगढ़ राज्य के सदस्य स्कूल शामिल हैं और इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित नहीं होने के बावजूद संगठन के सभी सदस्य इसके निर्णय से बाध्य हैं, तो यह तर्क दिया जा रहा है कि रिट याचिका केवल 49 सदस्यों तक ही सीमित है और सभी सदस्य स्कूल सोसाइटी के निर्णय से बाध्य नहीं हैं।याचिकाकर्ता का वर्तमान तर्क 964

संगठन अपने आप में विरोधाभासी है और इस प्रकार इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। (46) यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संघ/संघ का अधिस्थिति है।हालाँकि यदि संघ किसी भी सामान्य हित या चिंता के बिना एक राहगीर या आधिकारिक हस्तक्षेपकर्ता से अधिक नहीं है, तो उनके लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं खुलेंगे।

(47) यह न्यायाधीशालय इस तथ्य से भी अवगत है कि सहभागी न्यायाधीश हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है।एक याचिका बनाए रखने योग्य है यदि व्यक्तियों के बड़े समूह के साथ आम शिकायत मौजूद है और वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक संघ बनाकर माननीय न्यायालय से संपर्क करते हैं।लेकिन वर्तमान मामले में प्रासंगिक कारक यह है कि कोई आम शिकायत मौजूद नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता संघ चंडीगढ़ के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।याचिकाकर्ता संघ में पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ के सदस्य स्कूल शामिल हैं।संगठन के उपनियमों के अनुसार, सभी सदस्य सामान्य निकाय के निर्णय से बाध्य हैं।यदि वर्तमान याचिका, वर्तमान प्रपत्र में, रिट याचिका के साथ संलग्न प्रस्ताव के आधार पर विचार किया जाना है, तो पंजाब, हरियाणा

और हिमाचल प्रदेश राज्यों के स्कूल भी वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार हैं, भले ही उन्हें कोई शिकायत न हो।

(48) इसके अलावा चंडीगढ़ में काम कर रहे संगठन के सदस्यों के बीच भी विभिन्न सदस्यों ने पहले ही बिना किसी आपत्ति के चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशों का पालन किया है।कथित प्रस्ताव 28.11.2019 पर आयोजित कार्यवाही के आधार पर है जो यह स्पष्ट करता है कि न तो चंडीगढ़ के सभी सदस्य स्कूलों ने वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया था और न ही कार्यवाही के लिए हस्ताक्षर करने वाले सभी सदस्य चंडीगढ़ के हैं।

(49) याचिकाकर्ता-संघ ने भी इस न्यायालय से स्वच्छ हाथों से संपर्क नहीं किया है और यह सुनिश्चित करने के इरादे से तथ्यों को दबाने का प्रयास किया है कि याचिका की स्थिरता उसके रास्ते में न आए।याचिकाकर्ता-संगठन ने रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर 1 में कहा है कि संगठन में लगभग 78 गैर-सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित स्कूल शामिल हैं, जबकि एक बार संगठन की ओर से विशिष्ट शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया था, यह ध्यान में आया है कि संगठन में 79 स्कूल शामिल हैं।यहां तक कि शपथ पत्र की सामग्री में भी यह खुलासा नहीं किया गया है कि हिमाचल प्रदेश का स्कूल भी वर्तमान संघ का सदस्य है।यह केवल एक बार है जब इस न्यायालय ने संलग्नक पी-12 का अवलोकन किया, यह ध्यान में आया कि हिमाचल

प्रदेश भी वर्तमान संघ का सदस्य है।(50) वर्तमान याचिका संघ द्वारा दायर की गई है और संघ के उपनियमों के अनुसार सभी सदस्य सामान्य निकाय के निर्णय से बाध्य हैं।इस प्रकार यह राशि होगी कि रिट याचिका में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सदस्य विद्यालय भी शामिल है।न तो हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूल को चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाइयों के खिलाफ कोई शिकायत हो सकती है और न ही इस अदालत के पास ऐसे स्कूल की किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो सकता है।संगठन की ओर से उक्त तथ्य को उजागर न करने और छिपाने से चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को बल मिलता है कि संगठन एक कृत्रिम बादल है जो पारदर्शी तरीके से स्कूलों के कामकाज में बाधा पैदा कर रहा है।

(51) इसके अलावा याचिकाकर्ता संघ (जिसमें चंडीगढ़, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य के स्कूल शामिल हैं) के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(52) यह भी ध्यान दें योग्य है कि 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में याचिकाकर्ता संघ के साथ, याचिकाकर्ता संख्या 2 (सेंट सोल्जर इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटी, सेंट सोल्जर इंटरनेशनल स्कूल) और याचिकाकर्ता 3 (सौपिन एजुकेशन फाउंडेशन, सुआपिन्स स्कूल) जो वर्तमान में रिट याचिका में दिए गए कथन के अनुसार संघ के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र क्षमता में संबंधित स्कूलों को चलाने वाली समितियों द्वारा से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(53) इसलिए 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में उठाए गए मुद्दों और शिकायतों को याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 की ओर से निपटाया जा रहा है।लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 1 अर्थात स्वतंत्र विद्यालय संघ की ओर से रिट याचिका को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

(54) कि यद्यपि यह न्यायालय वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को गुण-दोष के आधार पर देख रहा है, लेकिन यह न्यायालय इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता स्कूलों की कार्रवाइयों पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।समाज के उत्थान के लिए अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान आदेश के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को सिखाना स्कूलों का कर्तव्य है।लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ स्कूल स्वयं अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं जैसे कि एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ भौतिक तथ्यों को छिपाना।2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7761 सोसायटी (कबीर एजुकेशन सोसाइटी) के साथ-साथ सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल (संत कबीर पब्लिक स्कूल) की ओर से दायर किया गया है।याचिकाकर्ता स्कूल इंडिपेंडेंट स्कूल संगठन का सदस्य है जो 966

याचिकाकर्ता द्वारा 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 के पैराग्राफ 3 में स्वीकार किया गया है।इस तथ्य के बावजूद कि संगठन ने इसी तरह की राहत की मांग करने वाली रिट याचिका (2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706) को प्राथमिकता दी थी, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल ने संगठन द्वारा दायर रिट याचिका विचाराधीनता होने का खुलासा किए बिना अलग से रिट याचिका (2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761) को प्राथमिकता दी।(55) 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7706 इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए

4.06.2020 पर सूचीबद्ध किया गया था।जबकि 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 सामने आया।5.6.2020 पर सुनवाई के लिए।चंडीगढ़ के लिए विद्वान वकील जिस प्रशासन को रिट याचिका की अग्रिम प्रति दी गई थी, वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता स्कूल ने 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में संगठन द्वारा से याचिका दायर करने के बावजूद संगठन द्वारा दायर रिट याचिका विचाराधीनता होने का खुलासा किए बिना याचिका का अलग सेट दायर किया, और इस तरह इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि 5.6.2020 पर, मामले को संगठन द्वारा दायर रिट याचिका के साथ टैग किया गया था क्योंकि उसी माननीय न्यायालय ने संगठन द्वारा दायर मामले को पहले ही जब्त कर लिया था, जिसकी सुनवाई 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 की सूची से एक दिन पहले हुई थी।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि माननीय न्यायालय को संघ द्वारा दायर कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं होती, तो 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में रिट याचिकाकर्ता एक अंतरिम आदेश, यदि कोई होता, प्राप्त करने में सफल होते।(56) इस न्यायालय द्वारा 2.7.2020 पर विशिष्ट प्रारंभिक मुद्दा भी तैयार किया गया था कि एक बार जब स्कूल उस संघ के सदस्य हो जाते हैं जो पहले से ही इसी तरह की राहत के लिए एक रिट याचिका दायर कर चुका होता है तो एक अलग रिट याचिका कैसे बनाए रखी जा सकती है।

(57) 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने एक स्पष्ट रुख अपनाया कि हालांकि याचिकाकर्ता स्कूल 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में संघ का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान याचिका में उठाई जा रही शिकायत के लिए, उसने खुद को संघ से अलग कर लिया है और इस तरह व्यक्तिगत रूप से वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है।हालाँकि 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7761 का उक्त रुख एक पश्चात्वर्ती विचार प्रतीत होता है, जैसा कि संलग्नक पी-13 (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7706 में संलग्न) से स्पष्ट है, जिसके अनुसार बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 62 में संत कबीर पब्लिक स्कूल का नाम विधिवत उल्लेख किया गया है और वास्तव में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री. गुरप्रीत सिंह बख्शी, जिन्होंने 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 पर हस्ताक्षर किए हैं, ने स्वयं दिनांकित 28.11.2019 प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

(58) इसके अलावा दिनांकित 2.07.2020 के आदेश के अनुसरण में (ऊपर पैराग्राफ संख्या 8 में पुनः प्रस्तुत किया गया है) जिसके तहत प्रारंभिक निर्गम

रखरखाव के संबंध में, 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में रिट याचिकाकर्ता (सेंट कबीर पब्लिक स्कूल) ने श्री का दिनांक 09.07.2020 (2020 का सी. एम. संख्या 6269) का एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया। गुरप्रीत सिंह बख्शी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संगठन द्वारा से रिट याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि संगठन ने 49 सदस्यों की ओर से रिट याचिका को प्राथमिकता दी है और याचिकाकर्ता का नाम उसमें शामिल नहीं है।इसके अलावा अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा गया है कि अलग से रिट याचिका दायर की गई है ताकि अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा सके, क्योंकि याचिकाकर्ता स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान है।जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि श्री. गुरप्रीत सिंह बख्शी ने स्वयं सेंट कबीर पब्लिक स्कूल (जो याचिकाकर्ता संघ का एक सदस्य स्कूल है) की ओर से कार्यवाही पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार संगठन द्वारा 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 दायर किया गया है और सेंट कबीर पब्लिक स्कूल द्वारा दायर रिट याचिका में उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।इसके अलावा यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता संघ के उपनियमों/संघ के लेखों के अनुसार, सभी सदस्य स्कूल समाज के निर्णय से बाध्य हैं, इसलिए एक बार निर्णय ले लिया गया है जिसमें संत कबीर पब्लिक स्कूल एक हस्ताक्षरकर्ता है, यह तर्क कि संघ द्वारा संत कबीर पब्लिक स्कूल की ओर से रिट याचिका दायर नहीं की गई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(59) याचिकाकर्ता संघ का सदस्य होने के बावजूद, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल की ओर से एक अलग रिट याचिका दायर आदेश की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए दूसरा तर्क यह है कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत निहित अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम को अपनाते समय केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के मुद्दे को उठाने के लिए अलग याचिका को प्राथमिकता दी थी।उक्त तर्क अलग रिट याचिका दायर करने को उचित नहीं ठहराता है क्योंकि यह एक ही याचिका में आदेश पर हमला करने के लिए सभी संभावित आधारों को उठाने के लिए हमेशा खुला है।आदेश पर हमला करने के लिए केवल नए आधार की उपलब्धता अलग याचिका भरने का हकदार नहीं है।अन्यथा वर्तमान तर्क अभिलेख के विपरीत है क्योंकि अल्पसंख्यक का मुद्दा विशेष रूप से संघ (20 का सी. डब्ल्यू. पी. सं.

7706) द्वारा पैराग्राफ सं.41. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि झूठे बयान दिए गए हैं और इस माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे कथन वाले 09.07.2020 दिनांकित शपथ पत्र दायर किए गए हैं।

(60) न्यायाधीशालय में या अभिवचनों में दिया गया झूठा बयान, जानबूझकर न्यायाधीशालय को गुमराह करने और अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए, आपराधिक अवमानना के बराबर है, क्योंकि यह न्यायाधीश के प्रशासन में बाधा डालता है।

(61) याचिकाकर्ता (सेंट कबीर पब्लिक स्कूल) संभवतः उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति का खंडन नहीं कर सकता है और एक अंतिम उपाय के रूप में, वकील द्वारा से प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा एक अलग याचिका दायर करने से कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी मामले में दोनों रिट याचिकाओं को एक साथ टैग किया गया था और यहां तक कि अलग रिट याचिका दायर किए बिना भी, माननीय न्यायालय ने संगठन द्वारा दायर रिट याचिका में मामले को पहले ही जब्त कर लिया था।

(62) हमारा विचार है कि अवमानकर्ता ने कोई लाभ प्राप्त किया है या नहीं, यह पूरी तरह से महत्वहीन है।न्यायालय के समक्ष दिया गया झूठा बयान और गलत अभिकथन वाले दिनांक 09.07.2020 के शपथ पत्र को भरना, (विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 2.7.2020 के आदेश में उठाए गए प्रारंभिक मुद्दे की पृष्ठभूमि में), न्यायालय का अवमान के बराबर होगा।अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के दायरे और उद्देश्य पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुर्रे एंड कंपनी बनाम अशोक के. आर. में चर्चा की गई है। न्यूएशिया,2. न्यायालय का अवमान अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य जैसा कि मर्रे एंड कंपनी (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है और जो हमारे द्वारा निकाला गया है, वह इस प्रकार हैः-

(i) जब न्यायालय का अवमान का अपराध किया जाता है, तो यह पूरी तरह से मायने नहीं रखता है कि अवमानकर्ता को कोई लाभ मिला या नहीं।

((ii) अवमानना के लिए सजा का उद्देश्य कानून का शासन और न्यायाधीश का व्यवस्थित प्रशासन सुनिश्चित करना और अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है क्योंकि लोगों के मन में इस तरह की महिमा की छवि को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

((iii) अदालतों द्वारा आदेशित सम्मान और अधिकार एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी गारंटी है।यदि न्यायपालिका के प्रति सम्मान को कम किया जाता है तो समाज का पूरा लोकतांत्रिक ताना-बाना ध्वस्त हो जाएगा।

((iv) न्यायपालिका जो करती है उसके लिए न्यायपालिका को लोगों द्वारा आंका जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की स्थिति में, जिसे कानून की महानता को प्रभावित करने वाला भी कहा जा सकता है, समाज न्यायपालिका में विश्वास और विश्वास खोने के लिए बाध्य है और कानून अदालतें सामान्य रूप से लोगों के विश्वास और विश्वास को खो देंगी।

(63) समता न्यायालय में जाने वाले याचिकाकर्ताओं को भी जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए और 2000 (1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 729 में बाधा के रूप में कार्य नहीं करना चाहिएः

(2000)2 एस. सी. सी. 367

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 969

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

न्यायाधीश का प्रशासन।

इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)न्याय का प्रशासन। इसलिए, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर, संत कबीर द्वारा दायर 2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7761 की रखरखाव के संबंध में दिनांक 02.07.2020 के आदेश के माध्यम से तैयार किए गए थे। पब्लिक स्कूल, एसोसिएशन का सदस्य कुछ प्रारंभिक मुद्दे होने के नाते, जिसने पहले ही 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7706 को प्राथमिकता दी है। रिट याचिकाकर्ता, सीडब्ल्यूपीनो में संत कबीर पब्लिक स्कूल। 2020 के 7761 ने श्री का शपथ पत्र प्रस्तुत करना चुना। गुरप्रीत सिंह बख्शी ने इस अदालत के समक्ष अपने वकील के माध्यम से गलत बयानबाजी की और अपने कुकृत्य को सही ठहराते हुए गलत दलीलें पेश कीं। हमारा मानना कि श्री. 2020 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7761 में हस्ताक्षरकर्ता गुरप्रीत आदेशरिट

याचिकाकर्ता, 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में सेंट कबीर पब्लिक स्कूल ने श्री का शपथ पत्र प्रस्तुत करने का फैसला किया। गुरप्रीत सिंह बख्शी ने अपने कुकर्म को उचित ठहराते हुए इस अदालत के समक्ष अपने वकील द्वारा से गलत दावे किए और गलत दलीलें दीं।हमारा विचार है कि श्री. 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में हस्ताक्षरकर्ता गुरप्रीत सिंह बख्शी के खिलाफ आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई की जा सकती है।हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एस। गुरप्रीत सिंह बख्शी एक शिक्षाविद् हैं, जो चंडीगढ़ में एक प्रसिद्ध स्कूल चलाते हैं, हम अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने से बचते हैं और भविष्य में बेहद सावधान रहने और अदालत के मामलों से निपटने के दौरान जिम्मेदारी से काम करने की सलाह देते हुए उन्हें जाने देते हैं।

आई. एस. एस. यू. ई. एन. ओ. एस. (ii) और (iii)

(64) चूंकि मुद्दा संख्या (ii) और (iii) परस्पर व्याप्त हैं, इसलिए इन्हें एक साथ निपटाया गया है।

(65) 1966 के अधिनियम की खंड 87 निम्नानुसार हैः- "87. चंडीगढ़ तक अधिनियमों का विस्तार करने की शक्ति।—केंद्र सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, इस तरह के प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ विस्तारित यह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए कोई भी अधिनियम जो अधिसूचना की तारीख से किसी राज्य में लागू है, उचित समझता है।

(66) उपरोक्त मुद्दों में शामिल विवाद अब एकीकृत नहीं है और रमेश ब्रिच और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।बनाम भारत संघ और भारत के अन्य 3 वर्तमान मुद्दों के संबंध में पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों के समान हैं।

रमेश बिर्च का मामला (ऊपर)।

(67) रमेश बिर्च के मामले में शामिल मुद्दे, जैसा कि पैरा संख्या 11 में देखा गया है, निम्नानुसार हैंः-

3 1989 (उप 1) एस. सी. सी. 430:एयर 1990 एससी 560।

"11.प्रत्यक्षतः, आक्षेपित अधिसूचना खंड 87 के अंतर्गत प्रतीत होती है।1985 का अधिनियम अधिसूचना की तारीख को राज्य में लागू एक अधिनियम है और खंड 87 स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को इसका विस्तार करने की अनुमति देती है। चंडीगढ़।यदि याचिकाकर्ता/अपीलार्थी इसकी वैधता को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें या तो यह तर्क देना होगा कि खंड 87 स्वयं संविधान के अधिकार अधिकारातीत है या यह कि, हालांकि खंड 87 एक वैध प्रावधान है, इसके उचित निर्माण पर, अधिसूचना इसके तहत अनुमत विस्तार के क्षेत्र से परे जाती है और इसलिए अमान्य है।इन दोनों दलीलों पर हमारे सामने जोर दिया गया है।श्री गुजराल को बाद के तर्क पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे अपना प्रमुख तर्क बना लिया था, जिसमें उन्होंने पहले वाले को विकल्प के रूप में एक याचिका के रूप में लिया था।लेकिन युवा श्री स्वरूप ने साहसपूर्वक खंड 87 की वैधता पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि वैकल्पिक तर्क के रूप में श्री गुजराल के प्रमुख तर्क का भी समर्थन किया।हम इन दोनों तर्कों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।"

(68) इस न्यायालय को वर्तमान मुद्दों के संबंध में उठाई गई दलीलों की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त दलीलों पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उन पर विचार किया गया है और इस तरह यह न्यायालय रमेश बिर्च के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय से बाध्य है।उसी के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:-

"23. लेकिन, इन विशेषताओं के अलावा, हम सोचते हैं कि खंड 87 "नीति और दिशानिर्देश" सिद्धांत पर भी काफी मान्य है यदि किसी को अधिनियम के संदर्भ और अधिनियम की खंड 87 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान है। ऊपर उल्लिखित न्यायिक निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि विधायिका को अपनी नीति के सभी पहलुओं को पार करना चाहिए।यह पर्याप्त है यदि यह विधायिका की सामान्य नीति का व्यापक संकेत देता है।यदि हम इसे ध्यान में रखते हैं और इस प्रकार के विधान के इतिहास को ध्यान में रखते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होगी।खंड 87, अधिनियम I, II और III के प्रावधानों की तरह, केंद्र के विधायी अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आवश्यक प्रावधान है।ये निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच में स्थित क्षेत्र हैं जिनके पास एक उचित विधायिका है।वे संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे क्षेत्र हैं जो

उनके पास उनकी सभी विधायी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के विवरण की देखभाल करने के लिए शायद ही पर्याप्त समय है।संसद द्वारा उनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता या अपेक्षा करने से इसकी विधायी अनुसूची पर असमान दबाव पड़ेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि बड़ी संख्या में संसद सदस्यों के समय का अनावश्यक उपयोग, केंद्र शासित प्रदेश से संसद में लौटे कुछ (दस से कम) सदस्यों को छोड़कर, इस तरह के कानून में किसी और की रुचि होने की संभावना नहीं है।ऐसी स्थिति में, उनके लिए कानून बनाने का सबसे सुविधाजनक तरीका देश के अन्य क्षेत्रों में लागू कानूनों का अनुकूलन है।जैसा कि न्यायाधीश फजल अली ने दिल्ली कानून अधिनियम मामले में बताया, यह ऐसे कानून बनाने की शक्ति नहीं है जो प्रत्यायोजित किए गए हैं, बल्कि केवल संसद या राज्य विधानसभाओं में से किसी एक द्वारा जांच के बाद पहले से लागू कानूनों को "प्रतिस्थापित" करने की शक्ति है, और वह भी बिना किसी भौतिक परिवर्तन के।हमारे सामने कोई विवाद नहीं है और सभी निर्णयों में सर्वसम्मति से यह माना गया है कि इस प्रकार के खंड में संशोधन और प्रतिबंध लगाने की शक्ति एक बहुत ही सीमित शक्ति है, जो केवल उन परिवर्तनों की अनुमति देती है जिनकी विभिन्न संदर्भों में आवश्यकता होती है न कि सार में परिवर्तन।खंड 89 के तहत निश्चित रूप से निरसन या संशोधन के आधार पर संशोधन की कोई शक्ति उपलब्ध नहीं है।

25. जहां तक श्री स्वरूप द्वारा निर्दिष्ट पहले पहलू का संबंध है, यह प्रावधान केवल कार्यपालिका को यह निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, देश की किसी न किसी विधानसभा द्वारा अनुमोदित कई कानूनों में से कौन सा कानून चंडीगढ़ के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस प्रकार यह देखा गया है कि यह पी में निर्दिष्ट प्रतिनिधि मंडल की अनुमेय श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आएगा।814 दिल्ली विधि अधिनियम मामले में और हमारे द्वारा पहले निकाले गए और यदि ऐसा है, तो यह वास्तव में एक दिशाहीन या मनमाना शक्ति नहीं है। वहाँ हो सकता है यदि इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि निकटवर्ती राज्यों (जैसे पंजाब) में से किसी एक के कानूनों का विस्तार चंडीगढ़ तक किया जाना चाहिए, तो इस कानून पर कोई आपत्ति नहीं है।लेकिन इस तरह का प्रावधान दो कारणों से स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त होता।निकटवर्ती राज्यों में किसी विषय पर एक से अधिक कानून लागू हो सकते हैं जैसे कि पंजाब में एक, पेप्सू में एक और हिमाचल प्रदेश में एक आदि और संसद को चिंता थी कि चंडीगढ़ को उस 972 का लाभ मिलना चाहिए।

उनमें से जो उस क्षेत्र की स्थिति की जरूरतों को सबसे पर्याप्त रूप से पूरा करेंगे।या, फिर से, किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में किसी विशेष विषय पर कोई मौजूदा कानून नहीं हो सकता है, यही कारण है कि शक्ति में भारत के किसी भी राज्य के कानूनों को बढ़ाने की शक्ति शामिल थी।जबकि, एक बहुतसटीक अर्थों में, इसमें एक विकल्प शामिल हो सकता है, यह वास्तव में और सामान्य मामलों में, नीति के चयन के बजाय अनुकूलन के लिए उपयुक्तता पर केवल एक निर्णय है।यह एक प्रतिनिधिमंडल है, किसी नीति का नहीं, बल्कि एक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के लिए विस्तार के मामलों का है, जिसके लिए संसद के पास समय नहीं है।भले ही हम यह मान लें कि इसमें नीति का एक विकल्प शामिल है, ऐसी नीति का संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित होने पर प्रतिबंध "नीति-दिशानिर्देश" सिद्धांत के अर्थ के भीतर दिशानिर्देश की पर्याप्त घोषणा का गठन करता है।

26. श्री स्वरूप द्वारा संदर्भित दूसरा पहलू, फिर से, संदर्भ में, "त्याग" का संकेत नहीं है, बल्कि केवल एक आवश्यक पहलू है।सक्षम शक्ति।एक बार जब यह माना जाता है कि वर्तमान मौजूदा कानून का विस्तार करने की शक्ति का हस्तांतरण उचित है, तो भविष्य के कानूनों का विस्तार करने की शक्ति एक आवश्यक परिणाम है।

यहाँ फिर से इसकी वैधता का परीक्षण इस बात पर विचार करके किया जा सकता है कि स्थिति क्या होती यदि खंड ने केवल निकटवर्ती कानूनों के विस्तार के लिए प्रावधान किया होता।क्षेत्र, पंजाब कहें।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पंजाब में मौजूदा कानूनों का विस्तार करने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजित की जा सकती थी।यदि संसद ने ऐसी नीति तैयार की क्योंकि उसके पास शुरू में अनुकूलित किए जाने वाले मौजूदा कानून पर अपना दिमाग लगाने का समय नहीं था, तो उसे समय-समय पर इसके मूल राज्य में किए गए संशोधनों पर विचार करने के लिए शायद ही समय मिल सके। इसलिए एक बार जब पंजाब के कानूनों के विस्तार की नीति स्पष्ट और अनुज्ञेय हो जाती है तो यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में स्वाभाविक प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को उन कानूनों में भी भविष्य में संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।भविष्य में किसी भी कानून का विस्तार करने की शक्ति पर उपरोक्त संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए और न केवल उसी कारण से प्रदान किया जा सकता है, बल्कि उसी कारण से भी प्रदान किया जाना चाहिए, जो वर्तमान सन्निहित कानून का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करने को उचित ठहराता है।मुखर्जी, जे. ने दिल्ली कानून अधिनियम मामले में बात की है।यह मुद्दा।जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है, भविष्य के किसी भी कानून का विस्तार करने के लिए किसी शक्ति के प्रत्यायोजन की वैधता का सवाल

कठिनाई से मुक्त नहीं।यदि प्रावधान पर संक्षिप्त सार रूप से विचार किया जाता है और इसके पूर्ण संभव दायरे के आधार पर इसका अर्थ लगाया जाता है, तो इसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।लेकिन यदि इसका विधान के ऐतिहासिक संदर्भ, स्थिति की आवश्यकताओं और इसके इच्छित अनुप्रयोग की सीमा के उचित व्यावहारिक मूल्यांकन में अर्थ लगाया और न्याय किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसमें खंड 87 में शामिल प्रत्यायोजन की सीमा की वैधता को बनाए रखने के लिए लीऑर्ड नीति का पर्याप्त संकेत है।हम इस संदर्भ में फिर से दोहरा सकते हैं कि अदालतें, तय किए गए मामलों में, किसी नीति के सभी विवरणों में सावधानीपूर्वक व्याख्या की परिकल्पना नहीं करती हैं।वे संतुष्ट होते हैं भले ही वे कानून के उद्देश्य और योजना से किसी की हल्की-फुल्की झलक भी देख सकें।

27. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हम खंड 87 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हैं।

((69) कि रमेश बिर्च के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम कृष्ण ग्रोवर बनाम राम कृष्ण ग्रोवर के मामले में किया है।

भारत संघ 4 राम कृष्ण ग्रोवर के मामले में चुनौती (ऊपर)

यह पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 (संक्षेप में, 'किराया अधिनियम') की खंड 13 बी की संवैधानिक वैधता के लिए था और केंद्र सरकार द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की खंड 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इसका अधिसूचना किया गया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1966 के अधिनियम की खंड 87 के तहत शक्तियों का उपयोग करके केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक कानूनों को अनुकूलित करने और विस्तारित करने की कार्यपालिका की शक्ति को बरकरार रखा।

राम कृष्ण ग्रोवर के मामले (उपरोक्त) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः-

" उ. क्या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा चंडीगढ़ तक किराया अधिनियम की खंड 13 बी का विस्तार करते हुए पुनर्गठन अधिनियम की खंड 87 के तहत जारी अधिसूचना अमान्य है?

16. रमेश बिर्च (ऊपर) में, पहले की संवैधानिक पीठ

4 2020 पीएलआर 671:एआईआर 2020 एससी 3226।

दिल्ली विधि अधिनियम 1912, अजमेर मेरवाड़ा (विधि विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम, 1950, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 332 में इस न्यायालय के निर्णय की जांच की गई।

और कनिया, सी. जे., फजल अली, पतंजलि शास्त्री, महाजन, मुखर्जी, दास और बोस जे. जे. के सात अलग-अलग विचारों पर विचार करने के बाद स्पष्ट किया। कनिया, सी. जे. और जे. महाजन को छोड़कर सभी न्यायाधीशों ने दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 की खंड 7, अजमेर मेरवाड़ा (विधि विस्तार) अधिनियम, 1947 की खंड 2 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम की खंड 2 के पहले भाग के प्रावधानों को बरकरार रखा था। तथापि, बोस और जे. जे. मुखर्जी ने अपने द्वारा बताए गए कारणों से कनिया, सी. जे. और महाजन, जे. के साथ भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की खंड 2 के दूसरे भाग को निरस्त करने में बहुमत बनाया था, जिसके द्वारा कार्यपालिका को किसी भी संबंधित कानून (केंद्रीय अधिनियम के अलावा) के निरसन या संशोधन के लिए इस तरह विस्तारित किसी भी अधिनियम में प्रावधान करने की शक्ति दी गई थी, जो उस भाग सी राज्य पर उस समय लागू था।यह देखा गया कि खंड 2 का यह भाग अत्यधिक प्रत्यर्पण और विधानमंडल द्वारा शक्ति के त्याग के दोष से ग्रस्त है।एक पूर्व निर्णय की कसौटी पर

आर. वी. में प्रिवी काउंसिलबुराह, (1878) 5 इंड अति.लो.अभि. 178

(पी. सी.), रमेश बिर्च (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने पुनर्गठन अधिनियम की खंड 87 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इसे 'नीति और दिशानिर्देश' सिद्धांत पर वैध ठहराया था, यदि किसी को पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ और पुनर्गठन अधिनियम की खंड 87 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य का उचित सम्मान है। यह देखा गया:

"23.लेकिन, इन विशेषताओं के अलावा, हम सोचते हैं कि खंड 87 "नीति और दिशानिर्देश" सिद्धांत पर भी काफी मान्य है यदि किसी को अधिनियम के संदर्भ और अधिनियम की खंड 87 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान है। ऊपर उल्लिखित न्यायिक निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि विधायिका को अपनी नीति के "सभी 'आई' और सभी 'टी' को पार करना चाहिए।यह पर्याप्त है यदि यह विधायिका की सामान्य नीति का व्यापक संकेत देता है।यदि हम इसे ध्यान में रखते हैं और इस प्रकार के विधान के इतिहास को ध्यान में रखते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होगी।खंड 87, अधिनियम I, II और III के प्रावधानों की तरह, एक ऐसा प्रावधान है जो परिवर्तनों के कारण आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र उसके विधायी अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

केंद्र।ये निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच में स्थित क्षेत्र हैं जिनके पास एक उचित विधायिका है।वे संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आने वाले छोटे क्षेत्र हैं जिनके पास अपनी सभी विधायी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के विवरण की देखभाल करने के लिए शायद ही पर्याप्त समय है।संसद द्वारा उनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता या अपेक्षा करने से इसकी विधायी अनुसूची पर असमान दबाव पड़ेगा।इसका मतलब यह भी होगा कि बड़ी संख्या में संसद सदस्यों के समय का अनावश्यक उपयोग, केंद्र शासित प्रदेश से संसद में लौटे कुछ (दस से कम) सदस्यों को छोड़कर, इस तरह के कानून में किसी और की रुचि होने की संभावना नहीं है।ऐसी स्थिति में, उनके लिए कानून बनाने का सबसे सुविधाजनक तरीका देश के अन्य क्षेत्रों में लागू कानूनों का अनुकूलन है।जैसा कि फजल अली, जे. ने दिल्ली कानून अधिनियम मामले [ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 332 में बताया:1951 एस. सी. आर. 747] यह प्रत्यायोजित कानूनों को बनाने की शक्ति नहीं है, बल्कि केवल संसद या राज्य विधानसभाओं में से किसी एक द्वारा जांच के बाद पहले से लागू कानूनों को "प्रतिस्थापित" करने की शक्ति है, और वह भी बिना किसी भौतिक परिवर्तन के।हमारे सामने कोई विवाद नहीं है-और यह सभी निर्णयों में सर्वसम्मति से माना गया है-कि इस प्रकार के खंड में संशोधन और प्रतिबंध लगाने की शक्ति एक बहुत ही सीमित शक्ति है, जो केवल उन परिवर्तनों की अनुमति देती है जिनकी विभिन्न संदर्भों में आवश्यकता होती है और सार में परिवर्तन नहीं।निश्चित रूप से निरसन या संशोधन के माध्यम से संशोधन की कोई शक्ति नहीं है जैसा कि खंड 89 के तहत उपलब्ध है।

17. रमेश बिर्च (उपरोक्त) ने कहा था कि एक बार किराया अधिनियम के विस्तार की नीति स्पष्ट और अनुमेय हो जाने के बाद, यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में स्वाभाविक प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किराया अधिनियम में भविष्य के संशोधनों का विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।विभिन्न निर्णयों और दिल्ली कानून अधिनियम (उपरोक्त) में व्यक्त किए गए विचारों की व्यापक जांच के बाद, अधिसूचना को निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ बरकरार रखा गयाः

"31.इन तर्कों में निश्चित रूप से काफी बल है लेकिन हम सोचते हैं कि वे वर्तमान मामले में आक्षेपित अधिसूचना के प्रभाव के बारे में गलत दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं।हम विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं जिसका प्रभाव 976 का था।

अधिसूचना कानून का विस्तार करने के लिए थी जो किसी भी संसदीय अधिनियम के साथ "वास्तविक संघर्ष" में है या जिसका केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मौजूदा कानून को "फेंकने" का प्रभाव है।एक समान संदर्भ में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति को उधार लेने के लिए, हम विस्तार की वैधता को संदिग्ध मानते यदि विस्तारित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश में लागू संसद के एक अधिनियम के प्रतिकूल होते।जब तक वह प्रभाव या परिणाम नहीं है, हम सोचते हैं कि खंड 87 के दायरे को वकील द्वारा सुझाए गए प्रतिबंधित तरीके से समझने का कोई कारण नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड 87 विस्तार की अनुमति देती है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में किसी विशेष विषय के संबंध में कोई कानून नहीं है और संसद के पास अपनी व्यस्तताओं के कारण मामले में भाग लेने के लिए आवश्यक समय नहीं है।लेकिन इस उद्देश्य के लिए इसकी वैधता की आवश्यकता नहीं है कि किसी विषय पर संसद का कोई मौजूदा कानून नहीं होना चाहिए। फिर से इस तर्क के उद्देश्यों के लिए "विषय" की अवधारणा भी एक लोचदार है जिसका सटीक दायरा परिभाषित नहीं किया जा सकता है।वैक्यूम की अवधारणा उस मामले के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जहां किसी मौजूदा कानून में किसी विशेष प्रावधान का अभाव है, जितना कि उस मामले के लिए जहां किसी विषय पर केंद्र शासित प्रदेश में कोई मौजूदा कानून की अनुपस्थिति में है।उदाहरण के लिए, यदि संसद ने 1974 का अधिनियम लागू नहीं किया था, लेकिन केवल चंडीगढ़ में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का विस्तार किया था, तो क्या यह कहा जा सकता था कि बाद की अधिसूचना 1949 के अधिनियम के प्रावधानों को चंडीगढ़ तक नहीं बढ़ा सकती क्योंकि पट्टों का विषय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा शासित है जिसे पहले ही बढ़ा दिया गया है और इसलिए कोई

"शून्य" नहीं बचा है जिसे इस तरह के विस्तार से भरा जा सकता है?पुनः, मान लीजिए कि प्रारंभ में, संसद द्वारा एक किराया अधिनियम का विस्तार किया जाता है जिसमें उन आधारों में से एक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जिस पर एक मकान मालिक बेदखली की मांग कर सकता है-जैसे कि, मालिक को पुनः कब्जा करने के लिए अपना घर वापस पाने में सक्षम बनाना-और फिर सरकार सोचती है कि इस तरह के प्रावधान वाले एक अन्य अधिनियम को भी बढ़ाया जा सकता है, क्या यह प्रशंसनीय रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बाद वाला एक ऐसा मामला है जिस पर क्षेत्र में कोई कानून नहीं बनाया गया है और बाद वाले अधिनियम का विस्तार केवल एक शून्य या रिक्ति को भरता है?एक बार फिर, मान लीजिए कि एक सामान्य संहिता के प्रावधान जैसे, मान लीजिए, सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश तक किया गया है, क्या हमें खंड 87 का अर्थ स्वतंत्र विद्यालय के समाज परिवर्तन के रूप में लगाना चाहिए।

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 977

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

सी. पी. सी. के आदेशों में से एक के लिए नियमों में से एक में बाद के संशोधन के विस्तार को केवल इस आधार पर रोकें कि इसका प्रभाव किसी मौजूदा कानून को बदलने या संशोधित करने का होगा?हम समझते हैं कि इस प्रकार खंड 87 जैसे प्रावधान के दायरे को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करना सही नहीं होगा।हम समझते हैं कि इस सिद्धांत को रखने का बेहतर तरीका यह कहना है कि मौजूदा कानून में परिवर्धन करने वाले अधिनियम का विस्तार भी खंड 87 के तहत तब तक स्वीकार्य होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पहले से मौजूद कानून के साथ निरसन या टकराव नहीं करता है या इसके प्रतिकूल नहीं है।इस संदर्भ में, टिप्पणियों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है

हरि शंकर बागला [हरिशंकर बागला बनाम एम. पी. राज्य, (1955) 1 एस. सी. आर. 380] में पी.391, जो लगता है

प्रत्यायोजित विधान के एक टुकड़े द्वारा किसी मौजूदा कानून को "दरकिनार" करना और केवल मौजूदा कानून को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरस्त करने के प्रयास पर रेखा खींचना।एक अर्थ में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी जोड़, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, मौजूदा कानून में संशोधन या बदलाव करता है, लेकिन जब तक यह वास्तव में इससे अलग या इसके साथ संघर्ष नहीं करता है, तब तक कोई कारण नहीं है कि इसे मौजूदा कानून के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए।हमारे विचार में खंड 87 की

व्याख्या रचनात्मक रूप से की जानी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य को प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके न कि इस तरह से जो इसकी प्रभावकारिता या उद्देश्य से विचलित हो जाए।हम यह भी ध्यान दें कर सकते हैं, संयोग से विधायी व्यवहार में भी, इस तरह के क्रमिक परिवर्तनों को एक साथ खड़े होने की अनुमति दी गई है।

लछमी नारायण बनाम भारत संघ [(1976) 2 एस. सी. सी. 953]

यह बताता है कि कैसे बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 को अधिनियम III के तहत दिल्ली तक बढ़ाया गया था, जिसे बाद में 1956 और 1959 के संसद अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा इसे संशोधित करने की भी मांग की गई थी।इन अधिसूचनाओं को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिसूचना द्वारा विस्तार करने की शक्ति का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और यह कि विवादित अधिसूचना ने न केवल विस्तार किया बल्कि अधिनियम में पर्याप्त प्रकृति के संशोधनों को भी प्रभावित किया।हालाँकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया गया कि 1956 और 1959 में संसद के हस्तक्षेप के बाद बंगाल अधिनियम का कोई विस्तार नहीं हो सकता था क्योंकि इसका संसदीय कानून को जोड़ने या बदलने का प्रभाव पड़ता क्योंकि वे एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकते थे।इसलिए हम सोचते हैं कि 1985 के अधिनियम के विस्तार के बाद से केवल 978 जोड़े गए हैं।

1974 के अधिनियम में शामिल नहीं किए गए पहलुओं के संबंध में प्रावधान और इस तरह से असंगत नहीं है कि विवादित अधिसूचना काफी वैध है और इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।18. सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान के बीच का अंतर इस न्यायालय द्वारा वासु में समझाया गया था।

देव सिंह बनाम भारत संघ, 2006 (2) आर. सी. आर. (किराया) 561:

(2006) 12 एस. सी. सी. 753 निम्नलिखित शब्दों में:

"16..... सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान के बीच का अंतर स्पष्ट और स्पष्ट है। एक सशर्त विधान में प्रतिनिधि को किसी क्षेत्र में कानून को लागू करना होता है या इसे लागू करने के समय और तरीके को निर्धारित करना होता है या ऐसे समय पर, जब वह निर्णय लेता है या विधान के नियम को समझने के लिए, यह एक सशर्त विधान होगा।ऐसे मामले में विधायिका कानून बनाती है, जो सभी मामलों में पूर्ण है लेकिन उसे तुरंत लागू

नहीं किया जाता है।कानून का प्रवर्तन किसी शर्त की पूर्ति पर निर्भर करेगा और कार्यपालिका को जो सौंपा गया है वह अपने स्वयं के निर्णय का प्रयोग करके यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या ऐसी शर्तें पूरी हो गई हैं और/या वह समय आ गया है जब इस तरह के कानून को लागू किया जाना चाहिए।इसलिए, किसी कानून का प्रभाव सरकार के कार्यकारी अंग द्वारा ऐसे तथ्य या शर्त के निर्धारण पर निर्भर करता है। हालाँकि, प्रत्यायोजित विधान में कानून बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन शामिल है और इस तरह के क्षेत्र को उसके कारण लागू करने के लिए एक कार्यकारी प्राधिकरण को अधिकृत करता है।प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका को दिया गया विवेकाधिकार बहुत व्यापक है।तथापि, नियम या विनियम बनाने की ऐसी शक्ति का प्रयोग अधिनियम के चारों कोणों के भीतर किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान, इस प्रकार, एक उपकरण है जिसे विधायिका द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग विधान में निर्धारित तरीके से किया जाता है।

17. हमरद दावा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1960

एस. सी. 554 इस न्यायालय ने कहाः

"सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान के बीच अंतर यह है कि पूर्व में प्रतिनिधि की शक्ति यह निर्धारित करने की है कि एक विधायी घोषित आचरण नियम कब प्रभावी होगा; हैम्पटन एंड कंपनी बनाम।अमेरिका और उत्तरार्द्ध में नियम बनाने की शक्ति का प्रतिनिधिमंडल शामिल है

जिनका संवैधानिक रूप से प्रशासनिक अभिकर्ता द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।इसका मतलब है कि विधायिका ने कानून में अपनी नीति के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया है, फिर प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने के लिए विवरण छोड़ सकती है। दूसरे शब्दों में प्रत्यायोजित विधान द्वारा प्रतिनिधि कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विवरण प्रदान करके कानून को पूरा करता है और सशर्त कानून के मामले में कानून की शक्ति का प्रयोग विधायिका द्वारा सशर्त रूप से एक बाहरी प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाता है और साथ ही उस क्षेत्र का निर्धारण भी किया जाता है जहां इसे विस्तारित किया जाना है; "वर्तमान मामले में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संशोधन अधिनियम का विस्तार सशर्त प्रतिनिधि मंडल के दायरे में आता है और यह वैध और अनुमेय है।

19. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में और रमेश बिर्च (उपरोक्त) में बताए गए कारणों के लिए, हम अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए पहले तर्क को अस्वीकार कर देंगे।एक बार जब संसद द्वारा कानूनों के विस्तार की नीति निर्धारित कर दी गई है और यह स्पष्ट और अनुमेय है, तो यह केवल एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में प्रतीत होगा कि कार्यपालिका को मौजूदा कानूनों में भविष्य के संशोधनों का विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।इसलिए, अत्यधिक प्रत्यर्पण, शक्ति पृथक्करण एजेंसी के कानून के सिद्धांत पर आधारित चुनौती विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

इस तरह की चुनौती को दिनांकित अधिसूचना 09.10.2009 के बल पर अनिवासी भारतीय मकान मालिकों द्वारा दायर बड़ी संख्या में बेदखली के मुकदमों को देखते हुए भी खारिज किया जाना चाहिए, जो इसके विपरीत दलीलों को स्वीकार किए जाने पर उपचार से वंचित रह जाएंगे।"

(जोर दिया गया**)**

(70) कि रमेश बिर्च के मामले में की गई टिप्पणियों से(ऊपर) जैसा कि राम कृष्ण ग्रोवर के मामले (ऊपर) में अनुसरण किया गया है और साथ ही पुनर्गठन अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि 1966 के अधिनियम की खंड 87 संक्रमणकालीन प्रकृति की नहीं है, बल्कि कार्यपालिका को सर्वकालिक शक्ति प्रदान करती है।खंड 87 केंद्र सरकार को किसी भी समय चंडीगढ़ तक किसी भी कानून का विस्तार करने का अधिकार देती है, जो भारत के किसी भी हिस्से में लागू है।चूँकि विधान पर हमेशा अत्यधिक बोझ होता है और 1966

के अधिनियम की खंड 87 के तहत प्रदान की गई शक्तियों जैसी शक्तियों को समर्थन देने के लिए 980 को प्रदान किया गया है।

कार्यकारी।खंड 87 उस विधान का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है जो राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विधायकों के हाथों से चला गया है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है।(71) हम 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7761 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं, इस प्रभाव से कि अधिनियम, नियम, विनियम आदि सहित कानून।केवल भारत के संविधान के भाग 11, अध्याय-1 के तहत तैयार किया जा सकता है, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 255 के अनुच्छेद 245 के तहत और कोई अन्य प्रावधान सरकार को कोई कानून निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 कानून बनाने के लिए एकमात्र स्रोत नहीं हैं।भारत के संविधान के भाग 11, अध्याय-1 के अलावा कई अन्य स्रोत हैं, जैसे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 35,323 (बी), 369 आदि।जो कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।पुनर्गठन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 4 तक लागू होता है और पुनर्गठन अधिनियम केंद्र सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में लागू किसी भी कानून को अपनाने की पर्याप्त शक्ति देता है।

(72) तर्क का दूसरा अंग यह है कि 1966 के अधिनियम की खंड 87, "प्रतिबंधों और संशोधनों" शब्दों का उपयोग करके कार्यपालिका को निर्देशित और अप्रचलित शक्ति प्रदान करती है।

(73) केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों का विस्तार करते समय किए जाने वाले "प्रतिबंधों और संशोधनों" पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः विचार किया गया हैःदिल्ली विधि अधिनियम (1951 एस. सी. आर. 747) दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 की खंड 7 से संबंधित है जो 1966 के अधिनियम की खंड 87 के समान है। माननीय की टिप्पणियाँ उच्चतम न्यायालय पुनः:दिल्ली विधि अधिनियम (1951 एस. सी. आर. 747) मामला दर्ज किया गया है।रमेश बिर्च के मामले में विचार किया गया (ऊपर)।प्रासंगिक उद्धरण (पैरा सं। रमेश बिर्च के मामले (ऊपर) के एस. सी. सी. उद्धरण के पृष्ठ 459 पर 18 निम्नानुसार हैः-

".....बेशक प्रतिनिधि को विधायिका द्वारा घोषित नीति को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे किसी भी अधिनियम को निरस्त या निराकृत होनाने की

शक्ति नहीं दी जा सकती है।यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि दिल्ली कानून अधिनियम की खंड 7 की भाषा में क्या निहित है जो केंद्र सरकार को ब्रिटिश भारत के किसी भी अन्य हिस्से में लागू किसी भी क़ानून को दिल्ली प्रांत तक इस तरह के 'संशोधनों और प्रतिबंधों' के साथ विस्तारित करने का अधिकार देता है जैसा कि वह सोचती है। फिट।"प्रतिबंध" शब्द बहुत कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता है।

इसके अनुप्रयोग को रोकने या इसके दायरे को सीमित करने के लिए विशेष प्रावधान। इसमें किसी भी तरह से सिद्धांत में कोई बदलाव शामिल नहीं है।मुझे ऐसा लगता है कि संदर्भ में, और "प्रतिबंध" शब्द के साथ उपयोग किए जाने वाले, "संशोधन" शब्द का उपयोग एक संज्ञानात्मक अर्थ में भी किया गया है और इसमें कोई सामग्री या महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल नहीं है।"संशोधित करना" अभिव्यक्ति का शब्दकोश अर्थ "टोन डाउन" या "चीज़ की कठोरता को नरम करना" या "बिना किसी बदलाव के आंशिक परिवर्तन करना" है। आमूल परिवर्तन "।यह मानना काफी उचित होगा कि दिल्ली कानूनों की खंड 7 में "संशोधन" शब्द है। अधिनियम का अर्थ और तात्पर्य ऐसे चरित्र के परिवर्तन हैं जो उस क़ानून को बनाने के लिए आवश्यक हैं जिसे प्रांत की स्थानीय स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाने की मांग की गई है।मुझे नहीं लगता कि कार्यकारी सरकार को किसी विशेष अधिनियम के तहत नीति की पूरी प्रकृति को बदलने या विभिन्न कानूनों से अलग-अलग भाग लेने और कई कानूनों का "समामेलन" तैयार करने का अधिकार है।महान्यायवादी हमारे सामने बहुत निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि ये चीजें खंड के दायरे से बाहर होंगी और यदि इस तरह के बदलाव किए जाते हैं तो वे दिल्ली कानून अधिनियम की खंड 7 के प्रावधान का उल्लंघन करने के रूप में अमान्य होंगे, हालांकि यह उस आधार पर खंड 7 को अमान्य ठहराने का कोई कारण नहीं है।(पी।100-5)”

(जोर दिया गया)

(74) इसके अलावा रमेश मामले में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

बर्च का मामला (ऊपर) लछमी नारायण के मामले पर भरोसा करते हुए 1976 2

एससीआर 785 (पी. जी. पर।801-2) यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अधिसूचना, एक कानून का विस्तार करते समय, केवल ऐसे "संशोधन और प्रतिबंध" कर सकती है जो

आकस्मिक, सहायक या अधीन प्रकृति के हों।एस. सी. सी. प्रशस्ति पत्र के पृष्ठ 781 पर रमेश बिर्च के मामले (ऊपर) के पैरा 32 (2) का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः-

“….लछमी नारायण 1976 में 2 एस. सी. आर. 785 (एस. सी. आर. पी. पर।801-2:एस. सी. सी. पीपी. 966 -967) और अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी अधिसूचना, किसी कानून का विस्तार करते समय, कानून में केवल ऐसे "संशोधन और प्रतिबंध" लगा सकती है जो एक आकस्मिक, सहायक या अधीनस्थ प्रकृति के हों और जिसमें उनसे पर्याप्त विचलन शामिल न हों।यहाँ, यह सामान्य आधार है कि 1985 के अधिनियम को 982 के रूप में विस्तारित किया गया है।

केवल बहुत छोटे संशोधनों के साथ है और इसलिए, बहस किए गए प्रश्न पर विचार करना अनावश्यक है।”

(75) बृज सुंदर में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

कपूर बनाम इस्त। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, 5 ने लछमी नारायण के मामले 6, दिल्ली कानून अधिनियम मामले 7 और राजनारायण सिंह के मामले 8 में निर्णयों पर विचार करते हुए कहा किः-

“यह सच है कि 'ऐसे प्रतिबंध और संशोधन' शब्द, जो वह उचित समझता है, यदि शाब्दिक रूप से और पृथक रूप से माने जाते हैं, तो अधिनियम को संशोधित करने और संशोधित करने की निरंकुश शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे विस्तारित करने की मांग की गई है, इस तरह के व्यापक निर्माण को छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि खंड की वैधता अत्यधिक प्रत्यर्पण के कारण कमजोर हो जाए।इसके अलावा, इस तरह का निर्माण समग्र रूप से पढ़ी जाने वाली खंड के संदर्भ और विषय-वस्तु और शक्ति के प्रयोग से जुड़ी वैधानिक सीमाओं और शर्तों के प्रतिकूल होगा।इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। 'प्रतिबंधों और संशोधनों' शब्दों के दायरे को ऐसे चरित्र के परिवर्तनों तक सीमित रखें जो अधिनियम के अंतर्निहित नीतिगत सार और सार को विस्तारित, अक्षुण्ण रखते हैं, और केवल ऐसे परिधीय या असंगत परिवर्तनों को लागू करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय स्थितियों के अनुकूल और समायोजित करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक हैं।ये अवलोकन यह स्पष्ट करते हैं कि, हालांकि स्पष्ट रूप से व्यापक रूप से कानून के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की शक्ति बहुत सीमित है और छावनी क्षेत्रों में विस्तारित

किए जाने वाले कानून के बुनियादी आवश्यक ढांचे या भौतिक प्रावधानों को बदल नहीं सकती है।

(प्रासंगिक उद्धरण)

(76) 1966 के अधिनियम की खंड 87 में "जैसा वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।"जैसा वह उचित समझता है" शब्द केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए अनुकूलित किए जा रहे विधान में सभी आवश्यक संशोधन और प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति देता है।खंड 87 की सरल भाषा से यह स्पष्ट होता है कि संशोधन/प्रतिबंध लगाने की शक्ति 51989 (1) एस. सी. सी. 561 है।

6 (1976) 2 एससीआर 785

7 1951 एससीआर 747

8 (1955) 1 एस. सी. आर. 290

केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है जिसे किसी भी तरह से कम या कम नहीं किया जा सकता है।

(77) गुलाम कादिर बनाम विशेष न्यायाधिकरण 9 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है" वाक्यांश की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस शब्द को वह उचित समझता है वह प्राधिकरण को व्यापक प्रचुरता की शक्ति प्रदान करता है और उसे किसी भी सीमा से सीमित या सीमित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, जैसा कि क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम एस. ई. बी.

आई. 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है, ऐसी विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र हालांकि व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है, लेकिन इसका प्रयोग निष्पक्ष रूप से और अधिनियम के चार कोनों के भीतर किया जाना चाहिए।

(78) उपरोक्त चर्चा और पैरा नं. में हमारे निष्कर्षों से। 41 और 42 यहाँ ऊपर हम पाते हैं कि 1966 के अधिनियम की खंड 87 भारत के संविधान के अंतर्गत आती है।

(79) हमारा यह भी विचार है कि 1966 के अधिनियम की खंड 87, कार्यपालिका को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए किसी भी अधिनियम को अनुकूलित करते समय प्रतिबंध या संशोधन करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है, लेकिन साथ ही, प्रतिबंध या संशोधन आकस्मिक, सहायक या अधीन प्रकृति के होने चाहिए और संशोधन और प्रतिबंध मूल अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को नहीं बदलना चाहिए। को प्रदत्त शक्तियाँ खंड 87 द्वारा कार्यपालिका को गैर-मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त नहीं कहा जा सकता है।

संशोधन और प्रतिबंध बनाते समय कार्यकारी के रूप में निर्देशित मूल कानून की मूल आवश्यक संरचना को नहीं बदल सकता है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

(80) इसलिए ऊपर की गई टिप्पणियों और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मुद्दा संख्या (ii) और (iii) का निर्णय याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

आई. एस. यू. नं. (iv)

(81) पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम को अपनाते समय केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से किए गए परिवर्धन/संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि परिवर्धन/संशोधन 1966 के अधिनियम की खंड 87 के दायरे से बाहर हैं।

9 2000 (1) एससीसी 33

10 2004 (8) एससीसी 524 984

(82) हमने 2016 के अधिनियम को अपनाते समय केंद्र सरकार द्वारा जोड़ी गई/संशोधित की गई विशिष्ट धाराओं/खंडों पर उठाई गई आपत्तियों के संबंध में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है, और उन पर अलग से विचार किया जा रहा है।-

(ए) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक की वैधता को चुनौती

(83) 2016 के अधिनियम की खंड 5 के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा खंड 5 में किए गए संशोधन (बोल्ड किए गए हिस्से) को चंडीगढ़ तक विस्तारित करते हुए तुलनात्मक रूप में यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

पंजाब	चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनुकूलित
खंड 5. शुल्क निर्धारित करने और शुल्क बढ़ाने की शक्ति एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी शुल्क निर्धारित करने में सक्षम होगा और वह संस्थान को चलाने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी इसे बढ़ा सकता हैः बशर्ते कि शुल्क निर्धारित करते या बढ़ाते समय, खंड 6 की उप-खंड (1) में उल्लिखित कारकों को गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ध्यान में रखा जाएगाः बशर्ते कि शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष के शुल्क के आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ली जाती है। बशर्ते कि शुल्क तय करते समय या बढ़ाते समय, एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं हो सकता है और	खंड 5. शुल्क निर्धारित करने और शुल्क बढ़ाने की शक्ति एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी शुल्क निर्धारित करने में सक्षम होगा और वह संस्थान को चलाने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी इसे बढ़ा सकता हैः बशर्ते कि शुल्क निर्धारित करते या बढ़ाते समय, खंड 6 की उप-खंड (1) में उल्लिखित कारकों को गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ध्यान में रखा जाएगाः बशर्ते कि शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष के शुल्क के आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ली जाती है। बशर्ते कि शुल्क तय करते समय या बढ़ाते समय, एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

यह प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं ले सकता है।	मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं हो सकता है और यह प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं ले सकता है।

-स्वतंत्र विद्यालय का संगठन चंडीगढ़ और अन्य

बनाम 985

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

	बशर्ते कि प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान एक. अपनी वेबसाइट पर आय, व्यय खाता और बैलेंस शीट अपलोड करें। बी। माता-पिता से किसी

	भी प्रकार का खर्च न लें; ग. विद्यालयों द्वारा प्रवेश पत्र के साथ जारी पुस्तिका में विद्या सम्बन्धी वर्ष की शुरुआत में पूर्ण शुल्क संरचना का खुलासा करें और इसकी वेबसाइट पर भी पोस्ट करें। घ. शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय शुल्क में वृद्धि न करें।

(जोर दिया गया)

(84) याचिकाकर्ता 2016 अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक के खंड (ए) से व्यथित हैं, जैसा कि चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, इस आधार पर कि वेबसाइट पर आय और व्यय खातों और बैलेंस शीट को अपलोड करने का कोई औचित्य नहीं है और यह मुख्य अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए आकस्मिक नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, स्कूल पहले से ही संबंधित अधिकारियों के साथ वित्तीय जानकारी जमा कर रहे हैं, इसलिए अपनी वेबसाइटों पर वित्तीय जानकारी अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह निजी संस्थानों को जनता द्वारा खातों के बेलगाम विच्छेदन के लिए असुरक्षित बना देगा।

(85) 2016 का अधिनियम पंजाब राज्य द्वारा (यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित) अधिनियमित किया गया है, ताकि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क को विनियमित करने के उद्देश्य से एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से नियामक निकाय के गठन का प्रावधान किया जा सके और इसके साथ जुड़े या उससे जुड़े अन्य मामले।2016 अधिनियम की खंड 18 के अनुसार, प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को शुल्क और शुल्क का उचित लेखा रखना होता है और खातों का वार्षिक विवरण तैयार करना होता है जिसका लेखा परीक्षण एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाता है।(86) इस न्यायालय ने विशेष रूप से 986 के लिए विद्वान अधिवक्ता से पूछा था।

प्रतिवादी को यह बताने के लिए कि किस उद्देश्य के लिए खंड 5 के चौथे परंतुक का खंड (ए) जोड़ा गया है।प्रतिवादी चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 27.7.2020 पर एक शपथ पत्र दायर किया जिसमें कहा गया था कि उक्त खंड को जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त की जा सके जो उचित शुल्क संरचना की एक आवश्यक विशेषता है।यह आगे कहा गया है कि निर्देश शैक्षणिक संस्थान के लिए है न कि न्यास/समितियों के लिए।

(87) यह एक स्थिर स्थिति है कि कठोर शुल्क संरचना का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है।प्रत्येक संस्थान को संस्थान की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता है।इसके अलावा संस्थानों को अतिरिक्त धन जुटाने की भी अनुमति है जिसका उपयोग वे शैक्षणिक संस्थान की बेहतरी और विकास के लिए कर सकते हैं।लेकिन साथ ही संस्थानों को मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित शिक्षा

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 11 एक धर्मार्थ संस्था है।

पेशा।(88) 2016 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित नियंत्रण और संतुलन बनाए रखा जाए और निजी शैक्षणिक संस्थानों को अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क लेने में लिप्त न हों।

(89) यह न्यायालय भ्रष्टाचार-रोधी और अपराध जांच प्रकोष्ठ बनाम। पंजाब राज्य, 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 20545 (ओ एंड एम)।डी/डी।9.4.2013 , उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया था कि हालांकि अधिकांश स्कूल अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा कर रहे हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड की बात है कि इन रिकॉर्डों की शायद ही कोई जांच की गई है और इन्हें स्कूलों द्वारा बोर्ड/नियामक प्राधिकरणों के पास फेंक दिया जा रहा है और यह उनके अभिलेखागार में है।इस कारण से यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों को अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता देते हुए, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि वे शिक्षा के व्यावसायीकरण में शामिल न हों, इस न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की और जब तक ऐसा तंत्र तैयार नहीं किया जाता, तब तक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समितियों की स्थापना का निर्देश दिया।भ्रष्टाचार-रोधी मामले (उपरोक्त) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"81. सवाल यह है कि स्कूलों को अपनी फीस संरचना तय करने की स्वतंत्रता देते हुए, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि

11 2002 (8) एस. सी. सी. 481

ये स्कूल शिक्षा के मुनाफाखोरी/व्यावसायीकरण में शामिल नहीं हैं और अनधिकृत माध्यमों द्वारा धन का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं।दिल्ली में

अनुभवक महासंघ मामला (ऊपर), दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि एक स्थायी नियामक निकाय/तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका तर्क पैरा संख्या में दिया गया है। 72 और 81, पहले से ही ऊपर निकाले गए हैं।

82. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने तत्काल मामलों में, आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा स्वयं दायर किए गए उत्तरों के अनुसार, अधिकांश स्कूल वार्षिक आवेदन जमा करने की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।प्रतिवेदन आदि। साथ ही, यह भी रिकॉर्ड की बात है कि इन अभिलेखों की शायद ही कोई जांच की जाती है जो स्कूलों द्वारा बोर्डों/नियामक प्राधिकरणों के पास आसानी से फेंक दिए जाते हैं और उनके अभिलेखों में पड़े रहते हैं। अभिलेखागार।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सुनिश्चित करना आधिकारिक प्रतिवादी का कर्तव्य है कि किसी विशेष विद्यालय द्वारा की गई फीस में वृद्धि उचित हो और अन्य परिस्थितियों जैसे कि खर्च में वृद्धि या आवश्यक विकासात्मक गतिविधियों के कारण आवश्यक हो और इसके परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी न हो।यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन का अन्यत्र उपयोग न हो।हालाँकि, इसकी जाँच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।इस तरह की स्थिति में, हमारी राय है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी कुछ स्थायी नियामक निकायों/तंत्र का प्रावधान करना चाहिए जो नियमित रूप से इस पहलू पर विचार करेंगे। हम तदनुसार पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करें और आज से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें।जब तक ऐसा नहीं किया जाता है और इस मुद्दे को हल आदेश के लिए कि स्कूलों द्वारा शुल्क में वृद्धि उचित है या नहीं, हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहेंगे, अर्थात्, स्कूलों के खातों में जाने और स्कूलों द्वारा शुल्क में वृद्धि की तर्कसंगतता का पता लगाने के कार्य के साथ एक समिति का गठन करना। (जोर दिया गया)

(90) भ्रष्टाचार-रोधी मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्देशों और सी. डब्ल्यू. पी. 988 में पारित दिनांक 7.8.2014 के आदेश में दर्ज संबंधित सरकारों द्वारा दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए 2016 के अधिनियम को यू. टी. चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया गया है।

2009 का सं. 20545।(91) यह अभिलेख का विषय है कि यद्यपि याचिकाकर्ता प्रतिवादी को वित्तीय अभिलेख प्रस्तुत कर रहे हैं, तथापि हमारा भी वही विचार है जो इस न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार-रोधी मामले (ऊपर) में लिया गया है कि न तो राज्य सरकारें निजी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अभिलेख पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही हैं और न ही अधिकारी पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए लेखा विवरणों की गहराई में जाते हैं।इसे देखते हुए हम याचिकाकर्ता संघ द्वारा उठाए गए तर्कों से भी बल प्राप्त कर रहे हैं इस न्यायालय के समक्ष भ्रष्टाचार विरोधी मामले (ऊपर) में जिसमें यह था निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों ने तर्क दिया कि स्कूलों की शुल्क संरचना को नियंत्रित करना संबद्ध निकायों का काम नहीं है और स्कूलों का उद्देश्य परीक्षाओं का संचालन करना और संबद्ध स्कूलों के पाठ्यक्रम तैयार करना है।

(92) इसलिए, यदि निजी संस्थानों का वित्तीय विवरण संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, तो यह पारदर्शिता बनाए रखने में सुनिश्चित होगा और यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा कि कोई भी संस्थान मुनाफाखोरी और प्रति व्यक्ति शुल्क लेने में लिप्त नहीं है।इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि ऐसे संस्थान हैं जो प्रति व्यक्ति शुल्क वसूलने और मुनाफाखोरी में लिप्त हैं। चूंकि संस्थानों के खाते पेशेवरों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए हम सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों से वित्तीय विवरणों के नीचे की सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद नहीं कर सकते।सरकार के नौकरशाही दृष्टिकोण से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विशेषज्ञता का न होना एक कारक है लेकिन कोई ध्यान नहीं देना और संस्थानों द्वारा दिए गए भारी वित्तीय विवरणों पर गौर करना भी प्रासंगिक कारक है।

(93) यदि संस्थानों के वित्तीय विवरण संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते समर्थ, तो छात्रों के माता-पिता संस्थानों के वित्तीय विवरणों को देख सकेंगे।इस बात की उच्च संभावना है कि विभिन्न माता-पिता के पास लेखांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हो सकती है जो प्रशासन को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि कोई भी संस्थान/स्कूल मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क लेने में शामिल न हो।(94) इसके अलावा हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान अपनी वेबसाइटों पर वित्तीय विवरण अपलोड समर्थ से क्यों डरते हैं।वित्तीय विवरणों को अपलोड न करने/विरोध न करने का संस्थानों का इरादा अधिक संदेह पैदा करता है।यदि निजी संस्थान वेबसाइटों पर अपने वित्तीय विवरण अपलोड करते हैं तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा जो एक उचित शुल्क संरचना की आवश्यक विशेषताएं हैं और

माता-पिता में भी विश्वास पैदा करते हैं।(95) हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि वित्तीय विवरण अपलोड करने से वे आम जनता द्वारा उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं।खंडों की वैधता को आशंकाओं के आधार पर नहीं आंका जा सकता है।इसके अलावा, यह चंडीगढ़ प्रशासन का विशिष्ट रुख है कि अधिकांश स्कूल (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7706 में याचिकाकर्ता संघ के बहुसंख्यक स्कूलों सहित) पहले ही वर्तमान याचिका में चुनौती के तहत प्रावधानों का पालन कर चुके हैं।प्रतिवादी से विशेष रूप से यह पूछे जाने पर कि क्या वर्तमान याचिका में चुनौती के तहत प्रावधानों के अनुपालन के कारण किसी भी स्कूल द्वारा कोई शिकायत प्राप्त हुई है, इसका जवाब नकारात्मक दिया गया है।इस प्रकार आशंका बिना किसी औचित्य के और जमीनी वास्तविकता के विपरीत प्रतीत होती है।

(96) अविषेक गोयनका बनाम भारत संघ 12 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम का प्रवर्तन यदि असुविधा का कारण बनता है, तो क़ानून के प्रावधान को अप्रवर्तनीय बनाने का आधार नहीं हो सकता है।

(97) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो निजी शैक्षणिक संस्थान हमेशा कानून के अनुसार अपने उपाय खोजने के लिए स्वतंत्र हैं।

(98) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने एक मुद्दा उठाया है कि संस्थान के वित्तीय विवरणों को अपलोड करना उनके निजता के अधिकार का भंग होगा।निजता का अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों के लिए है।हालाँकि निजता का अधिकार कृत्रिम संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन चूंकि शिक्षा का क्षेत्र एक धर्मार्थ व्यवसाय है, इसलिए हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि किसी भी तरह से निजी शैक्षणिक संस्थानों की वेबसाइटों पर वित्तीय विवरण अपलोड करने से निजता के अधिकार का भंग होगा।यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है कि अपलोड करने के लाभ संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली कथित कठिनाइयों से अधिक होंगे।

(99) जन हित परीक्षा का उपयोग इस पैमाने को तौलने के लिए किया जाएगा कि क्या जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए या छूट दी जानी चाहिए।यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है जहां प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित किसी भी संभावित नुकसान या क्षति से अधिक है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उच्चतम न्यायालय में भारत का न्यायालय

भारत बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, 13 वर्तमान मामले में

वित्तीय विवरणों को अपलोड करने से समाज को अधिक लाभ होगा और इस तरह इसे कानून की दृष्टि से गलत नहीं माना जा सकता है।

(100) प्रत्यर्थी-प्रशासन के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया है कि 2016 के अधिनियम में संशोधनों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करते हुए संबद्ध निकायों अर्थात सी. बी. एस. ई. के उपनियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सी. बी. एस. ई. के 1988 के उपनियमों के खंड 8 (8) (v) और 13 (3) (i) और खंड 2.3 के अनुसार।8 & 2.3.9 सी. बी. एस. ई. के 2018 के उपनियमों के अनुसार, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने और उसे वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए बाध्य हैं।इसलिए संबद्ध निकाय के उक्त खंड को अपनाने से याचिकाकर्ता संस्थानों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी मामले में प्रशासन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि वे संबद्ध निकाय के उपनियमों के अनुसार करने के लिए भी बाध्य थे।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्य संबद्ध निकायों के उपनियमों/नियमों और विनियमों में भी यही स्थिति है।पार्टियों के वकील एल. डी. वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि अन्य संबद्ध निकायों के उपनियम और नियम कमोबेश सी. बी. एस. ई. के समान हैं। (101) जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि निजी शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट पर वित्तीय विवरणों को अपलोड करने से आम जनता की सेवा होगी और इस तरह पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित होगा, चंडीगढ़ प्रशासन ने 2016 अधिनियम की खंड 5 के चौथे प्रावधान में खंड (ए) जोड़कर केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि निजी शैक्षणिक संस्थान लाभ कमाने के साधनों को न अपनाएं।भ्रष्टाचार-रोधी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का यह भी रुख था (केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 1.12.2020 में दायर लिखित सारांश में उल्लिखित अभिवचनों से स्पष्ट है) कि शुल्क को विनियमित करना संबद्ध निकाय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अधिनियम में खंड (ए) को अपनाना और शामिल करना जबकि 2016 के अधिनियम को चंडीगढ़ तक विस्तारित करना भी उक्त मुद्दे का ध्यान रखेगा।

(102) अतः उपरोक्त चर्चा के आलोक में 2016 अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक के खंड (ए) को 2016 अधिनियम की घोषणा द्वारा हासिल की जाने वाली पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य के लिए आकस्मिक माना जाता है।

(103) चौथे परंतुक 13 2019 (16) स्केल 40 के खंड (बी) को चुनौती दी गई है।

2016 अधिनियम की खंड 5 के लिए इस आधार पर कि अधिनियम में लागत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। चूंकि उक्त खंड स्कूल को माता-पिता से किसी भी प्रकार की लागत लेने से रोकता है, इसलिए इसकी व्याख्या इस तरह से भी की जा सकती है कि निजी संस्थान माता-पिता से कोई शुल्क नहीं लेंगे जिसके परिणामस्वरूप मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

(104) हालांकि यह माना जाता है कि "लागत" शब्द को 2016 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है जैसा कि चंडीगढ़ तक बढ़ाया गया है।लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 1 का एक शपथ पत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि खंड (बी) को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य माता-पिता को शुल्क से अधिक लागत वाली राशि जमा करने से बचाना है।इस प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि स्कूलों को किसी भी राशि को छिपी हुई लागत के रूप में लेने से रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल सत्र की शुरुआत में पहले से घोषित शुल्क संरचना के अलावा (संबद्ध उपनियमों के तहत प्रदान किए गए को छोड़कर) लागत के शीर्ष के तहत माता-पिता से कोई राशि नहीं लेते हैं।

(105) इस प्रकार चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर शपथ पत्र से यह बहुत स्पष्ट है कि 2016 के अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक के खंड (बी) में संदर्भित "लागत" शब्द, जैसा कि चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, शुल्क संरचना के ऊपर और ऊपर ली जाने वाली किसी भी राशि को संदर्भित करता है जिसे घोषित नहीं किया गया है या कानून में अनुमत नहीं है।चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिनांकित 27.7.2020 के अपने शपथ पत्र में दिए गए तर्क से, निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की आशंकाओं का निवारण हो गया है।यद्यपि प्रचुर सावधानी के लिए, हम चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वह "लागत" शब्द के संबंध

में दिनांकित 27.7.2020 के शपथ पत्र में उनके द्वारा दी गई परिभाषा और स्पष्टीकरण से बाध्य हो।

(106) 2016 के अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक के खंड (सी) और (डी) के संबंध में, जैसा कि चंडीगढ़ तक बढ़ाया गया था, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा कोई तर्क संबोधित नहीं किया गया था।यद्यपि उक्त खंड के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निजी विद्या सम्बन्धी संस्थानों को विद्या सम्बन्धी वर्ष की शुरुआत में शुल्क संरचना का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है और निजी संस्थानों को शैक्षणिक सत्र के दौरान शुल्क संरचना को संशोधित करने से रोक दिया गया है।उक्त खंडों को किसी भी तरह से तर्कहीन नहीं माना जा सकता है।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि शुल्क के निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए।लेखा परीक्षा के बाद की जाँच के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था। 992 के पैरा 80 का संदर्भ दिया जाए।

मॉडर्न डेंटल कॉलेज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और

अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 14 केंद्रीय बोर्ड के तहत इसी तरह की स्थिति है माध्यमिक संबद्धता उपनियम, 1988 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

1988 उपनियम)।1988 के उपनियमों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

8. भौतिक सुविधाएं

उप नियम 8.((iv) प्रत्येक संबद्ध विद्यालय का विकास करना।

संबद्धता की स्थिति, बुनियादी ढांचे का विवरण, शिक्षकों का विवरण, छात्रों की संख्या, पता-डाक और ई-मेल, टेलीफोन एन. ओ. एस. आदि जैसी व्यापक जानकारी वाली अपनी वेबसाइट।उप नियम 8.(v) प्रत्येक विद्यालय को ऐसा करना चाहिए

उपरोक्त जानकारी वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें और उसे 15 सितंबर से पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।एक वर्ष की।

11. शुल्क

1. शुल्क संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए।आम तौर पर विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों के लिए राज्य के शिक्षा विभाग/यू. टी. आई. द्वारा निर्धारित शीर्षों के तहत शुल्क लिया जाना चाहिए।स्कूल में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई प्रति व्यक्ति शुल्क या स्वैच्छिक दान स्कूल के नाम पर नहीं लिया जाना चाहिए/एकत्र किया जाना चाहिए और स्कूल को बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावकों को किसी भी जांच प्रक्रिया के अधीन नहीं करना चाहिए।इस तरह के कदाचार के मामले में, बोर्ड कठोर कार्रवाई कर सकता है जिससे स्कूल की संबद्धता समाप्त हो सकती है।

इसके अलावा, कोई भी स्कूल या व्यक्ति उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैः-

(i) प्रति व्यक्ति शुल्क प्राप्त करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो लगाए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के दस गुना तक बढ़ सकता है; (ii) एक बच्चे को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये और बाद के प्रत्येक उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

2. यदि कोई छात्र इस तरह की मजबूरी के कारण स्कूल छोड़ देता है तो 14 2016 (7) एस. सी. सी. 353।

माता-पिता के स्थानांतरण के रूप में या स्वास्थ्य कारणों से या सत्र के पूरा होने से पहले छात्र की मृत्यु के मामले में, त्रैमासिक/अवधि/वार्षिक यथानुपात आनुपातिक वापसी की जानी चाहिए।

3. गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शुल्क में संशोधन करने से पहले माता-पिता के प्रतिनिधियों द्वारा से माता-पिता से परामर्श करना चाहिए।मध्य सत्र के दौरान शुल्क में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

13. विविध

उप नियम 3 (i) विद्यालय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें नाम, पता डाक और ई-मेल, टेलीफोन नंबर, संबद्धता की स्थिति, अस्थायी संबद्धता की अवधि, बुनियादी ढांचे का विवरण, शिक्षकों का विवरण, छात्रों की संख्या और संबद्धता उप-कानूनों के मानदंडों की पूर्ति की स्थिति सहित व्यापक जानकारी हो और इसे हर साल 15 सितंबर से पहले वेबसाइट पर पोस्ट करना चाहिए।

23. विद्यालय के प्रमुख-कर्तव्य, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ

(iv) विद्यालय के खातों, विद्यालय के अभिलेखों, शिक्षकों की सेवा पुस्तकों और ऐसे अन्य रजिस्टरों, विवरणों और आंकड़ों के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो सोसायटी/बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

(107) वह आगे 2018 उपनियम जैसा कि एल. डी. द्वारा उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के वकील ने दिनांक 1.12.2020 के अपने लिखित सारांश में यह स्पष्ट किया है कि न केवल इस तरह से ली गई फीस को स्कूलों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है, बल्कि स्कूल राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देशों से भी बाध्य हैं और यहां तक कि शुल्क के विनियमन के संबंध में केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियमित/बनाए गए अधिनियमों और विनियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य हैं। 2018 के उपनियमों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

" 2018 सीबीएसई के उपनियम

2.3.8 वेबसाइट

संबद्धता चाहने वाला स्कूल वेबसाइट पर स्कूल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली अपनी वेबसाइट का विकास और रखरखाव करेगा।

2.4.9 वेबसाइट

प्रत्येक संबद्ध विद्यालय अपनी वेबसाइट विकसित करेगा जिसमें संबद्धता 994 जैसी व्यापक जानकारी होगी।

स्थिति, बुनियादी ढांचे का विवरण, योग्यता सहित शिक्षकों का विवरण।छात्रों की संख्या, पता-डाक और ई-मेल, टेलीफोन संख्या।, बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए

हस्तांतरण प्रमाणपत्रों आदि की प्रतियां।इस प्रकार बनाई गई वेबसाइट में शुल्क के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए।

7. स्कूल शुल्क

समितियों/न्यासों/कंपनियों को इन उप-कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना किसी लाभ के उद्देश्य के स्कूल चलाने की आवश्यकता है।स्कूल उस हद तक शुल्क लेने का प्रयास करेगा जब तक स्कूल चलाने का खर्च पूरा किया जाता है।स्कूल छात्रों से ली जाने वाली फीस के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेंगे:

कोई भी सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी/स्कूल छात्रों के प्रवेश के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लेगा या दान प्रतिग्रहण करना नहीं करेगा।

प्रवेश शुल्क और किसी अन्य शीर्ष के तहत लिया जाने वाला शुल्क केवल उपयुक्त सरकार के नियमों के अनुसार लिया जाना है।

शुल्क राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शीर्षों के तहत लिया जाएगा।

7. शुल्कों का रिफंड:

यदि उपयुक्त सरकार द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।यदि कोई छात्र पढ़ाई बंद कर देता है या किसी अन्य स्कूल में जाने की इच्छा रखता है।देय राशि केवल बंद करने या प्रवास के महीने तक एकत्र की जाएगी, न कि उस महीने तक जिसमें हस्तांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है।यह शुल्क के सभी प्रमुखों पर लागू होगा।

शुल्क व्यवस्था:

विद्यालयों का शुल्क संशोधन उपयुक्त सरकार के कानूनों, विनियमों और निर्देशों के अधीन होगा।

स्कूल प्रबंधन समिति के स्पष्ट अनुमोदन या किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना शुल्क में संशोधन नहीं किया जाएगा।

राज्य में स्थित स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में शुल्क के विनियमन के संबंध में केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अधिनियमित/बनाए गए अधिनियम और विनियम सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर भी लागू होंगे।विदेशों में स्थित स्कूलों के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया।जिस देश में स्कूल स्थित है, वहां लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार शुल्क और शुल्क संशोधन आदि से संबंधित सभी मामलों के संबंध में पालन किया जाएगा।" (111) हमारा यह भी विचार है कि शुल्क संरचना का खुलासा पहले से किया जाना चाहिए ताकि माता-पिता को प्रवेश के समय जमा की जाने वाली शुल्क के बारे में पता हो।यह केवल सत्र के बीच में शुल्क संरचना को बदलने के लिए नहीं होगा क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है जब माता-पिता संशोधित शुल्क का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं और परिणामस्वरूप सत्र के बीच में छात्र की शिक्षा प्रभावित होगी।यदि सत्र की शुरुआत में शुल्क का खुलासा किया जाता है तो यह माता-पिता को उचित व्यवस्था करने या वैकल्पिक संस्थानों की तलाश करने में मदद करेगा।

(112) यह ध्यान दें भी प्रासंगिक है कि निजी शैक्षणिक संस्थान किसी भी मामले में खंड (सी) और (डी) जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थे क्योंकि इसे सी. बी. एस. ई. (जो संबद्ध निकाय है) द्वारा अपने उपनियमों में भी अनिवार्य किया गया है।सी. बी. एस. ई. ने अपने उपनियमों में, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, पहले ही अनिवार्य कर दिया है कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शुल्क में संशोधन करने से पहले माता-पिता से परामर्श करना चाहिए और सत्र के मध्य में शुल्क में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए याचिकाकर्ता संस्थानों को किसी भी मामले में खंड 5 के चौथे परंतुक के उक्त उपखंडों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती है क्योंकि उक्त उपखंडों के बिना भी वे पहले से शुल्क का खुलासा करने के लिए बाध्य थे और उन्हें सत्र के बीच शुल्क में बदलाव करने की अनुमति नहीं थी।

(113) ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि 2016 के अधिनियम की खंड 5 का चौथा परंतुक, जिसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, मुख्य अधिनियम के आनुषंगिक और अधीन है और इस प्रकार 1966 के अधिनियम की खंड 87 के अंतर्गत आता है।

(बी) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 अधिनियम की खंड 10 (4) से (6) की वैधता को चुनौती

(114) 2016 के अधिनियम की खंड 10 की संशोधित/प्रतिस्थापित उप-खंड 4 से 6, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित है, निम्नानुसार हैः

" खंड 10.कोष का उपयोग

(1) गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आय का कोई भी हिस्सा न्यास या सोसायटी या कंपनी या स्कूल प्रबंधन समिति के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।कोई और व्यक्ति।

(2) आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय और विकासात्मक, मूल्यह्रास और आकस्मिक निधियों में योगदान को पूरा करने के बाद बचत, यदि कोई हो, का उपयोग संबंधित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।(3) गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा को आगे बढ़ाने के अलावा प्रबंधन द्वारा किसी भी व्यक्ति या उद्यम को धन देना संबद्धता को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और चंडीगढ़ प्रशासन या संबद्धता बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।"

(115) कि उपरोक्त खंडों को चुनौती इस आधार पर है कि संबद्ध बोर्डों सी. बी. एस. ई. या सी. आई. एस. सी. ई. के अपने नियम/उपनियम हैं जो स्कूलों की संबद्धता को नियंत्रित करते हैं और संबद्ध बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों/उपनियमों में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है जो समाज को धन के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है।इसके अलावा, चुनौती इस आधार पर है कि पंजाब राज्य का मूल अधिनियम गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किसी अन्य संस्थान में राशि के हस्तांतरण की अनुमति देता है बशर्ते वह उसी सोसायटी या ट्रस्ट के प्रबंधन के तहत हो और खंड 10 के तहत उप-खंड 4 से 6 जोड़कर, प्रतिवादी ने अधिनियम में संशोधन किया है जो कानून में अनुज्ञेय नहीं है।

(116) यह निर्भरता याचिकाकर्ताओं द्वारा कार्रवाई के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रखी गई है। समिति, गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय बनाम शिक्षा निदेशक, दिल्ली 15 में कहा गया है कि समीक्षा याचिकाओं में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को संस्था चलाने वाली सोसायटी/ट्रस्ट को धन हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

(117) respondent-U.T के लिए विद्वान वकील। प्रशासन खंडन में प्रस्तुत करता है कि चंडीगढ़ के क्षेत्र के आकार को देखते हुए किसी भी ट्रस्ट/सोसायटी के पास चंडीगढ़ में एक से अधिक शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं।इस प्रकार, समाज को धन के हस्तांतरण की अनुमति देकर, वही 15 2009 (10) एस. सी. सी. 1

इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां चंडीगढ़ के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों (एक ही समाज द्वारा बनाए गए) को चंडीगढ़ के छात्रों की कीमत पर विकसित किया जाएगा।

(118) 2016 के अधिनियम की खंड 10 (4), जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित है, यह स्पष्ट करती है कि यह प्रतिबंध गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की आय को न्यास या सोसायटी या कंपनी या स्कूल प्रबंधन समिति के किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर है।इस प्रकार लगाया गया प्रतिबंध केवल विशेष व्यक्ति को धन के हस्तांतरण पर है।'किसी अन्य व्यक्ति' शब्द को खंड 10 (6) में उपयोग किए गए 'किसी भी व्यक्ति या उद्यम' शब्द के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रबंधन द्वारा किसी भी व्यक्ति या उद्यम को धन देने की अनुमति देता है, यदि उनका उपयोग शिक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है, उदाहरण के लिए गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन द्वारा किए जा रहे किसी भी खर्च, व्यय, विस्तार के लिए।

(119) 2016 अधिनियम की खंड 10 (5), जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित है, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए बचत के उपयोग की अनुमति देती है। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य अधिनियम 2016 की खंड 10 में किए गए संशोधनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खंड 10 (5) में "संस्थान" शब्द का उपयोग किया गया है जबकि खंड 10 (4) और (6) में "संस्थान" शब्द का उपयोग किया गया है।उप-धारा (5) में "संस्थान" शब्द का उपयोग जानबूझकर और सामग्री/महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।इस प्रकार, खंड 10 की उप-खंड 4 से 6 के संयुक्त पठन पर, उप-खंड (5) में निर्दिष्ट "संबंधित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान" शब्द का, हमारी सुविचारित राय में, अर्थ होगा कि शैक्षणिक संस्थान एक छत्र के तहत चलाए जा रहे हैं। समाज/न्यास/प्रबंधन आदि।

(120) पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम की खंड 10 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया वह संशोधन सी. बी. एस. ई. उपनियमों के संबंधित प्रावधानों से प्रेरित है।हालाँकि इसमें उपयोग किया जाने वाला प्रासंगिक शब्द 'स्कूल' है जबकि खंड 10 की उप-खंड 5 में उपयोग किया जाने वाला शब्द 'संस्थान' है।सी. बी. एस. ई. के 1988 के उपनियमों के एक नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संस्थानों को कंपनी अधिनियम की खंड 25 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी में अपनी आय को किसी भी व्यक्ति को देने की अनुमति नहीं है। सी. बी. एस. ई. के 2018 के उपनियमों के तहत भी यही स्थिति है। तत्काल संदर्भ के लिए इन्हें यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“ 1988 सी. बी. एस. ई. 2 परिभाषाओं के उपनियम

xxii) "निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय का अर्थ है 998 द्वारा संचालित विद्यालय।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

एक समाज/न्यास

/कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 25 के तहत पंजीकृत कंपनी का विधिवत गठन किया गया और केंद्र/राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कंपनी को किसी भी सरकारी स्रोत (स्रोतों) से कोई नियमित अनुदान नहीं मिलता है।

वित्तीय संसाधन

1. विद्यालय के पास अपने निरंतर अस्तित्व की गारंटी देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए।स्कूल के संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए आय का स्थायी स्रोत होना चाहिए ताकि इसे दक्षता के उचित मानक पर बनाए रखा जा सके, शिक्षकों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित रूप से कम से कम राज्य सरकार के स्कूलों में संबंधित श्रेणियों के बराबर वेतन का भुगतान किया जा सके और स्कूल सुविधाओं में सुधार/विकास किया जा सके।राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के मामले में आय के स्थायी स्रोत में सहायता अनुदान की राशि भी शामिल होगी।

2. संस्थान से आय का कोई भी हिस्सा कंपनी अधिनियम, 1956 स्कूल प्रबंधन समिति की खंड 25 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी में किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय और विकासात्मक, मूल्यह्रास और आकस्मिक निधियों में योगदान को पूरा करने के बाद बचत, यदि कोई हो, का उपयोग स्कूल को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।खातों का लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार उचित लेखा विवरण तैयार किए जाने चाहिए।लेखा विवरण की प्रत्येक प्रति हर वर्ष बोर्ड को भेजी जानी चाहिए।

3. प्रबंधन द्वारा स्कूल में शिक्षा को आगे बढ़ाने के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम को धन देना संबद्धता को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करेगा और बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई का आह्वान करेगा।

2018 सी. बी. एस. ई. वित्तीय संसाधनों के उपनियम।

स्कूल के पास अपने निरंतर अस्तित्व की गारंटी देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए, ताकि चल रहे और इसे पूरा किया जा सके।

विद्यालय का खर्च और विद्यालय की सुविधाओं में सुधार/विकास और शिक्षकों के क्षमता निर्माण का कार्य करना।

संस्थान से आय का कोई भी हिस्सा ट्रस्ट सोसायटी/कंपनी/स्कूल प्रबंधन समिति के किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को नहीं दिया जाएगा।बचत, यदि कोई हो, आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के बाद और विकासात्मक, मूल्यह्रास और आकस्मिक निधियों में योगदान।इसका उपयोग स्कूल को बढ़ावा देने और उसी स्कूल में शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लेखा मानकों के आधार पर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने खाते को बनाए रखना विद्यालय की जिम्मेदारी होगी।खातों का लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी चाहिए और प्रमाणित किया जाना चाहिए और उचित लेखा विवरण तैयार किए जाने चाहिए और मौजूदा कानूनों/नियमों के अनुसार बनाए रखे जाने चाहिए। सभी लेन-देन डिजिटल द्वारा किए जाने चाहिए।विद्यालय अपने खाते को सोसायटी से अलग करेगा और स्वतंत्र रूप से लेखा पुस्तकों का रखरखाव करेगा।

धन बचाएँ:

यदि उपयुक्त सरकार के कानून/विनियम इस प्रकार निर्धारित करते हैं तो स्कूल एक आरक्षित निधि बनाए रखेगा।ऐसे कानूनों/नियमों के तहत निर्धारित तरीके से।यह विद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह विद्यालय या सोसायटी/न्यास/कंपनी द्वारा बैंक आदि से लिए गए सभी ऋणों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखे, जिसमें ऐसे सुरक्षित ऋण के उद्देश्य, प्रतिभूतियों और पुनर्भुगतान की शर्तों आदि का पूरा विवरण हो।स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह से लिया गया ऋण केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है।" (जोर दिया गया)

(121) सी. बी. एस. ई. के उपनियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन सी. बी. एस. ई. उपनियमों पर आधारित हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(122) कि माननीय 1000 की टिप्पणियों पर विचार करने से पहले

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

कार्रवाई समिति के मामले में उच्चतम न्यायालय (ऊपर) जिसने समीक्षा की

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ 16 में दिया गया निर्णय, उन नियमों पर विचार करना प्रासंगिक होगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आए थे।

मॉडर्न स्कूल के मामले (सुप्रा) और एक्शन कमेटी के मामले में अदालत मामला (ऊपर)। दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 की खंड 177 के साथ-साथ निदेशक द्वारा जारी निर्देशों का खंड 8, जो आधुनिक विद्यालय के मामले (ऊपर) और कार्रवाई समिति के मामले (ऊपर) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्याख्या का विषय था, निम्नानुसार हैः-

नियम 177।गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्राप्त शुल्क का उपयोग कैसे किया जाए।

—(1) किसी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा शुल्क के रूप में प्राप्त आय का उपयोग पहली बार में विद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य वेतन, भत्तों और अन्य लाभों को पूरा करने के लिए किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसे विद्यालय द्वारा एकत्र की गई फीस से बचत, यदि कोई हो, का उपयोग उसकी प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय की पूंजी या आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए

या निम्नलिखित में से एक या अधिक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, अर्थात् -

((क) छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

((ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थापना; या

(ग) किसी अन्य विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की सहायता करना, जो कॉलेज नहीं है, उसी सोसायटी या ट्रस्ट के प्रबंधन के तहत जिसके द्वारा पहले उल्लिखित विद्यालय चलाया जाता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बचत का निर्धारण निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने के बाद किया जाएगा, अर्थात् -

(क) पेंशन, उपदान और अन्य निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और स्कूल के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य अन्य लाभ; (ख) स्कूल का आवश्यक विस्तार या विकासात्मक प्रकृति का कोई खर्च;

((ग) विद्यालय भवन का विस्तार या किसी भवन या प्रतिष्ठान के विस्तार या निर्माण के लिए।

16 2004 (5) एस. सी. सी. 583

स्वतंत्र विद्यालय का संगठन चंडीगढ़ और अन्य

बनाम 1001

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

छात्रावास या छात्रावास आवास का विस्तार; (घ) छात्रों की सह-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ;

(ङ) ऐसी बचत की उचित आरक्षित निधि, जो दस प्रतिशत से कम न हो।

(3) खेल, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों, भ्रमण के लिए सदस्यता या पत्रिकाओं के लिए सदस्यता जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र की गई धनराशि और वार्षिक शुल्क, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, केवल संबंधित विद्यालय के छात्रों के विशेष लाभ के लिए खर्च किया जाएगा और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट बचत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट संग्रह उसी तरीके से प्रशासित किए जाएंगे जैसे छात्रों की निधि में जमा धन का प्रबंधन किया जाता है।

निदेशक द्वारा निर्देशः

खंड 7.फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरणों की खरीद, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए संसाधनों के पूरक के लिए कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क का दस प्रतिशत से अधिक विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता है।यदि आवश्यक हो, तो विकास शुल्क को पूंजी रसीद के रूप में माना जाएगा और केवल तभी एकत्र किया जाएगा जब विद्यालय राजस्व खातों में लगाए गए मूल्यह्रास के समतुल्य मूल्यह्रास आरक्षित निधि का रखरखाव कर रहा हो और इस शीर्ष के तहत संग्रह और इस निधि से किए गए निवेश से उत्पन्न आय को अलग से बनाए गए विकास निधि खाते में रखा जाएगा।

खंड 8.माता-पिता/छात्रों से एकत्र शुल्क/धन का उपयोग दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 176 और 177 के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।कोई राशि नहीं जो कुछ भी किसी विद्यालय के मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय कोष से सोसायटी या न्यास या किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरित किया जाएगा।

(123) दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 की खंड 177 (जिसे इसके बाद 1973 के नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खंड 177 ने किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थापना या उसी प्रबंधन के तहत चलाए जा रहे किसी अन्य विद्यालय शैक्षणिक संस्थान की सहायता के लिए विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान के खर्च को पूरा करने के बाद धन के हस्तांतरण की अनुमति दी है।यह केवल 1002 द्वारा पारित आदेश था।

निदेशक, जिसने धन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया।ये निर्देश 1973 के नियमों के विपरीत थे, क्योंकि नियमों ने उसी सोसायटी या ट्रस्ट के तहत चलाए जा रहे किसी भी अन्य स्कूल/शैक्षणिक संस्थान के उपयोग के लिए धन के हस्तांतरण की अनुमति दी थी।

(124) 2016 के अधिनियम की खंड 10 (4) से (6), जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित है, अलग-अलग शब्दों में लिखी गई है, लेकिन दिल्ली के 1973 के नियमों की खंड 177 के समान है।1973 के नियम किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल की स्थापना के लिए या किसी अन्य स्कूल शिक्षा संस्थान की सहायता के लिए, जो कॉलेज नहीं है, सोसाइटी या ट्रस्ट के समान प्रबंधन के तहत अधिशेष धन के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं।हालांकि खंड 10 (4) से (6) स्पष्ट रूप से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक

संस्थान की अधिशेष निधि को समाज या न्यास आदि को हस्तांतरित करने का उल्लेख/प्रावधान नहीं करती है।जिसके तहत यह काम कर रहा है, लेकिन साथ ही यह गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान पर समाज या न्यास आदि को अतिरिक्त धन हस्तांतरित करने के लिए कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाता है।जिसके तहत यह काम कर रहा है।

(125) माननीय उच्चतम न्यायालय ने मॉडर्न स्कूल के मामले (उपरोक्त) में, पैराग्राफ 22 में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 177 पर विचार करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि निदेशक के आदेश का खंड 8 1973 के नियमों के नियम 177 के साथ टकराव में था।

(126) हालांकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई समिति के मामले (उपरोक्त) में मॉडर्न स्कूल के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए कहा कि एक ही प्रबंधन के तहत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में धन के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है, जब तक कि उचित शुल्क संरचना मौजूद है।माननीय सर्वोच्च द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां

एक्शन कमेटी के मामले (ऊपर) में अदालत, निम्नानुसार पढ़ती हैः-

“21. कार्रवाई समिति/प्रबंधन की ओर से दिए गए तर्क में योग्यता है।1973 का अधिनियम और

इसके तहत बनाए गए नियम अधिक विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रबंधन के रास्ते में नहीं आ सकते हैं।जब तक एक उचित शुल्क संरचना मौजूद है और जब तक एक ही प्रबंधन के तहत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में धन का हस्तांतरण होता है, तब तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं हो सकती है

(जोर दिया गया)

(127) संशोधित/प्रतिस्थापित उप-स्वतंत्र विद्यालय के समाज परिवर्तन की व्याख्या करते हुए वर्तमान मामले में एजुस्डेम जेनरिस का सिद्धांत आकर्षित होगा।

पंजाब राज्य अधिनियम 2016 की खंड 10 की उप-खंड 4 के संयोजन में 2016 अधिनियम की खंड 10 की खंड 4 से 6 को यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया। पंजाब राज्य का 2016 का अधिनियम गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से सोसायटी/ट्रस्ट/किसी भी अन्य संस्थान (उसी प्रबंधन के तहत चलने वाले) को धन देने की अनुमति देता है, जबकि संशोधित/प्रतिस्थापित 2016 का अधिनियम यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, जो विशेष रूप से/स्पष्ट रूप से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से सोसायटी/ट्रस्ट/किसी अन्य संस्थान आदि (उसी प्रबंधन के तहत चलने वाले) को धन देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।(128) इसके अलावा, 2016 के अधिनियम की खंड 10 की उप-खंड 5 की व्याख्या करते समय एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को आकर्षित किया जाएगा, जैसा कि 2016 के अधिनियम की खंड 10 की उप-खंड (4) और (6) के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया था, जैसा कि यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया था।उप-धारा 5 में "संस्थान" शब्द का उपयोग किया गया है जबकि उप-धारा 4 और 6 में "संस्थान" शब्द का उपयोग किया गया है। (129) कि भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (B.H.E.L.) बनाम मेसर्स ग्लोब हाई-फैब्स लिमिटेड 17 यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एजुस्डेम जेनरिस कानून का नियम नहीं है, लेकिन यह इसके विपरीत संकेत की अनुपस्थिति में में निष्कर्ष की अनुमति देता है, और जहां संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य और शरारत को सामान्य महत्व के शब्दों के साथ सीमित अर्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उन शब्दों को उनका सादा और सामान्य अर्थ देना अदालतों का कर्तव्य बन जाता है।

“14. इजस्डेम जेनरिस के नियम को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।यह कानून का एक अलंघनीय नियम नहीं है, लेकिन यह केवल इसके विपरीत संकेत की अनुपस्थिति में में अनुमेय निष्कर्ष है, और जहां संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य और शरारत को सामान्य महत्व के शब्दों के साथ सीमित अर्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह अदालतों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उन शब्दों को उनका स्पष्ट और सामान्य अर्थ दें।जैसा कि लॉर्ड स्कार्मन ने कहा हैः

"यदि किसी अधिनियम का विधायी उद्देश्य ऐसा है कि एक वैधानिक श्रृंखला को सामान्य माना जाना चाहिए, तो नियम सहायक है।लेकिन, यदि ऐसा नहीं है, तो अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने की तुलना में नियम के हारने की अधिक संभावना है।वैधानिक व्याख्या के कई अन्य नियमों की तरह यह नियम भी एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खराब स्वामी है।

17 2015 (5) एससीसी 718 1004

इसलिए सामान्य शासन के आधार पर एक संकीर्ण निर्माण को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर संसद के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक निर्माण को रास्ता देना पड़ सकता है। (जोर दिया गया)

(130) विधान ने 2016 के अधिनियम की खंड 10 (4) और (6) में "गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान" शब्द का विशेष रूप से उपयोग किया है, जैसा कि यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, जबकि 2016 के अधिनियम की खंड 10 (5) के तहत यू. टी. चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, "गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान" शब्द का उपयोग किया जाता है।खंड 10 (5) में "संस्थान" शब्द का उपयोग करने का उद्देश्य प्रबंधन को ट्रस्ट/समाज के समान प्रबंधन के तहत चलाए जा रहे गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति/विवेक प्रदान करना है।

(131) हमें डर है कि हम यू. टी. प्रशासन के स्पष्टीकरण को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू. टी. प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ की भौगोलिक सीमा के भीतर शैक्षणिक संस्थानों के विकास को प्रतिबंधित करने की व्याख्या देश में शिक्षा को फलने-फूलने/आगे बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य को विफल कर देगी।केवल इसलिए कि एक एकल सोसायटी/ट्रस्ट चंडीगढ़ में एक से अधिक स्कूलों का संचालन नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल की स्थापना के लिए या किसी भी भौगोलिक प्रतिबंधों के बावजूद उसी प्रबंधन के तहत किसी अन्य स्कूल शैक्षणिक संस्थान की सहायता के लिए शैक्षणिक संस्थान के अतिरिक्त धन का उपयोग करने के लिए सोसाइटी/ट्रस्ट को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने के बराबर नहीं है।2016 के अधिनियम का अंतिम लक्ष्य गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मुनाफाखोरी और प्रति व्यक्ति शुल्क वसूलने के खतरे पर अंकुश लगाना है, लेकिन साथ ही शिक्षा को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करना है, जो केवल तभी हासिल किया जाएगा जब प्रबंधन/समाज या न्यास को बिना किसी भौगोलिक प्रतिबंध के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता दी जाए।

(132) फ्रांसिस बेनिओन की सांविधिक व्याख्या, उद्देश्यपूर्ण निर्माण का वर्णन निम्नलिखित तरीके से करती हैः

" एक अधिनियम का एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण वह है जो विधायी उद्देश्य को प्रभावी बनाता है -

(क) अधिनियमन के शाब्दिक अर्थ का पालन करते हुए जहां वह अर्थ विधायी उद्देश्य (इस संहिता में एक उद्देश्यपूर्ण और शाब्दिक निर्माण कहा जाता है), या स्वतंत्र विद्यालय का संगठन के अनुसार है।

(बी) एक तनावपूर्ण अर्थ को लागू करना जहां शाब्दिक अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार नहीं है (संहिता में एक उद्देश्यपूर्ण और तनावपूर्ण निर्माण कहा जाता है)।"

(133) इसके अलावा यह व्याख्या का नियम है कि किसी अधिनियम का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए जो उसके सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाए।

(134) पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम की घोषणा का उद्देश्य, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित है, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की शुल्क संरचना को नियंत्रित करना और धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूंजीकरण और मुनाफाखोरी के खतरे पर अंकुश लगाना है।साथ ही इसका अंतिम लक्ष्य भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना है।इसका उद्देश्य भारत के क्षेत्र को सीमा में विभाजित करके शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है।इसलिए, विशेष/संबंधित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के लिए धन के उपयोग को सीमित करने से शिक्षा के विकास पर अंकुश लगेगा और इस तरह के अधिनियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के लिए हानिकारक होगा।

(135) हमारा मानना है कि खंड 10 (5) में प्रयुक्त 'संबंधित' शब्द को 'गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों' के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो एक प्रबंधन के तहत संचालित होने वाले शैक्षणिक संस्थानों को संदर्भित करेगा।'संबंधित' शब्द का उपयोग केवल एक ही प्रबंधन के तहत संचालित संस्थानों के लिए धन के उपयोग की अनुमति देने के इरादे से किया गया है, न कि विभिन्न प्रबंधन के तहत शासित संस्थानों के लिए।इसलिए, हमारा मानना है कि सामान्य न्याय के सिद्धांत और कानून के उद्देश्यपूर्ण निर्माण को लागू करके, 2016 के अधिनियम की खंड 10 (5) में उपयोग किए गए 'संबंधित गैर-सहायता प्राप्त

शैक्षणिक संस्थान' शब्द का अर्थ उन सभी संस्थानों के रूप में किया जाना चाहिए जो एक ही सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी के प्रबंधन के तहत चलाए जा रहे हैं।कहने की जरूरत नहीं है कि धन का उपयोग केवल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है (जिसका दुरुपयोग हमेशा संस्थानों के अपलोड किए गए वित्तीय विवरणों से रोका जा सकता है)।

(136) पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम की खंड 10 (4) के आगे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अधिनियम ने गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के धन को सोसायटी या ट्रस्ट या किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी है जो सोसाइटी या ट्रस्ट के समान प्रबंधन के तहत हैं।इस प्रकार पंजाब राज्य के मूल अधिनियम के तहत भी किसी व्यक्ति को या शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करने वाले समाज या न्यास के अलावा किसी अन्य न्यास या समाज को धन हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध था।2016 के संशोधित अधिनियम में भी ऐसी ही स्थिति होगी जो 1006 पर लागू होगी।

यू. टी., चंडीगढ़, विशेष रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।केंद्र सरकार ने संशोधनों को लागू करके शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करने वाली सोसायटी को धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, ताकि शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त धन का गलत उपयोग न हो।

(137) हम उपरोक्त व्याख्या को प्रस्तुत करते समय 1973 के नियमों के नियम 177 में उपयोग की गई भाषा से भी बल प्राप्त करते हैं जो कार्रवाई समिति के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक उचित शुल्क संरचना मौजूद है और अतिरिक्त धन का हस्तांतरण उसी प्रबंधन के तहत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में है, तब तक कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।खंड 10 (4) से (6), हमारे विचार में, शिक्षा को बढ़ावा देने के उपयोग के लिए न्यास या सोसायटी या कंपनी या स्कूल प्रबंधन समिति को धन हस्तांतरित करने की भी अनुमति देती है और किसी भी तरह से इसका उपयोग किसी विशेष संस्थान को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है न कि उसी प्रबंधन के तहत संचालित संस्थानों को।

(138) इसके अलावा हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि खंड 10 (4) किसी अन्य व्यक्ति को धन के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है, जबकि खंड 10 (6) किसी भी व्यक्ति

या उद्यम को धन के प्रवाह की अनुमति देती है, इसलिए दोनों खंडएं एक-दूसरे के विरोधाभासी होने के कारण कायम नहीं रह सकती हैं।हम इस विवाद में कोई बल नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों धाराओं में कोई विरोधाभास नहीं है।

(139) अन्यथा भी, यह निर्माण का एक प्रमुख नियम है कि जब किसी अधिनियम में दो प्रावधान हैं जो एक-दूसरे के साथ संघर्ष में हैं, जैसे कि वे दोनों खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि दोनों को प्रभाव दिया जा सके, और यह कि एक निर्माण जो उनमें से किसी को निष्क्रिय और बेकार बनाता है, उसे अंतिम उपाय के अलावा नहीं अपनाया जाना चाहिए।इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है।

(140) खंड 10 (4) और खंड 10 (6) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति शब्द का उपयोग आत्यन्तिक रूप अलग संदर्भों में किया गया है।खंड 10 (4) ट्रस्ट या सोसायटी या कंपनी या स्कूल प्रबंधन समिति में किसी विशेष व्यक्ति को गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के धन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को चलाने वाले ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी या स्कूल प्रबंधन समिति के धन के हस्तांतरण की अनुमति देती है।खंड 10 (6) एक अलग क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति या उद्यम को स्वतंत्र विद्यालय के समाज परिवर्तन और विकास के लिए धन भेजने की अनुमति देती है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के आनुषंगिक उद्देश्य।हमारा मानना है कि खंड 10 (6) "प्रबंधन द्वारा किसी भी व्यक्ति या उद्यम को धन का संचार" में उपयोग किया गया शब्द खर्चों को पूरा करने या विस्तार उद्देश्यों के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आनुषंगिक किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन के उपयोग के संदर्भ में है।अतः दोनों उपखंडों में कोई टकराव प्रतीत नहीं होता है।

(141) न्यास या सोसायटी या स्कूल प्रबंधन समिति में किसी भी व्यक्ति को धन देने पर लगाए गए प्रतिबंध या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धन का उपयोग करने के निर्देश को तर्कहीन या मूल अधिनियम की घोषणा के उद्देश्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के धन की पारदर्शिता और उचित उपयोग सुनिश्चित होगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि संस्थान/विद्यालय के धन का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार और निवेश के लिए किया जाए।

(142) खंड 10 के तहत किए गए संशोधन उचित संशोधनों और परिवर्तनों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि खंड 10 (4) से (6) 2016 अधिनियम की घोषणा के उद्देश्य के लिए आकस्मिक हैं, और यह गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एकत्र की गई धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।धन के हस्तांतरण का लाभ उठाने और संस्थान के धन को हड़पने के साथ सीधा संबंध है।इसलिए, ऊपर की गई टिप्पणियों और हमारे द्वारा दी गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित खंड 10 (4) से (6) मुख्य अधिनियम के आनुषंगिक और अधीन हैं और इस प्रकार 1966 अधिनियम की खंड 87 के अंतर्गत हैं।

(ग) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 अधिनियम की खंड 3 (2) की वैधता को चुनौती।

(143) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 अधिनियम की खंड 3 (2) के तहत प्रदान किए गए नियामक निकाय की संरचना के लिए चुनौती इस आधार पर है कि नियामक निकाय में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

(144) शुरुआत में ही, क़ानून को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार ने 2016 के अधिनियम का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तार करते हुए मूल अधिनियम में किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया है। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि 2016 के अधिनियम में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी गई थी और इसे केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया है, जबकि इसे 1008 तक बढ़ा दिया गया है। आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1)

चंडीगढ़।2016 के अधिनियम की खंड 3 (2) का तुलनात्मक चार्ट इस प्रकार हैः

पंजाब	चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनुकूलित

3. विनियामक निकाय का गठन-(2) विनियामक निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात्ः - क. संबंधित अध्यक्ष के संभागीय आयुक्त; प्रभाग; ख. संबंधित सदस्य सचिव के मंडल शिक्षा अधिकारीः विभाजन; ग. संभाग के संबंधित मुख्यालय में तैनात जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक सदस्य; शिक्षा); घ. प्रभाग के संबंधित मुख्यालय में तैनात जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक सदस्यः शिक्षा); ई. नामित सदस्य द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य; संबंधित विभाग के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से सरकार; च. संभागीय मनोनीत सदस्यों द्वारा नामित एक सदस्य। संबंधित प्रभाग में कार्यरत उप नियंत्रकों (वित्त और लेखा) या सहायक नियंत्रकों (वित्त और लेखा) में से आयुक्त। 3. उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मनोनीत सदस्यों को ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा और	3. विनियामक निकाय का गठन-(2) विनियामक निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात्ः - ए। शिक्षा सचिव चंडीगढ़ प्रशासन अध्यक्ष; बी। निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य सचिव; ग. चंडीगढ़ प्रशासन के उप निदेशक-सदस्य; ई. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से दो सदस्यों को नामित किया जाएगा-मनोनीत सदस्य; च. चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग में तैनात उप नियंत्रकों (वित्त और लेखा) या सहायक नियंत्रकों (वित्त और लेखा) में से अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य-नामित सदस्य। (3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य

नियामक निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।	विनियामक निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसा पारिश्रमिक और यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए।

(145) यह ध्यान दें योग्य है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस्लामी कानून के अनुच्छेद 7 में शुल्क समिति का गठन किया था। शिक्षा अकादमी और दूसरा बनाम कर्नाटक राज्य औरअन्य 18 जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों के किसी भी प्रतिनिधि को नियामक निकाय में शामिल नहीं किया गया था।

(146) पंजाब राज्य अधिनियम 2016 को भ्रष्टाचार विरोधी (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।जब तक राज्य सरकारों द्वारा उचित अधिनियम लागू नहीं किया गया था, तब तक इस न्यायालय ने समितियों के गठन का निर्देश दिया था कि वे स्कूलों के खातों में जाएं और स्कूल द्वारा शुल्क में वृद्धि की तर्कसंगतता का पता लगाएं।यहां तक कि उक्त समिति में निजी शैक्षणिक संस्थान के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था।

(147) निजी शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे और उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता दी गई है।विनियामक निकायों का गठन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुल्क निर्धारित करते समय संस्थान मुनाफाखोरी और प्रति व्यक्ति शुल्क लेने में लिप्त न हों।नियामक निकाय में सदस्यों को शामिल नहीं करने से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है क्योंकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है।इसलिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 अधिनियम की खंड 3 (2) को चुनौती भी खारिज कर दी गई है।

(डी) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित 2016 अधिनियम की खंड 14 की वैधता को चुनौती।

(148) 2016 के अधिनियम की खंड 14 को चुनौती दी गई है, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक इस आधार पर विस्तारित किया गया है कि 2016 के अधिनियम को एक तंत्र प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क को विनियमित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था और किसी भी तरह से अधिनियम जुर्माना लगाने के लिए नहीं था।

(149) 2016 के अधिनियम की खंड 14 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दंडात्मक प्रावधान अधिनियम 18 2003 (6) एस. सी. सी. 697 1010 में पहले से ही मौजूद था।

पंजाब राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाते हुए घोषित दंड राशि में केवल वृद्धि की गई है।पंजाब राज्य के मूल अधिनियम की वैधता 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10662 में पहले से ही विचाराधीन है और वर्तमान कार्यवाही में निर्णय का विषय नहीं है।

(150) केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए 2016 के अधिनियम की खंड 14 का विस्तार करते हुए केवल जुर्माना राशि में वृद्धि की है और किसी भी तरह से मूल अधिनियम में बदलाव नहीं किया है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया संशोधन आकस्मिक, सहायक प्रकृति का है और इसमें किसी भी तरह से अधिनियम से पर्याप्त विचलन शामिल नहीं है।

(151) इसके अलावा 2016 अधिनियम को लागू किया गया है ताकि समय-समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि निजी शैक्षणिक संस्थान मुनाफाखोरी और प्रति व्यक्ति शुल्क लेने में लिप्त न हों। और यह सुनिश्चित करना कि पारदर्शिता और जवाबदेही हो जो एक उचित शुल्क संरचना की एक आवश्यक विशेषता है।पैरा में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन एंड अन्र बनाम स्टेट ऑफ एजुकेशन का नंबर 7, कर्नाटक और अन्य, 19 ने सरकार/अधिकारियों को उचित नियम बनाने का भी निर्देश दिया, और यदि यह पाया जाता है कि कोई संस्थान प्रति व्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी कर रहा है, तो उसे उचित रूप से दंडित किया जा सकता है।इस्लामी अकादमी (उपरोक्त) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"7. .....सरकारों/उपयुक्त अधिकारियों को उचित नियम बनाने पर विचार करना चाहिए, यदि पहले से ही तैयार नहीं किए गए हैं, जिसके तहत यह पाया जाता है कि कोई संस्थान प्रति व्यक्ति शुल्क ले रहा है या उस संस्थान को मुनाफाखोरी कर रहा है तो उसे उचित रूप से दंडित किया जा सकता है और इसकी मान्यता/संबद्धता खोने की संभावना का भी सामना करना पड़ सकता है (जोर दिया गया)

(152) इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को दंडात्मक खंड के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती है क्योंकि यह केवल उल्लंघन के मामले में होती है और अन्यथा नहीं।जुर्माने के आदेश के खिलाफ भी अपील का प्रावधान है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जुर्माने के किसी भी मनमाने आदेश के मामले में याचिकाकर्ता हमेशा माननीय न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इस प्रकार, यह मामला नहीं है कि दंड के आदेश के विरुद्ध, 19
2003 (6) एस. सी. सी. 697

याचिकाकर्ता कम उपाय वाले होते हैं।(153) हमारा यह भी मत है कि यदि अधिनियम में कोई दंडात्मक खंड शामिल नहीं किया जाता है तो इस तरह के अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।यह अधिनियम एक दाँत रहित बाघ के अलावा और कुछ नहीं होगा।बिना सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क को विनियमित करने के लिए अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र को केवल दंड की तलवार से ही लागू किया जा सकता है।

(154) इसलिए, हम पाते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने 2016 के अधिनियम की खंड 14 को उचित रूप से अपनाया है और यह मुख्य अधिनियम के लिए आकस्मिक है और निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की शुल्क संरचना को विनियमित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी होने के कारण इसे किसी भी तरह से 1966 के अधिनियम की खंड 87 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता है।

मुद्दा सं**. (v)**

(155) उपरोक्त मुद्दा अब एकीकृत नहीं था और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बार-बार चर्चा की गई है जिन पर इस मुद्दे से निपटने से पहले विचार करने की आवश्यकता है।

i) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 20.

(156) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार

टी.एम. ए. पाई फाउंडेशन बनामकर्नाटक राज्य, (ऊपर) अधिकतम

उन संस्थानों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जो प्रशासन के मामले में स्वयं उत्पन्न धन और शुल्क की मात्रा के आधार पर मौजूद हैं।माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की होती है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि शुल्क संग्रह को विनियमित किया जा सकता है।फैसले का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:

"54.एक विद्या सम्बन्धी संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है; लेकिन इस तरह के नियामक उपाय, सामान्य रूप से, उचित विद्या सम्बन्धी

मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे (योग्य कर्मचारियों सहित) के रखरखाव और प्रबंधन के प्रभारी लोगों द्वारा कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए। एक कठोर शुल्क संरचना का निर्धारण, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्धारित करना, 20 2002 (8) एससीसी 481 1012 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1)

नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे।

57. हालाँकि, हम एक बात पर जोर देना चाहते हैं, और यह कि शिक्षा का व्यवसाय, एक अर्थ में, धर्मार्थ के रूप में माना जाता है, सरकार ऐसे नियम प्रदान कर सकती है जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे, जबकि संस्थान द्वारा प्रति व्यक्ति शुल्क लेने और मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध लगाएंगे।चूँकि एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य परिभाषा के अनुसार "धर्मार्थ" है, यह स्पष्ट है कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है जो उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक नहीं है।इसे अलग तरीके से कहें तो किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की होती है।हालाँकि, एक उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है, जो शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। (जोर दिया गया)

(157) इसके अलावा टी. एम. ए. पाई के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के मामले पर विचार करते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा एक तर्कसंगत शुल्क संरचना अपनाई जानी चाहिए जिसमें कोई प्रति व्यक्ति शुल्क या लाभ कमाने का इरादा शामिल नहीं होगा।राज्य को उचित तंत्र तैयार करने का अधिकार दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई प्रति व्यक्ति शुल्क न लिया जाए और संस्थानों द्वारा कोई मुनाफाखोरी न हो।टी. एम. ए. पाई के मामले (ऊपर) का अनुच्छेद 69 इस प्रकार हैः-

“69. ऐसे पेशेवर गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में, प्रबंधन को एक तर्कसंगत प्रक्रिया को अपनाने के अधीन राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता और पात्रता शर्तों के अनुसार शिक्षकों का चयन करने का अधिकार होगा। चयन के लिए।प्रबंधन द्वारा एक तर्कसंगत शुल्क संरचना अपनाई जानी चाहिए जो प्रति व्यक्ति शुल्क लेने का हकदार नहीं होगा।राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार किया जा सकता है कि कोई प्रति व्यक्ति शुल्क न लिया जाए और कोई

मुनाफाखोरी यद्यपि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उचित अधिशेष की अनुमति है।मान्यता या संबद्धता प्रदान करने की शर्तें व्यापक रूप से छात्रों और शिक्षकों के कल्याण सहित विद्या सम्बन्धी और शैक्षिक मामलों को शामिल कर सकती हैं।

(जोर दिया गया)

(158) माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 107 में अल्पसंख्यक संस्थानों के दावों पर विचार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित में बनाए गए विनियम अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होने चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक।इस तरह की सीमा को अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित पर हावी हो या सरकार को किसी भी अधिकार को तैयार करने से रोक सके।उस संबंध में विनियम।इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को आत्यन्तिक या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं माना जा सकता है और इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं है कि छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित विनियमों या शर्तों को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए।फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

"135.हम विद्वान महान्यायवादी के इस तर्क से सहमत हैं कि भाग III में संविधान में कोई आत्यन्तिक अधिकार नहीं है या नहीं है।संविधान के भाग III में प्रदत्त सभी अधिकार कम से कम उक्त भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं।यह समझना मुश्किल है कि संविधान के निर्माताओं ने धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को ऐसा आत्यन्तिक अधिकार दिया होगा, जो उन्हें इस तरह से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाएगा कि वे संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष कर सकें।संविधान।हमें यह प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल लगता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में, देश का कोई कानून, यहां तक कि संविधान भी, उन पर लागू नहीं होता है।

136. इस न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है।यह भी माना गया है कि प्रशासन का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय हित के अनुरूप शिक्षा के वाहक के रूप में संस्थानों के लाभ के लिए उचित नियमों के अधीन होना चाहिए।जनरल

सभी व्यक्तियों पर लागू भूमि के कानूनों को अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू माना गया है-उदाहरण के लिए, आदेशाधान, स्वच्छता, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विनियमन, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता से संबंधित कानून।

137. उपरोक्त निर्णयों से यह पता चलता है कि भले ही अनुच्छेद 30 (1) के शब्द अयोग्य हैं, इस न्यायालय ने माना है कि स्वास्थ्य, नैतिकता और शिक्षा के मानकों से संबंधित देश के कम से कम कुछ अन्य कानून लागू होते हैं।इसलिए, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को आत्यन्तिक या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं माना गया है, और हम इसे दोहराते हैं।समान सादृश्य से, ऐसा कोई कारण नहीं है कि छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित विनियमों या शर्तों को उचित विद्या सम्बन्धी वातावरण प्रदान आदेश के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।" (जोर दिया गया)

(159) इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के मामले (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में निर्णय दिया कि प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने और शुल्क के विनियमन के लिए वैधानिक प्रावधान राज्य या अन्य नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाने की अनुमति है, इस शर्त के अधीन कि ऐसे प्रावधान संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और कामकाज का उल्लंघन नहीं करते हैं और आगे गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को निर्धारित नहीं करते हैं।

(i) इस्लामी शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य 21;

(160) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन का मामला (ऊपर) सामने आया

इस्लामी अकादमी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की माननीय संविधान पीठ के समक्ष व्याख्या (ऊपर)।माननीय संविधान पीठ ने संस्थानों द्वारा एकत्र शुल्क के विनियमन के प्रश्न पर भी विचार किया।इस्लामी अकादमी के मामले (ऊपर) में यह देखा गया कि सरकार द्वारा कोई कठोर शुल्क संरचना तय नहीं की जा सकती है और प्रत्येक संस्थान को अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी देखा गया कि

21 2003 (6) एस. सी. सी. 697

सरकार/उपयुक्त प्राधिकरणों को उचित नियम बनाने पर विचार करना चाहिए, यदि पहले से ही नहीं बनाए गए हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी संस्थान द्वारा कोई मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया गया है और यदि कोई संस्थान प्रति व्यक्ति शुल्क लेने या संस्थान को मुनाफाखोरी करने में लिप्त पाया जाता है तो उसे उचित रूप से दंडित किया जा सकता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करने के लिएटी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के मामले (ऊपर) ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार, संस्थानों की शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुच्छेद सं. 7 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:-

"7. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, हमारे विचार में बहुमत का निर्णय बहुत स्पष्ट है। सरकार द्वारा कोई कठोर शुल्क संरचना तय नहीं की जा सकती है।प्रत्येक संस्थान को संस्थान चलाने के लिए धन जुटाने और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।उन्हें अधिशेष उत्पन्न करने में भी समर्थ होना चाहिए जिसका उपयोग उसकी बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान। फैसले के पैराग्राफ 56 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि शुल्क लेने का निर्णय अनिवार्य रूप से उन निजी शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सरकार से किसी भी धन की मांग नहीं करते हैं और जो सरकार से किसी भी धन पर निर्भर नहीं हैं।प्रत्येक संस्थान अपनी शुल्क संरचना रखने का हकदार होगा।प्रत्येक संस्थान के लिए शुल्क संरचना उपलब्ध अवसंरचना और सुविधाओं, किए गए निवेश, शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, संस्थान के विस्तार और/या बेहतरी के लिए भविष्य की योजनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। बेशक कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जा सकता है।इस प्रकार होना चाहिए इस बात पर जोर दिया कि बहुमत के निर्णय के अनुसार शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति का है।इस प्रकार जो अधिशेष/लाभ उत्पन्न किया जा सकता है वह केवल उस शैक्षणिक संस्थान के लाभ/उपयोग के लिए होना चाहिए। लाभ/अधिशेष का उपयोग किसी अन्य उपयोग या उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य व्यवसाय के लिए नहीं किया जा सकता है। उद्यम।चूंकि, वर्तमान में, ऐसे कानून/विनियम हैं जो शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित करते हैं और चूंकि इस न्यायालय ने अभी तक उन कानूनों/विनियमों की वैधता पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि टी. एम. ए. पाई के मामले में निर्णय

को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संबंधित प्राधिकारी प्रत्येक राज्य में एक सेवानिवृत्त 1016 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा उस राज्य का न्यायाधीश।अन्य सदस्य, जिसे न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, को प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट होना चाहिए।भारतीय चिकित्सा परिषद (संक्षेप में 'एमसीआई') या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एआईसीटीई') का प्रतिनिधि भी संस्थान के प्रकार के आधार पर सदस्य होगा।चिकित्सा शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का प्रभारी राज्य सरकार का सचिव, जो भी मामला हो, समिति का सदस्य और सचिव होगा। समिति को किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामित करने/सह-चयन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि समिति के सदस्यों की कुल संख्या 5 से अधिक न हो।प्रत्येक विद्या सम्बन्धी संस्थान को अपनी प्रस्तावित शुल्क संरचना, विद्या सम्बन्धी वर्ष से काफी पहले, इस समिति के समक्ष रखनी चाहिए।प्रस्तावित शुल्क संरचना के साथ-साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और लेखा पुस्तकों को भी उनकी जांच के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।इसके बाद समिति यह तय करेगी कि क्या उस संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित हैं और क्या वे मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं ले रहे हैं। समिति शुल्क संरचना को मंजूरी देने या किसी अन्य शुल्क का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगी जो संस्थान द्वारा लिया जा सकता है।समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन साल की अवधि के लिए बाध्यकारी होगा, जिसके अंत में संस्थान संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।एक बार समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद, संस्थान शुल्क के रूप में निर्धारित राशि के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अन्य राशि नहीं ले सकता है।यदि कोई अन्य राशि है

प्रभारित, किसी अन्य शीर्ष या छद्म रूप जैसे दान के तहत वही प्रति व्यक्ति शुल्क के शुल्क के बराबर होगा।सरकारों/उपयुक्त अधिकारियों को उचित नियम बनाने पर विचार करना चाहिए, यदि पहले से ही तैयार नहीं किए गए हैं, जिसके तहत यह पाया जाता है कि कोई संस्थान प्रति व्यक्ति शुल्क ले रहा है या उस संस्थान को मुनाफाखोरी कर रहा है तो उसे उचित रूप से दंडित किया जा सकता है और इसकी मान्यता/संबद्धता खोने की संभावना का भी सामना करना पड़ सकता है।"

(जोर दिया गया)

((ii) मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ 22

(161) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अल्पांश और गैर-22 2004 (5) एस. सी. सी. 583 स्वतंत्र विद्यालय के समाज परिवर्तन और विकास में उचित अधिशेष, लाभ, आय और उपज की अवधारणा पर विचार किया।

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 1017

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

अल्पसंख्यक संस्थान और आधुनिक स्कूल (उपरोक्त) के मामले में उचित अधिशेष क्या है।इसके अलावा, यह देखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक संस्थान स्थापित करने का अधिकार उचित है। लोक हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले विनियम। संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

"14. शुरुआत में, 1973 के अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने से पहले, हम यह कह सकते हैं कि अब इस न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि शुल्क संरचना के निर्धारण के मामले में गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान एक बड़ी स्वायत्तता का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे, किसी भी अन्य नागरिक की तरह, शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के लिए उचित अधिशेष के हकदार हैं।ऐसा माना गया है कि ऐसे संस्थानों को लाभ उत्पन्न करने के लिए अपने निवेश और व्यय की योजना बनानी होती है।हालाँकि, जो वर्जित है वह शिक्षा का व्यावसायीकरण है।इसलिए, हमें एक हड़ताल करनी होगी

ऐसे संस्थानों की स्वायत्तता और उनके व्यावसायीकरण को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बीच संतुलन

शिक्षा.हालाँकि, पहले के किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने उचित अधिशेष, लाभ, आय और उपज की अवधारणा को परिभाषित नहीं किया है, जो 1973 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में उपयोग किए गए शब्द हैं।

15 ..... टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले ने पहली बार शिक्षा की अवधारणा को "व्यवसाय" के रूप में अस्तित्व में लाया, यह शब्द संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) में उपयोग किया गया है।बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 26 सभी नागरिकों और धार्मिक संप्रदायों को क्रमशः शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान करते हैं।इसके अलावा, अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना

और प्रशासन का अधिकार देता है।हालांकि, अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत एक संस्था स्थापित करने का अधिकार उसके खंड (6) के संदर्भ में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसी तरह, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उचित विनियमों के अधीन माना जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ लोक हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान अन्य बातों के साथ साथ रखते हुए बनाए जा सकते हैं।उक्त निर्णय में, यह

यह देखा गया (पैरा 56 के अनुसार) कि शुल्क निर्धारण के मामले में आर्थिक ताकतों की भूमिका है।निवेश और व्यय का प्रावधान करने के बाद संस्थानों को उचित लाभ कमाने की अनुमति दी जानी चाहिए।हालांकि, प्रति व्यक्ति शुल्क और मुनाफाखोरी को प्रतिबंधित माना गया था।उपरोक्त दो निषेधात्मक मापदंडों के अधीन, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित नहीं किया जा सकता है।इसलिए, हमारे सामने मुद्दा यह है कि 1973 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उचित अधिशेष क्या है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में इस अदालत के समक्ष यह मुद्दा नहीं था।"

(iii) पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 23.

(162) पी. ए. इनामदार (उपरोक्त) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से दोहराया कि प्रत्येक संस्थान इस सीमा के अधीन अपनी शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है कि कोई मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जा सकता है।उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 139 और 141 को नीचे पढ़ा गया है:

"139.पाई फाउंडेशन, 2002 (8) एस. सी. सी. 481 में घोषित कानून के अनुसार, एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना भी संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर "एक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार" का एक घटक है।प्रत्येक संस्थान इस सीमा के अधीन अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है कि कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और कोई प्रति व्यक्ति शुल्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में नहीं लिया जा सकता है (पैरा 56 से 58 और 161 [पाई फाउंडेशन के प्रश्न 5 (सी) का उत्तर इस संबंध में प्रासंगिक है)।

141. प्रश्न 3 का हमारा उत्तर यह है कि प्रत्येक संस्थान अपनी शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा ही हो सकता है।

मुनाफाखोरी रोकने के हित में विनियमित। प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जा सकता है।

(163) इसके अलावा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें उन प्रतिबंधों के अधीन भी किया जा सकता है जो उचित हैं और छात्रों के हित में हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. ए. इनामदार के मामले (उपरोक्त) में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित शुल्क समिति को मंजूरी दी।

23 2005 (6) एस. सी. सी. 537

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 1019

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इस्लामी अकादमी के मामले (ऊपर) में अदालत।पी. ए. इनामदार (ऊपर) के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

" प्र. 4।इस्लामी अकादमी के अनुसार गठित समितियाँ

142. इस्लामी अकादमी के उस हिस्से में याचिकाकर्ता-आवेदकों की ओर से पेश होने वाले सभी विद्वान वकीलों द्वारा सबसे अधिक हमला किया गया था, जिसने प्रवेश और शुल्क संरचना से निपटने वाली दो समितियों के गठन का निर्देश दिया है।पाई फाउंडेशन के पैरा 35,37,38,45 और 161 (प्रश्न 9 का उत्तर) पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें उन्नी कृष्णन में बनाई गई इसी तरह की योजना को विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया था।पैरा 45 के माध्यम से, मुख्य न्यायाधीश कृपाल ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि उन्नी कृष्णन में प्रवेश अनुदान और शुल्क निर्धारण से संबंधित योजना तैयार करने का निर्णय सही नहीं था और उस हद तक उक्त निर्णय और यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई., एम. सी. आई., केंद्र और राज्य सरकारों आदि को दिए गए परिणामी निर्देशों को खारिज कर दिया गया है।पैरा 161 के अनुसार, पाई फाउंडेशन ने उन्नी कृष्णन को इस हद तक बरकरार रखा कि वह प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मानता है, लेकिन इस योजना को खारिज कर दिया गया।हालांकि, इस सिद्धांत को बरकरार रखा गया कि प्रति व्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। सुविधाओं के विस्तार और वृद्धि की लागत को पूरा करने के लिए उचित अधिशेष उत्पन्न करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी जो मुनाफाखोरी के बराबर नहीं होगी।यह प्रस्तुत किया गया कि इस्लामी अकादमी ने एक बार फिर ऐसी समितियों को बहाल किया है जिन्हें पाई फाउंडेशन द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

143. विभिन्न निजी व्यावसायिक संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने इस्लामी अकादमी के फैसले में स्थापित स्थायी समितियों की योजना पर सवाल उठाया है, बहुत निष्पक्ष रूप से इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को भी शिक्षा के व्यावसायीकरण, उसमें मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए नियामक उपायों के अधीन किया जा सकता है और छात्रों का शोषण।विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि पुलिसिंग की अनुमति है लेकिन राष्ट्रीयकरण या पूर्ण अधिग्रहण नहीं है।विनियामक उपाय योग्यता के आधार पर प्रवेश प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का विरोध नहीं किया गया है

हालांकि इस्लामी अकादमी के संदर्भ में समितियों के गठन के अलावा एक अन्य तंत्र पर जोर दिया गया और उस पर दबाव डाला गया।इसी तरह, यह आग्रह किया गया कि विनियामक उपाय, अनुमत सीमा तक, पेशेवर शिक्षा में उत्कृष्टता के मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय और/या एमसीआई और एआईसीटीई द्वारा मान्यता और संबद्धता की शर्तों का हिस्सा बन सकते हैं।इस तरह के उपायों पर अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी सवाल नहीं उठाए गए हैं।

144. इस्लामी अकादमी के निर्णय में प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए दो समितियां, हमारे विचार में, अपने संस्थानों में गैर-शोषणकारी शर्तों पर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखने में, समग्र रूप से छात्र समुदाय के साथ-साथ स्वयं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से नियामक उपायों के रूप में अनुमत हैं।कानूनी

राज्य विधानमंडलों द्वारा किए गए प्रावधान या प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण की निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा विकसित योजना अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार या अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।वे अनुच्छेद 30 (1) के तहत अनुमत अल्पसंख्यक संस्थानों के हित में और संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध हैं।

145. अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों की ओर से दिया गया यह सुझाव कि जिस उद्देश्य के लिए समितियों का गठन किया गया है, उसे संस्थानों द्वारा अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को अपनाने के बाद लेखा परीक्षा या जांच द्वारा प्राप्त किया जा सकता

है, विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक प्राधिकरणों के अनुभव से दिखाए गए कारणों से अस्वीकार्य है।जब तक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता द्वारा निर्देशित उपलब्ध सीटों पर प्रवेश देने की अनुचित प्रथा पर अंकुश लगाना असंभव होगा।

146. गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को भी इसी तरह के प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है जो उचित और छात्र समुदाय के हित में पाए जाते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा को योग्यता के मानदंड पर और सभी पात्र छात्रों के लिए समान आधार पर गैर-शोषणकारी शर्तों पर सुलभ बनाया जाना चाहिए।व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने शैक्षिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों का दायित्व और कर्तव्य है कि वे योग्यता के आधार पर प्रवेश देकर और एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया और उचित शुल्क-संरचना द्वारा से योग्य छात्रों के लिए शिक्षा को समान रूप से सुलभ बनाकर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखें।

147. हमारे सुविचारित विचार में, पाई फाउंडेशन में निर्णय और इसके विभिन्न पिछले निर्णयों के आधार पर जिस न्यायालय को उस मामले में विचार में लिया गया है, इस्लामी अकादमी में निर्णय द्वारा प्रवेश को विनियमित करने और शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए दो समितियों की स्थापना की योजना को दोनों श्रेणियों के गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के मामले में अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अल्पसंख्यकों के गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के मामले में अनुच्छेद 30 के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (जी) के कथित उल्लंघन के आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है।

148. इसलिए, हम समितियों के गठन में किसी भी बाधा को संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा इस न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई एक ठहराव या तदर्थ व्यवस्था के रूप में नहीं देखते हैं, जब तक कि राज्य द्वारा बनाया गया एक तदर्थ कानून या विनियमन कदम नहीं उठाता है।ऐसी समितियों की तुलना उन्नीकृष्णन समितियों के साथ नहीं की जा सकती है जो प्रकृति में स्थायी मानी जाती थीं।151. प्रश्न-4 पर, इसलिए हमारा निष्कर्ष यह है कि इस्लामी अकादमी में निर्णय, जहां तक यह दो समितियों की योजना को विकसित करता है, प्रवेश और शुल्क संरचना के लिए एक-एक, पाई फाउंडेशन में निर्धारित कानून और इस न्यायालय के पहले के फैसलों से परे नहीं

जाता है, जिन्हें उस मामले में मंजूरी दी गई है।इसलिए इस्लामी अकादमी में निर्णय के अनुसार दो समितियों के गठन की चुनौती विफल हो जाती है।हालाँकि, इस्लामी अकादमी के पैरा 19 के बाद के भाग में निहित स्पष्टीकरण के माध्यम से अवलोकन, जो राज्य सरकार द्वारा कोटा और प्रतिशत के निर्धारण की बात करता है, को अनावश्यक बना दिया गया है और इसे पहले के भाग 1022 में हमारे द्वारा पहले से ही रखे गए अवलोकन को ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या 1 पर विचार करते हुए इस निर्णय का।"

(जोर दिया गया)

(164) ऊपर से यह स्पष्ट है कि पी. ए. इनामदार के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इस्लामी अकादमी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समितियों को बरकरार रखते हुए कहा कि ज्ञात अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को भी इसी तरह के प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है जो उचित और छात्र समुदाय के हित में हैं।पी. ए. इनामदार के मामले (ऊपर) में पैराग्राफ 155 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह उचित समय है कि राज्य सरकारें और भारत संघ शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र या प्राधिकरण प्रदान करें और जब तक ऐसा कोई विनियमन लागू नहीं किया जाता है, तब तक अल्पसंख्यक के साथ-साथ गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित करने वाली समितियां, जैसा कि इस्लामी अकादमी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की गई हैं, मौजूद रहती हैं।पी. ए. इनामदार के मामले (ऊपर) का पैराग्राफ 155 इस प्रकार हैः-

"155. यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के लिए है कि वे केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति में में इस विषय पर एक विस्तृत सुविचारित कानून बनाएँ।इस तरह के कानून का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।राज्यों को इस दिशा में काम करना चाहिए। राज्य की न्यायिक शाखा को तब कार्य करने के लिए कहा जाता है जब अन्य दो शाखाएं, विधानमंडल और कार्यपालिका कार्य नहीं करती हैं।इससे पहले भारत संघ और राज्य सरकारें जितना कार्य करेंगी, उतना ही बेहतर होगा।प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित करने वाली समितियाँ अस्तित्व में बनी रहेंगी, लेकिन केवल एक अस्थायी उपाय और एक अपरिहार्य पारित चरण के रूप में जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य

सरकारें एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने और ऊपर की गई टिप्पणियों के अनुरूप समर्थ प्राधिकारी नियुक्त करने में समर्थ नहीं हो जाती हैं।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी समितियों और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय ऐसी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए तय किए गए मापदंडों के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए खुला होगा।"

(जोर दिया गया)

(165) इस प्रकार ऊपर से यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च

अदालत ने कहा कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क को विनियमित करने वाला कानून अनुज्ञेय है और वास्तव में राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क विनियमन को विनियमित करने वाले कानून को लागू करें, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या गैर-अल्पसंख्यक। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य अधिनियम 2016 का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रूपांतरण पी. ए. इनामदार के मामले (ऊपर) में की गई टिप्पणियों के अनुरूप है और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस अदालत के समक्ष भ्रष्टाचार विरोधी और जांच प्रकोष्ठ के मामले (ऊपर) में जारी किए गए निर्देशों और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

((iv) आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य 24

(166) आधुनिक दंत महाविद्यालय (ऊपर) के मामले में, राज्य शुल्क निर्धारण को विनियमित करने वाला अधिनियम विचार के लिए आया।माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निश्चित शुल्क संरचना का निर्धारण एक अस्वीकार्य प्रतिबंध होगा, हालांकि राज्य सरकारों को प्रति व्यक्ति शुल्क लेने और मुनाफाखोरी को प्रतिबंधित करने का अधिकार है क्योंकि शिक्षा का व्यवसाय एक धर्मार्थ गतिविधि है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के मामले पर भरोसा करते हुए (ऊपर), इस्लामी शिक्षा अकादमी का

मामला (ऊपर) और पी. ए.इनामदार के मामले (ऊपर) में कहा गया है कि हालांकि व्यवसाय एक मौलिक अधिकार है जो शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने और शुल्क तय करने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही इस तरह के अधिकारों को उचित प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है।

प्रासंगिक अनुच्छेद मॉडर्न डेंटल कॉलेज का मामला (ऊपर) इस प्रकार हैः-

"45. इस तर्क को कुछ टिप्पणियों, विशेष रूप से टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के पैराग्राफ 68 में, के संबंध में पी. ए. इनामदार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट और स्पष्ट व्याख्या को देखते हुए खारिज किया जाना चाहिए।इस संबंध में, हम दोहराना चाहेंगे कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में, ग्यारह न्यायाधीशों की एक पीठ ने निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार के दायरे के मुद्दों और उक्त अधिकार के सरकारी विनियमन की सीमा पर विचार किया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार में छात्रों को प्रवेश देने और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार शामिल है।लेकिन

उक्त अधिकार को उचित विद्या सम्बन्धी मानकों, वातावरण के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जा सकता है और बुनियादी ढांचा।कठोर शुल्क संरचना तय करना, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्देशित करना, नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे।हालांकि, का व्यवसाय शिक्षा व्यवसाय नहीं बल्कि धर्मार्थ गतिविधि से जुड़ा पेशा था।राज्य प्रति व्यक्ति शुल्क और मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध लगा सकता है।शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है।वहाँ हो सकता है, हालाँकि, शिक्षा के विकास के लिए एक उचित राजस्व अधिशेष होना चाहिए। प्रवेश के लिए योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।राज्य या विश्वविद्यालय को छात्रों को प्रवेश देने में पर्याप्त विवेकाधिकार देते हुए योग्यता आधारित चयन प्रदान करने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान की आवश्यकता हो सकती है।संस्थान या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीईटी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में

फैसले के पैराग्राफ 68 में कुछ टिप्पणियों की व्याख्या बहस का विषय रही है, जिसके लिए हम इसके बाद विस्तार से विज्ञापन देते हैं।

46. जैसा कि ऊपर बताया गया है, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में फैसले के तुरंत बाद, इस अदालत में रिट याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था, जिन पर इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा विचार किया गया था। चार न्यायाधीश एक ही थे जो टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में फैसले के पक्षकार थे।विचार किया गया मुद्दा शुल्क संरचना तय करने और बनाने में स्वायत्तता का विस्तार था। प्रवेश। इस न्यायालय ने कहा कि शुल्क संरचना तय करने के लिए संस्थानों के पास स्वायत्तता है, लेकिन कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और कोई प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जा सकता है क्योंकि शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति का है।इसके लिए प्रत्येक राज्य द्वारा यह तय करने के लिए एक समिति का गठन करने की आवश्यकता थी कि क्या किसी संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना उचित थी और यह मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के बराबर नहीं थी।इस प्रकार निर्धारित शुल्क तीन साल के लिए बाध्यकारी होगा जिसके अंत में संशोधन की मांग की जा सकती है।

48. इस मामले पर तब एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया था

स्वतंत्र विद्यालय का समाज चंडीगढ़ और अन्य 1025

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ (जसवंत सिंह, जे.)

पी. ए. इनामदार में सात न्यायाधीश।माना जा रहा है कि दोनों इस्लामी शिक्षा अकादमी में निर्णय के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए समितियों को नियामक उपायों के रूप में अनुमति दी गई थी, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से छात्र समुदाय के साथ-साथ गैर-शोषणकारी शर्तों पर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखने में स्वयं अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था।यह अनुच्छेद 30 (1) या अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है।यह देखा गया कि जब तक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता द्वारा निर्देशित उपलब्ध सीटों पर प्रवेश देने की अनुचित प्रथा पर अंकुश लगाना असंभव होगा (जोर दिया गया)।इस जमीन पर, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों के सुझाव, जिसके लिए संस्थानों द्वारा अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को अपनाने के बाद लेखा परीक्षा के बाद जांच द्वारा समितियों का गठन किया गया था, को अस्वीकार कर दिया गया था।इस प्रकार, समितियों को एक उपयुक्त कानून या विनियमों तक प्रवेश और शुल्क संरचना को

विनियमित करने के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई थी। राज्यों द्वारा तैयार किया गया।यह केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि वे प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत सुविचारित कानून बनाएँ और शुल्क संरचना।टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में पैराग्राफ 68 को यह कहते हुए समझाया गया था कि प्रबंधन को कुछ सीटें आरक्षित करने की अनुमति देने वाली टिप्पणियां स्थानीय जरूरतों के अनुसार गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए थीं।इसका मतलब योग्यता को नजरअंदाज करना नहीं था।यह भी माना गया कि सी. ई. टी. आयोजित की जा सकती है, अन्यथा योग्यता हताहत हो जाती है।इस प्रकार, जब कानून ऐसा प्रदान करता है तो राज्य एजेंसी द्वारा सी. ई. टी. आयोजित करने पर कोई रोक नहीं है।

49. इस प्रकार, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि निजी मेडिकल कॉलेजों को प्रवेश देने या शुल्क तय करने का आत्यन्तिक अधिकार है, जो पहले के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस न्यायालय के निर्णय।पेशेवर संस्थानों में प्रवेश में न तो योग्यता से समझौता किया जा सकता है और न ही प्रति व्यक्ति शुल्क की अनुमति दी जा सकती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य नियामक उपायों को लागू करने के लिए खुला है। हम इन दलीलों को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं कि राज्य योग्यता साबित करने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकता है

समझौता किया गया था या प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जा रहा था।जैसा कि इस न्यायालय के पहले के फैसलों में देखा गया है, लेखा परीक्षा के बाद के उपाय नियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे।प्रारंभिक चरण में ही नियंत्रण की आवश्यकता थी। इसलिए, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि हालांकि 'व्यवसाय' एक मौलिक अधिकार है, जो शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने और शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है, साथ ही, इन अधिकारों के दायरे पर चर्चा की गई है और इन अधिकारों पर सीमाओं की प्रकृति को समझाते हुए उपरोक्त निर्णयों द्वारा उन पर लगाई गई सीमाओं पर भी चर्चा की गई है।" (जोर दिया गया)

(167) इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय पैराग्राफ 77 में शुल्क संरचना के निर्धारण के लिए मानकों पर विचार करता है जैसा कि मॉडर्न स्कूल के मामले (ऊपर) में आयोजित किया गया है।इसके अलावा पैराग्राफ 92 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुल्क निर्धारण के संबंध में, राज्य को एक नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क में मुनाफाखोरी का तत्व नहीं है और यह भी कि कोई प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लिया जाता है।पैराग्राफ 92 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

" 92 इसी तरह, जब शुल्क के निर्धारण की बात आती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य एक नियामक के रूप में कार्य करता है और खुद को संतुष्ट करता है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क में मुनाफाखोरी का तत्व नहीं है और यह भी कि कोई प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लिया जाता है।वास्तव में, विनियामक प्रकृति का यह दोहरा कार्य जनहित को आगे बढ़ाने वाला है क्योंकि वे छात्र जो अन्यथा मेधावी हैं लेकिन प्रति व्यक्ति शुल्क आदि की अनुचित मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, वे प्रवेश प्राप्त करने से वंचित नहीं हैं। इसलिए, विवादित प्रावधानों का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक हित में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश करना है।कानून स्थिर नहीं है, इसे बदलते समय और बदलती सामाजिक/सामाजिक स्थितियों के साथ बदलना पड़ता है।"

(168) मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के मामले में (ऊपर), माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के कब्जे की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 19 (1) (जी), 19 (6), 26 और 30 के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि शिक्षा की गतिविधि न तो व्यापार है और न ही पेशा, यानी

व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए खुला है।शिक्षा को विशुद्ध रूप से आर्थिक गतिविधि होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक कल्याणकारी गतिविधि है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के सामाजिक परिवर्तन और उत्थान के लिए अधिक समृद्ध समाज प्राप्त करना है।

(169) आगे मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में मामला (ऊपर) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक अनुचित व्यवहार की बुराई असंभव होगी। कर्ब।माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में और अनुच्छेद 19 (1) (जी), 19 (6), 30 के संदर्भ में प्रचलित शुल्क के खतरे को ध्यान में रखते हुए और अनुसूची VII, सूची III की प्रविष्टि 25 और सूची I की प्रविष्टि 63-66 पर विचार करते हुए कहा कि शुल्क संरचना का विनियमन "पेशेवर गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक" और "गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों" में अनुमत है।

(170) मॉडर्न डेंटल कॉलेज के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून के अनुपात का पालन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है।

हाल ही में "इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य" शीर्षक वाले मामले में, 2021 की दीवानी याचिका सं 1724 ने 03.05.2021 पर निर्णय लिया। इंडियन स्कूल के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016 की वैधता पर निर्णय लेते हुए कहा कि स्कूल शुल्क के निर्धारण के लिए नियामक तंत्र प्रदान करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।प्रासंगिक अवलोकन निम्नानुसार हैः-

“19. इस न्यायशास्त्रीय व्याख्या के बाद, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि सरकार स्कूल शुल्क के निर्धारण के लिए बाहरी नियामक तंत्र प्रदान नहीं कर सकती है या इसलिए प्रारंभिक चरण में ही "न्यायसंगत" और "अनुमेय" स्कूल शुल्क का निर्धारण नहीं कर सकती है।”

(171) सिंधी एजुकेशन सोसाइटी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

और एन. आर. बनाम मुख्य सचिव, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और अन्य 25 ने राय दी कि विनियमन के उपाय अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता के लिए स्वीकार्य हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पैराग्राफ में, जैसा कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित टिप्पणियां कींः- "47. अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी (1974) 1 एस. सी. सी. 717 में इस न्यायालय की एक और सात न्यायाधीशों की पीठ मुख्य रूप से अनुच्छेद 29 25 2010 (3) एस. सी. टी. 586 के दायरे से संबंधित थीः2010 (8) एससीसी 49 1028

और संविधान की धारा 30, सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों और ऐसे संस्थानों के लिए संबद्धता की अवधारणा की प्रयोज्यता से संबंधित है।बेशक, अदालत ने माना कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का अल्पसंख्यक संस्थान का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।जब ए. अल्पसंख्यक संस्थान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए आवेदन करता है, यह सामान्य शिक्षा प्रणाली और उस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपनी पसंद व्यक्त करता है, और यह अध्ययन के समान पाठ्यक्रमों का पालन करने के लिए सहमत होता है।इसलिए, ऐसे उपाय जो अध्ययन के पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की योग्यता और

नियुक्ति, शिक्षकों के रोजगार की शर्तों, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं को विनियमित करेंगे, अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता के अनुरूप हैं।

55. प्रतिवादी ने पीठ द्वारा बताए गए कानून पर भरोसा जताया है कि राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों।इस तरह की सीमा को अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए।अनुच्छेद 30 (1) के तहत नियम ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित पर हावी हो या सरकार को उस संबंध में नियम बनाने से रोक सके।यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं या केवल एक भ्रम स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार नहीं बना सकते हैं; लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना आत्यन्तिक नहीं है कि कानून से ऊपर हो।

56. अपीलकर्ता इस दृष्टिकोण से भी लाभ प्राप्त करना चाहता है कि न्यायालयों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रशासन का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है और राष्ट्रीय हित के अनुरूप शिक्षा के वाहक के रूप में संस्थानों के लाभ के लिए उचित विनियमों के अधीन है।देश के ऐसे सामान्य कानून अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होंगे।साथ ही।ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक उचित विद्या सम्बन्धी वातावरण प्रदान आदेश के लिए आम तौर पर छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियमों या शर्तों को लागू नहीं किया जाना चाहिए।इस प्रकार,प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।कोई भी कानून, नियम या विनियमन, जो शैक्षिक स्वतंत्र विद्यालय के समाज को बदल देगा और

अन्य द्वारा संचालित संस्थानों की तुलना में अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को रद्द करना होगा।साथ ही, कोई विपरीत भेदभाव नहीं हो सकता है।

92. अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत अधिकार आत्यन्तिक नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जो अन्य बातों के साथ-साथ देश के सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान अन्य बातों के साथ साथ रखते हुए बनाए जा सकते हैं।कुप्रशासन को रोकने के साथ-साथ शिक्षा, शिक्षण, अनुशासन के रखरखाव, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता के मानकों को निर्धारित आदेश के लिए भी विनियमन तैयार किया जा सकता है।आदि। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान का ऐसा होना बंद नहीं होता है, जिस क्षण संस्थान द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है।इसलिए एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के प्रवेश का अधिकार रखने का हकदार होगा और साथ ही, गैर-अल्पसंख्यक छात्रों की एक उचित सीमा को इस हद तक स्वीकार करने की आवश्यकता होगी कि अनुच्छेद 30 (1) में अधिकार काफी हद तक बाधित नहीं है और इसके अलावा, अनुच्छेद 29 (2) के तहत नागरिक के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। (जोर दिया गया)

(172) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संस्थान/स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसका अर्थ होगा कि शुल्क संरचना को सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए ताकि मुनाफाखोरी से बचा जा सके।साथ ही उचित अधिशेष की अनुमति है जो छात्रों के लाभ के लिए स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के विकास के लिए आवश्यक हो सकता है।इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक सिद्धांत इस तरह के संस्थान की स्वायत्तता और शिक्षा के व्यावसायीकरण से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों के बीच संतुलन बनाना है।

(173) उपरोक्त निर्णयों से यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में नियोजित संस्थान वाक्यांश की स्थापना और प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:(क) छात्रों को प्रवेश देने के लिए; (ख) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के लिए; (ग) एक शासी निकाय का गठन करने के लिए; (घ) कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करने के लिए; और (ङ) किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही होने पर कार्रवाई करने के लिए।

(174) हालाँकि प्रशासन का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है और ऐसे विनियम अनुमत हैं, क्योंकि वे 1030 के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय का प्रशासन लेकिन संस्था के लाभ के लिए उस अधिकार के बेहतर और अधिक प्रभावी प्रयोग को सुविधाजनक और सुनिश्चित करता है।

(175) अल्पसंख्यक संस्थान नियमों का विरोध नहीं कर सकते हैं, जो मानक बनाए रखने के लिए अनुकूल हैं।हालाँकि कोई भी विनियमन मान्य नहीं होगा, यदि इसका प्रभाव अल्पसंख्यक प्रशासन को विस्थापित करने या अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार को सीमित करने का है।

(176) यह एक स्थिर स्थिति है कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के अधिकार सहित एक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार निहित है।हालाँकि, शिक्षा का व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि धर्मार्थ गतिविधियों से जुड़ा व्यवसाय है।इसलिए समग्र रूप से छात्र समुदाय की सुरक्षा के उद्देश्य से विनियामक उपायों को लागू करना और साथ ही शिक्षा के आवश्यक मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करना अच्छी तरह से अनुमत है जो गैर-दोहनकारी हैं।पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मुनाफाखोरी और प्रति व्यक्ति शुल्क वसूलने के खतरे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उचित प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) या अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है।

(177) अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित पर हावी हो या सरकार को उस संबंध में विनियम बनाने से रोक सके।यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना आत्यन्तिक नहीं है कि कानून से ऊपर हो।(178) भारतीय क्रिश्चियन मेडिकल का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

कॉलेज वेल्लोर संगठन बनाम भारत संघ 26 ने माना कि, अनुच्छेद

19 (1) (छ) और भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के रास्ते में नहीं आता है।अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 में निहित अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।इसके अलावा यह माना जाता है कि किसी संस्थान को प्रशासित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किए बिना उचित नियामक उपाय प्रदान किए जा सकते हैं।ईसाई धर्म के प्रासंगिक पैराग्राफ,मेडिकल कॉलेज का मामला (उपरोक्त) इस प्रकार हैः-

“58. इस प्रकार, हमारी राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26 और 29 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 के तहत अधिकार रास्ते में नहीं आते हैं।

26 2020 (8) एससीसी 705:आकाशवाणी 2020 एससी 4721:

प्रवेश के मामले में पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता सुनिश्चित करना।यह अध्ययन के पाठ्यक्रम, शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए योग्यताओं को विनियमित करने के लिए खुला है।यह राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए खुला है। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार आत्यन्तिक नहीं हैं और योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता की मान्यता और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।समान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता के परीक्षण को योग्य बनाता है और उचित है।इसी का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में आने वाली कई बीमारियों को रोकना, योग्यता में कम छात्रों को प्रवेश देकर प्रति व्यक्ति शुल्क को रोकना और शिक्षा के शोषण, मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकना है।संस्थान को शिक्षा का एक सक्षम माध्यम होना चाहिए।अल्पसंख्यक संस्थान संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं, जो सभी संस्थानों पर लागू होती हैं।यदि उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है, तो वे उन शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं जो सभी पर समान रूप से लागू होती हैं।नियम आवश्यक हैं, और वे विभाजनकारी या विघटनकारी नहीं हैं।इस तरह के नियामक उपाय संस्थानों को उन्हें कुशलता से प्रशासित करने में सक्षम बनाते हैं।राष्ट्रीय हित के लिए अपमानजनक शिक्षा का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।राष्ट्रीय हित को कम करने के लिए चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य है और योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) को ध्यान में रखते हुए सरकार को राष्ट्रीय हित में नियामक उपाय प्रदान करने का अधिकार है।

59. अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष में नहीं हैं।अधिकारों को संतुलित करना राष्ट्रीय और अधिक विशाल सार्वजनिक हित में संवैधानिक इरादा है।विनियामक उपायों को सीमित शासन की अवधारणा से परे नहीं कहा जा सकता है।विचाराधीन नियामक उपाय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए हैं और अनुच्छेद 47 और 51 (ए) (जे) में निहित निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम है और व्यक्ति को अपने उद्देश्य के अनुसरण में पूर्ण अवसर प्रदान करके सक्षम बनाता है।1032 के अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी संस्थान का प्रशासन करना कानून और अन्य संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर नहीं है।किसी संस्थान को प्रशासित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किए बिना उचित नियामक उपाय प्रदान किए जा सकते हैं।व्यावसायिक शिक्षा संस्थान अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं।ऐसे संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं।अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन एमसीआई अधिनियम की खंड 10 डी और दंत चिकित्सक अधिनियम और एमसीआई/डीसीआई द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा नहीं किया जाता है। विनियामक उपायों का उद्देश्य संस्थानों के उचित कामकाज के लिए और यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा का स्तर बनाए रखा जाए और कुप्रशासन की सीमा तक प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में कम न हो।एन. ई. ई. टी. निर्धारित करके विनियामक उपाय शिक्षा को दान के दायरे में लाना है जो चरित्र उसने खो दिया है।इसका उद्देश्य व्यवस्था से बुराइयों और विभिन्न कदाचारों को दूर करना है जिन्होंने व्यवस्था को नष्ट कर दिया।विनियामक उपाय किसी भी तरह से धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थान को प्रशासित करने के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

60. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि चिकित्सा के साथ-साथ दंत विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन. ई. ई. टी. की समान परीक्षा निर्धारित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 के तहत संस्थानों को प्रशासित करने के लिए गैर-सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।अधिनियम और विनियम के प्रावधानों को अधिकार अधिकारातीत नहीं कहा जा सकता है या अनुच्छेद 19 (1) (जी), 14,25,26 और 29 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 30 (1) के तहत भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को छीन नहीं लिया जा सकता है।तदनुसार, स्थानांतरित मामलों, अपील और रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।"

(जोर दिया गया)

(179) यह भी कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा नवदीप कौर गिल बनाम पंजाब राज्य 27 मामले में की गई टिप्पणियों पर चर्चा करना भी प्रासंगिक होगा, जिसने पंजाब निजी 27 2014 (3) एससीटी 110 स्वतंत्र विद्यालय के समाज परिवर्तन और विकास के अधिकारों को बरकरार रखा था।

स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन, शुल्क निर्धारण और आरक्षण) अधिनियम, 2006, जिसके तहत राज्यपंजाब सरकार ने सभी निजी चिकित्सा संस्थानों (गैर-अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक) में प्रवेश और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम तैयार किया था।माननीय पूर्ण पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

"46. केंद्रीय कानूनों के तहत स्थापित संबंधित परिषदों द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश या शुल्क निर्धारण के मामले में विनियामक उपायों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शुल्क कॉलेज द्वारा तय किया जाना चाहिए न कि राज्य द्वारा।ऊपर उल्लिखित निर्णयों में टिप्पणियाँ कानून की अनुपस्थिति में में की गई हैं।एक बार कानून बनाया जाता है, इसकी वैधता का परीक्षण संविधान की कसौटी पर किया जाना है।हालाँकि, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में माना गया है, उक्त अधिकार एक आत्यन्तिक अधिकार नहीं है।वही विनियमन के अधीन है।किसी भी कानून की अनुपस्थिति में में, न्यायिक निर्देश के तहत, प्रवेश और शुल्क निर्धारण की देखरेख के लिए समितियों का गठन किया गया था।उक्त न्यायिक निर्देशों को अब वैधानिक तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।शुल्क निर्धारण के मामले में, शुल्क का आधार एक परिषद द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मानदंड हैं और उच्च सुविधाएं प्रदान करने वाले संस्थान को अधिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।इस हद तक, उपरोक्त निर्णयों में की गई टिप्पणियों से इस आशय का विचलन है कि एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना निर्धारित कर सकता है, बशर्ते कि यह शोषणकारी न हो।

47. विचार के लिए सवाल यह है कि क्या एक कानून जो उच्च बुनियादी ढांचा प्रदान करके उच्च शुल्क लेने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, वह विधायी क्षमता के भीतर है और इसे सार्वजनिक रूप से उचित प्रतिबंध के रूप में उचित ठहराया जा सकता है।ब्याज। राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि समग्र रूप से समाज की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कानून केवल इस दलील पर कि उच्च बुनियादी ढांचा

प्रदान किया गया था, अनुचित स्तर पर लिए जा रहे शुल्क की जांच करता है।1034 का बड़ा विचार

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1)

बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की न्यूनतम निर्धारित आवश्यकताओं तक शुल्क के स्तर को सीमित करके समाज के आर्थिक रूप से निचले वर्गों तक भी उच्च शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उच्च सुविधाएं प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है।शुल्क को न्यूनतम स्तर तक सीमित करने का उद्देश्य आम आदमी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है।यह नीति के विधायी चयन का मामला है।

48. बुनियादी ढांचे की न्यूनतम जरूरतों के बराबर शुल्क तय करना संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत विधायी शक्ति से परे नहीं माना जा सकता है।प्रतिबंध की तर्कसंगतता का न्याय करने में, न्यायालय को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा।प्रतिबंध को उचित माना जा सकता है यदि यह निर्देशात्मक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए है और अन्यथा मनमाना या अत्यधिक नहीं है।अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के माध्यम से अनुमत सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना होगा।न्यायालय के दृष्टिकोण में संविधान की प्रचलित स्थितियों, जीवन के मूल्यों और सामाजिक दर्शन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

49. पुष्पगिरी मेडिकल सोसाइटी में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय विशिष्ट है।अन्यथा भी, हम उसमें की गई सभी टिप्पणियों का पालन करने में असमर्थ हैं।

50. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत जनहित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। हम संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत विधायिका की नियामक शक्ति के दायरे से संबंधित कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

57. इस प्रकार, हमारा विचार है कि न्यूनतम अवसंरचना आवश्यकताओं तक शुल्क को सीमित करने वाले प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।यह प्रतिबंध किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थानों के इसे स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।न्यूनतम आधारभूत संरचना प्रदान करने में उनकी लागत का ध्यान रखा जाता है।यदि वे खर्च कर सकते हैं तो उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।उच्च लागत वाले संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें केवल उन छात्रों तक सीमित करने का कोई आत्यन्तिक अधिकार नहीं है जो स्वतंत्र रूप से स्कूल के समाज को बदलते हैं और

अधिक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।जैसा कि पी. ए. इनामदार में देखा गया है, उच्च शुल्क का भुगतान करने वाला छात्र सेवा करने के बजाय अधिक कमाने का लक्ष्य रखता है जो समाज के लिए अभिशाप हो सकता है।शिक्षा के बाद सब कुछ व्यवसाय नहीं है। मुख्य रूप से, यह उस समाज की सेवा है जहाँ कमाई गौण या आनुषंगिक है।उच्च शुल्क इस तरह के उद्देश्य के साथ असंगत होगा और एक छात्र को वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर करेगा।यदि अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना है, जहां सेवा उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है और गरीब वर्गों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जा सकती है, तो ऐसा उद्देश्य निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।किसी कानून की वैधता का न्याय करने में, न्यायालय को समाज की आवश्यकता और व्यक्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होता है।व्यक्ति के अधिकार को पवित्र नहीं माना जा सकता है ताकि समाज की आवश्यकता को उसके अधिकार के अधीन किया जा सके।

58. इस प्रकार, आक्षेपित अधिनियम को समग्र रूप से असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।" (जोर दिया गया)

(180) यहाँ ऊपर उल्लिखित कानून की स्थिर स्थिति और यू. टी. प्रशासन द्वारा इस प्रकार लगाई गई शर्तों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता स्कूलों पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शर्तों को लागू करने को किसी भी हद तक या कल्पना के किसी भी विस्तार से अनुचित या प्रतिबंधात्मक प्रकृति के रूप में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे नियामक हैं।वही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति व्यक्ति शुल्क या मुनाफाखोरी का कोई शुल्क नहीं है, जैसा कि में आयोजित किया गया है टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन का मामला (ऊपर) और उसके बादकई निर्णयों में।केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अधिनियम को चंडीगढ़ प्रशासन के लिए अनुकूलित करते समय किए गए संशोधनों/प्रतिबंधों का पालन करते हुए (जैसा कि ऊपर पैरा संख्या 1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है), यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों द्वारा पिछले दरवाजे से प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जाए और निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के धन का शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उचित उपयोग किया जाए।

(181) केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बदलते समय किए गए संशोधन प्रतिकूल संशोधन/परिवर्धन नहीं हैं, बल्कि

छात्रों, संस्थान के प्रतिस्पर्धी हितों और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समाज की आवश्यकता और इच्छा के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हैं।केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन/परिवर्धन किसी भी तरह से स्वायत्तता 1036 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

या संस्थान का दिन-प्रतिदिन का कामकाज या किसी भी तरह से कठोर शुल्क संरचना निर्धारित करता है।संशोधन/परिवर्धन केवल पारदर्शिता के लक्ष्य को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

(182) इसलिए, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों और मुद्दा संख्या (iv) पर निर्णय और निष्कर्षों के आलोक में, हमारा विचार है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य के 2016 के अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करते समय किए गए संशोधन गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अधिकारों या अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(183) अलग होने से पहले, हम यह ध्यान दें चाहेंगे कि किसी भी वकील ने यू. टी. प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के संबंध में तर्कों को संबोधित नहीं किया है, जिसमें यू. टी. चंडीगढ़ के अनुकूल 2016 अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन करने की मांग की गई है।हालाँकि, चूंकि हमने केंद्र सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों के साथ पंजाब राज्य अधिनियम 2016 को यू. टी. चंडीगढ़ में बदलते समय किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन याचिकाकर्ताओं को निर्देशों का पालन करने के लिए उचित समय देगा।

(184) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम दोनों रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, जो हमारे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन हैं, विशेष रूप से 2016 अधिनियम की खंड 5 के चौथे परंतुक के खंड (बी) और 2016 अधिनियम की खंड 10 (4) से (6) की वैधता पर निर्णय लेते समय।

(185) चूँकि मुख्य याचिकाओं पर ही निर्णय ले लिया गया है/खारिज कर दिया गया है, इसलिए लंबित विविध आवेदनों में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई हो, और वही पक्ष निपटाया जाए।

शुभरीत कौर रामपाल

अनुवादक

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।